राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अङ्क 2 चतुर्थ विधान सभा के द्वितीय सत्र का दूसरा दिवस संख्या 2

शुक्रवार, दिनांक 19 जनवरी, 1968

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.1 को विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री निरंजन नाथ आचार्य अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

(शिक्षा, कृषि, उद्योग, सामान्य प्रशासन, यातायात, विद्युत, पशुपालन, खादी तथा ग्रामोद्योग, मंत्री मण्डल, आयुर्वेद व सहकारी विभाग)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न, श्री केसरीसिंह हाडा।

बूंदी कालेज में साइन्स के सामान की खरीद

1. **श्री केसरीसिंह हाडा** (हिन्डोली) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) बूंदी के हायर सैकेण्डरी कालेज में साइन्स का सामान कहां से आता है?

(2) हर साल यह सामान कितनी धनराशि का आता है?

(3) इस सामान को देने का टेन्डर पिछले तीन सालों में किसके नाम खुला? और इस ठेकेदार ने कितनी रकम का माल सप्लाई किया?

उप मंत्री, शिक्षा (राव श्री धीरसिंह) :

(1) राजकीय साइंस डिपो, उदयपुर।

(2) गत दो वर्षों से अब तक खर्च के अन्तर्गत 1000) रु. का सामान क्रय किया जाता था। इससे पूर्व हर साल 300) रु. का। अनावर्तक खर्च के अन्तर्गत सामान समय-समय पर अलग से आयोजना मद से क्रय किया जाता है और वह भी उक्त डिपो से ही प्राप्त किया जाता है।

(3) प्रायः सभी विज्ञान का सामान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान बीकानेर द्वारा स्वीकृत फर्मों से ही क्रय किया जाता है और इनके टेन्डर भी उक्त निदेशालय द्वारा स्वीकृत किये जाते हैं परन्तु जो सामान एप्रूव्ड सूची में नहीं होता उनका क्रय विद्यालय द्वारा टेण्डर मांग कर प्राप्त किया जाता है। पिछले तीन वर्षों में विद्यालय द्वारा निम्न फर्मों के टेण्डर स्वीकृत किये जाकर सामान मंगवाया गया था।

(राव श्री धीरसिंह)

नाम फर्म	जितनी रकम का माल खरीदा गया		
1. आर. बी. सिंह, आगरा	1964–65 में	32.50	रु. का
2. हाडा जनरल स्टोर, बूंदी	,,	74.00	,,
3. एस. मथुरादास, बम्बई	,,	144.46	,,
4. टार कैम्ब लेब, बम्बई	1965-66	25.19	,,
5. एस. मथुरादास, बम्बई	,,	35.77	,,
6. मेसर्स न्यू इन्डिया साइन्स, सहारनपुर	1966–67 में	129.78	,,
7. मेसर्स न्यू इन्डिया साइन्स, सहारनपुर	,,	500.87	,,
8. मेसर्स न्यू इन्डिया साइन्स, सहारनपुर	,,	82.40	,,
9. लेबोरेटरी फर्नीचर, जोधपुर	,,	126.72	,,

श्री केसरीसिंह हाडा : यह डिपो के लिए आपने फरमाया, यह डिपो कहां है ?

राव श्री धीरसिंह : साइन्स डिपो बीकानेर से निदेशालय कार्यालय से सप्लाई किया जाता है, वह है उदयपुर में ।

श्री केसरीसिंह हाडा : आपने बीकानेर कैसे फरमाया ?

राव श्री धीरसिंह : उदयपुर में है ।

श्री केसरीसिंह हाडा: क्या यह सत्य है कि वहां पर जो सामान काम में नहीं आता है उसी को इधर उधर भेज दिया जाता है और जिस चीज की बाद में जरूरत होती है उसको नहीं भेजा जाता ?

राव श्री धीरसिंह : जो एप्रूव्ड रेट पर डीलर्स रेट कान्ट्रेक्ट पर सप्लाई करते हैं, उनसे खरीद लेते हैं । दो साल यह सिस्टम रखा गया था कि ये सप्लाई करेंगे, अगर उनके पास माल उपलब्ध नहीं होता है तो रेट कान्ट्रेक्ट पर खरीद लेते हैं । इन-इन सालों में यह सामान खरीदा है । डिपो में उपलब्ध नहीं होता है तो इनको अधिकार प्रायर ईयर से दे दिया गया है कि सीधे कान्ट्रेक्टर से खरीद लें । दो साल तक यह सिस्टम रहा ।

श्री केसरीसिंह हाडा : तो यह क्या समझा जाय कि कालेज जरूरत के माफिक स्वयं अपने बजट के माफिक सामान निर्धारित रेट पर रेट कन्ट्रेक्टर्स हैं, उनसे खरीद सकते हैं ?

राव श्री धीरसिंह : आज यह नियम है, रेट कान्ट्रेक्टर्स हैं उनसे बजट के माफिक सामान खरीद सकते हैं ।

श्री अध्यक्ष : श्री कृष्ण कुमार गायल ।

कृषि विभाग में सांख्यिक सहायकों तथा अन्वेषकों के पद

(2) श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) कृषि विभाग में दिनांक 31-5-66 तक सांख्यिक सहायकों तथा सांख्यिक अन्वेषकों की वेतन शृंखला क्या थी ?

Page No. 3

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

(2) क्या यह सही है कि आदेश क्रमांक एफ. 2 (बी) (35) एफ. ी. (एक्स रूल्स) 166 दिनांक 2-6-66 द्वारा सांख्यिक सहायकों के पद को सांख्यिक अन्वेषक में परिवर्तित कर दिया है ? अगर हां, तो क्या इस आदेश का पालन हो गया है ?

(3) क्या यह सही है कि निदेशक कृषि विभाग ने सांख्यिक सहायकों की दिनांक 1-6-66 से वेतन श्रृंखला 170-3 5 क दी है ? अगर हां, तो क्यों व किन किन को ?

(4) क्या यह सही है कि कृषि विभाग में उक्त वेतन श्रृंखला पर सांख्यिक सहायक पद स्वीकृत नहीं हैं ?

(5) क्या यह सही है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग ने 130–250 की वेतन श्रृंखला में सांख्यिक अन्वेषकों का चयन किया है ? अगर हां, तो कब व किन-किन का ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(6) क्या यह सही है कि उपरोक्त व्यक्तियों में से कई व्यक्ति तीन साल से भी अधिक का अनुभव इस ग्रेड व पद पर प्राप्त कर चुके हैं ? अगर हां, तो उनकी सूची देने का कष्ट करें ।

(7) क्या यह सही है कि बिना 130–250 की वेतन श्रृंखला में लोक सेवा आयोग से एप्रूव हुए, बिना तीन साल का अनुभव प्राप्त किए कई सांख्यिक सहायकों को 170-385 का ग्रेड दे दिया गया है ? अगर हां, तो क्यों व किन किन को ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

उप मंत्री, कृषि (श्री हरिसिंह) : (1) सांख्यिक सहायकों की वेतन श्रृंखला 150–10–250-12-1/2-350 तथा अन्वेषकों की वेतन श्रृंखला 130–5–155–10–250 थी ।

(2) जी हां, ऐसी आज्ञा राज्य सरकार द्वारा जारी की गई है । इस विभाग में 130–250 वेतन श्रृंखला पहिले वाली 150-350 की ग्रेड के सांख्यिक सहायक का कोई पद था ही नहीं अतः इस आज्ञा का पालन का कोई प्रश्न ही नहीं उठता ।

(3) जी हां, राज्य सरकार द्वारा 170–385 वेतन श्रृंखला पहले वाली 150-350 की परिवर्तित (रिवाइज्ड) वेतन श्रृंखला निश्चित की गई है । जिन सांख्यिक सहायकों को यह वेतन श्रृंखला दी गई है उनको सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(4) यह सही नहीं है । बल्कि सांख्यिक सहायक जिनकी रिवाइज्ड स्केल 170–385 है, वे पद पहले से ही स्वीकृत हैं ।

(5) जी हां, इस वेतन श्रृंखला में केवल अन्वेषक सन् 1957 और सन् 1965 में चयन किया गया था । सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(6) जी हां, कुछ व्यक्ति इस ग्रेड पर तीन वर्षों से अधिक अनुभव प्राप्त कर चुके हैं । सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

Page No. 4

(श्री हरिसिंह)

(7) क्योंकि 130–250 की वेतन शृंखला का कोई पद इस विभाग में नहीं है, इसलिये प्रश्न ही नहीं उठता ।

(कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

श्री देवीदत्त गाड़िया (बांर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मंत्रीजी कौन हैं परिचय तो करवा दीजिये, इनके पास डिपार्टमेंट कौनसा है ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, मैं आपको भी चैम्बर में बुला लूंगा–और आपको भी आमन्त्रित कर लूंगा।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : 40 हैं किन–किन का परिचय करायेंगे ?

श्री अध्यक्ष : सारे हाउस का परिचय माननीय सदस्य कर लेते हैं तो इन 40 का परिचय कराने में क्या मुश्किल है ।

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : जैसे अलीबाबा और चालीस चोर हैं·····

श्री अध्यक्ष : वे पूरे नहीं हैं ।

श्री केसरी सिंह हाड़ा (हिन्डोली) : अब पूर्ति हो जायगी क्या ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : क्या यह सही है कि जिनके लिए 170-385 का ग्रेड दिया गया है उनके लिए कोई न्यूनतम योग्यता आवश्यक है ?

कृषि मंत्री (श्री शोभाराम) : मैं यह निवेदन करूंगा कि····

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या वे काम्पीटेन्ट नहीं हैं क्या ? सवाल का जवाब वे दें और सप्लीमेंटरी का जवाब ये दें, यह कोई तरीका नहीं है । एक सवाल का जवाब एक दें और सप्लीमेंटरी का दूसरे जवाब दें यह कोई तरीका नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : दो-चार, पांच-सात रोज अनुभव का मौका दें, फिर तरीके में तब्दीली की गुंजायश हो तो की जा सकती है ।

श्री भैरोंसिंह : तो क्या यह मानकर चलें कि इन्हें अनुभव नहीं है ?

श्री अध्यक्ष : एड्मिनिस्ट्रेशन का अनुभव ।

श्री भैरोंसिंह : इसका मतलब यह है कि अनुभव अभी नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : बहुत कुछ है, बहुत कुछ नहीं है ।

श्री केसरीसिंह हाड़ा : अंडर ट्रेनिंग हैं ।

श्री शोभाराम : मैं निवेदन करूंगा कि जो सांख्यिक सहायक कृषि विभाग में थे और जो इकोनोमिक्स और स्टेटिस्टिक्स विभाग में स्टेटिस्टिकल एसिस्टेन्ट्स थे उनमें बहुत फर्क था । कृषि विभाग में किसी वक्त भी यह जो सांख्यिक सहायकों की 150 से शुरू होने वाली वेतन ग्रेड थी, वह कभी नहीं थी । जब यह 170 से शुरू किया गया तो सवाल पैदा हुआ कि सांख्यिक सहायक और इकोनोमिक्स और स्टेटिस्टिक्स विभाग के जो

Page No. 5

(श्री शोभाराम)
स्टेटिस्टिकल एसिस्टेन्ट्स थे उनकी वेतन शृंखला में हमेशा फर्क रहा है। दो साल पहले इनकी वेतन वृद्धि की गई थी। तो न्यूनतम का जहां सवाल है वह 150 था उसको 170 से शुरू कर दिया गया।

श्री कृष्णकुमार गोयल : वेतन शृंखला 18, पृष्ठ 131 में हिदायत नं. 3 के अनुसार स्टेटिस्टिक्स के जो इन्सपेक्टर्स थे उनके लिए मिनीमम क्वालिफिकेशन्स आवश्यक हैं कि वे किसी एक विषय में चाहे गणित हो चाहे वाणिज्य चाहे स्टेटिस्टिक्स हो या कामर्स हो, इसके अन्दर उनको एम. ए. होना आवश्यक है या तीन साल का अनुभव नीचे की पोस्ट पर प्राप्त कर ले तभी जाकर यह ग्रेड दी जा सकती है।

श्री शोभाराम : इकोनोमिक्स और स्टेटिस्टिक्स विभाग में उनके प्रोमोशन और डाइरेक्ट रिक्रूटमेंट के नियम बन गये थे लेकिन कृषि विभाग में जो स्टेटिस्टिकल एस्टिेन्ट्स थे उनके लिए ग्रेज्यूएट मैथमेटिक्स में होना लाजमी था और जो इनवेस्टिगेटर्स थे उनके लिए इकोनोमिक्स या कामर्स के ग्रेज्यूएट्स थे उनको लिया जाता था। चूंकि सर्विस रूल्स कृषि विभाग के तैयार नहीं हुए हैं इसलिए जो आटोमैटिक तीन साल का पदोन्नति का सवाल था इन्वेस्टीगेटर्स और स्टेटिस्टिकल एसिस्टेन्ट्स का कृषि विभाग में, लागू नहीं हुआ। जब गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ उस समय कृषि विभाग ने लिखकर दे दिया कि हम पर जब तक सर्विस रूल्स लागू नहीं होते तब तक यह गजट नोटिफिकेशन लागू नहीं होता। इसका स्पष्टीकरण नहीं आया है। यह राज्य सरकार के सामने विचाराधीन प्रश्न है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि जिस पद पर आपने इन्सपेक्टर्स नियुक्त किए हैं उनको पी.एस.सी. को रेफर नहीं किया गया ?

श्री शोभाराम : हमारे विभाग में कोई इन्सपेक्टर्स नहीं होते हैं। दो पोस्ट्स होती हैं। एक स्टैटिस्टिकल एसिस्टेन्ट और दूसरी इन्वेस्टीगेटर्स की। इन्सपेक्टस इकोनोमिक्स व स्टैटिस्टिक्स विभाग में होते हैं। कृषि विभाग में नहीं होते हैं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : इन पोस्ट्स को आपने पी.एस.सी. को रेफर किया या नहीं जिनको आपने 175-385 की ग्रेड में नियुक्त किया है ?

श्री शोभाराम : प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि 110 वाली जो ग्रेड थी उसको अपग्रेड किया गया। इसके लिए पी.एस.सी. में जाने की जरूरत थी लेकिन कृषि विभाग में कोई 110 की ग्रेड नहीं थी और 130 वेतन से इन्वेस्टीगेटर्स की ग्रेड चालू कर दी गई थी इसलिए पी.एस.सी. को रेफर करने का प्रश्न नहीं उठा।

श्री कृष्णकुमार गोयल : जब यह ग्रेड नहीं थी तो इसका मतलब यह हुआ कि आपके पास इस पोस्ट पर जगह नहीं थी।

Page No. 6

श्री शोभाराम : इसकी भूमिका बता देना चाहता हूं । शुरू में स्टैटिस्टिकल एसिस्टेन्ट्स और एसिस्टेन्ट स्टेटिस्टिशन थे, 5-6 आदमी थे जो कॉपकटिंग का काम करते थे । यह स्कीम बोर्ड आफ रेवेन्यू को ट्रांसफर कर दी गई और स्टाफ भी उनको ट्रांसफर कर दिया गया । दो प्रकार की कृषि विभाग में ग्रेड्स थी । एक 150 वाली जो स्टैटिस्टिकल एसिस्टेन्ट्स के लिए थी और दूसरी इन्वेस्टीगेटर्स के लिए थी जो 130 से शुरू थी । इन्वेस्टीगेटर्स की पोस्ट 170 से शुरू की गई । यहां पर 110 की पोस्ट कोई नहीं थी । इसलिए इकोनोमिक्स और स्टेटिस्टिक्स विभाग में जो 100 की पोस्ट थी उसके लिए 130 की की गई । उसके लिए पी.एस.सी. को रेफर करने की जरूरत समझी गई । यहां पर जरूरत नहीं समझी गई ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न 3 । श्री हरजीराम बुरड़क ।

कलापूर्ण दस्तकारी की वस्तुएं बनाने का प्रशिक्षण

3. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने कलापूर्ण दस्तकारी की वस्तुएं बनाने का प्रशिक्षण देने के लिए एक संस्था की स्थापना की थी ? यदि हां, तो उसकी स्थापना कब की और उसको बंद कब किया गया ?

(2) इस संस्था पर कितना व्यय हुआ और उसमें स्थापना व्यय कितना है ?

(3) क्या यह सही है कि इस संस्था में सन् 1964-65 में व्यय लगभग 44 हजार हुआ और इसमें केवल दो व्यक्तियों को ही प्रशिक्षित किया जा सका ?

(4) क्या इस संस्था से सरकार को अनावश्यक व्यय उठाना पड़ा और इससे कोई मकसद पूरा नहीं हुआ ? यदि हां, तो इसके लिए किसी अधिकारी को उत्तरदायी ठहराया गया था ? यदि हां, तो किसको और उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं की गई, तो क्यों नहीं ?

उपमंत्री उद्योग (श्री भीमसेन) : (1) जी हां, महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स व क्राफ्ट्स का पुनर्गठन करके 1957-58 में एक आर्टिस्टिक व क्राफ्ट्स ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट की स्थापना की गई थी । इसको 1966 में बंद कर दिया गया ।

(2) इस संस्था पर कुल 7,17,400.95 रुपया व्यय हुआ जिसमें से स्थापना व्यय 4,97,563.11 रुपया हुआ ।

कई माननीय सदस्य : सुनाई नहीं देता ।

श्री रामकिशन (वैर) : 20 साल सेवा की फिर भी आवाज इतनी कमजोर क्यों ?

श्री भीमसेन : (3) जी नहीं ।

(4) जी नहीं । आगे प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री भैरोंसिंह : पहले पार्ट का जवाब एक बार और दें ।

श्री भीमसेन : जी हां । महाराजा स्कूल ग्रॉफ ग्रार्ट्स व क्राफ्ट्स का पुनर्गठन करके 1957-58 में एक ग्रार्टिस्टिक क्राफ्ट्स ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट की स्थापना की गई थी । इसको 1966 में बंद कर दिया गया ।

श्री भैरोंसिंह : इसके बंद करने का क्या कारण है ।

श्री भीमसेन : ग्रार्थिक साधनों का ग्रभाव ।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार यह उचित नहीं समझती कि ग्रार्थिक समस्याग्रों का समाधान करके ऐसे कला स्कूल के निर्माण के बारे में सरकार को कोई प्रावधान करके इस स्कूल को बंद नहीं करना चाहिए था ?

उद्योग मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : यह तो था ही । इसके साथ ही साथ इसमें विद्यार्थी भी कम ग्राते थे । उसको देखते हुए ग्रौर ग्रलग ग्रलग जिलों में इसी प्रकार के स्कूल खोले गए तो बाहर के लोग जो यहां ग्राते थे वह भी कम हो गए । इसलिए यहां संख्या कम हो गई ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि जिस वर्ष स्कूल बंद कर दिया गया, उस साल संख्या कम नहीं थी ?

श्री हरिदेव जोशी : 30 विद्यार्थी ही रह गए ।

श्री भैरोंसिंह : पहले कितने थे ?

श्री हरिदेव जोशी : 60 से ऊपर ।

श्री भैरोंसिंह : पहले 37 के करीब थे । जिस दिन से स्कूल चला है 1955 के बाद विद्यार्थियों की संख्या में कमी नहीं ग्राई ।

श्री हरिदेव जोशी : मुझे इतनी जानकारी तो नहीं लेकिन इसको बंद करने के कारणों में से एक कारण यह भी था कि इसमें लड़के बहुत कम हो गए ।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम) : मंत्री महोदय को पता होगा कि क्राफ्ट सीखने के लिए विद्यार्थी क्यों नहीं ग्राते ? क्या कारण है ?

श्री हरिदेव जोशी : इसको बैफरकेट कर दिया गया । एक ग्रार्ट्स का ग्रौर दूसरा क्राफ्ट्स का । ज्यादा लड़के ग्रार्ट्स में गए ग्रौर क्राफ्ट्स में कम गए ।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : क्योंकि क्राफ्टस के लड़कों का ग्रागे बढ़ने की गुंजाइश नहीं है, इसलिए नहीं ग्राते ?

श्री हरिदेव जोशी : मैं नहीं कह सकता . मेरे पास इन्फरमेशन ग्रवेलेबल नहीं है । मेरे सामने इस प्रकार कोई डिटेल्ड इन्फरमेशन तो नहीं है मगर जो जानकारी मैंने प्राप्त करने की कोशिश की है उसके ग्राधार पर कह सकता हूं कि क्राफ्ट साइड में कम लड़के थे ग्रौर ग्रार्ट्स में ज्यादा थे । ग्रार्ट्स शिक्षा विभाग के तहत था वह ग्रभी चल रहा है लेकिन क्राफ्ट्स में कम होने के कारण…

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत : इसी तरह से क्राफ्ट्स का स्कूल महाराजा रामसिंह का चल रहा है उसमें दिनों दिन विद्यार्थियों की संख्या बढ़ती जा रही है । लाखों रुपये का माल एक्सपोर्ट किया जा रहा है लेकिन सरकार के क्राफ्ट्स स्कूल में संख्या क्यों घटती जा रही है ? जांच करें कि क्यों नहीं लड़के आते हैं ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : डिप्लोमा दो-दो साल नहीं मिलते ।

श्री हरिदेव जोशी : मैं इसको देखूंगा ।

श्री रामचन्द्र आर्य (नौहर) : क्या यह सही है कि सन् 1965–66 में आडिट आब्जेक्शन इसमें आया है और उस आब्जेक्शन के बारे में सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

श्री अध्यक्ष : अलग सा प्रश्न है । श्री नत्थीसिंह ।

राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा घोषित सार्वजनिक अवकाश

4. **श्री नत्थीसिंह** (भरतपुर) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि सन् 1967 के लिए राजस्थान सरकार एवं राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा घोषित सार्वजनिक अवकाश के दिनों में अंतर है ? यदि हां, तो किन-किन दिनों में अंतर है ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ?

(2) क्या यह सही है कि प्रायः हर साल इस प्रकार का फर्क रहता है और इससे जनता को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ?

(3) क्या राज्य सरकार इस संबंध में कोई ऐसी प्रक्रिया अपनाने का इरादा रखती है कि जिससे सरकार एवं हाई-कोर्ट द्वारा घोषित सार्वजनिक अवकाश के दिन एक से हों ।

उप-मंत्री शिक्षा (राव श्री धीरसिंह) : (1) जी हां । दिनांक 1-1-67, 26-3-67, 27-3-67, 20-8-67, 13-10-67 तथा समर वेकेशन और विन्टर वेकेशन जो उच्च न्यायालय ने अवकाश घोषित किये हैं उन दिनों को राजस्थान सरकार ने अवकाश घोषित नहीं किए हैं क्योंकि इस प्रकार के अवकाश देने की नीति राज्य सरकार नहीं अपनाती । इसी प्रकार दिनांक 18-1-67, 21-6-67, 19-8-67, 10-10-67 व 17-11-67 जो राजस्थान सरकार ने अवकाश घोषित किए हैं जबकि उच्च न्यायालय ने इन तिथियों को अवकाश घोषित नहीं किया है ।

(2) जी हां । अभी तक जनता द्वारा इस परेशानी का किसी सूत्र से सरकार के समक्ष कोई मामला प्रस्तुत नहीं किया गया है ।

(3) इस सम्बन्ध में उच्च न्यायालय से संपर्क स्थापित करके व विचार विमर्श करके कार्यवाही की जायगी ।

श्री नत्थीसिंह : एक तो मुझे सूची नहीं दी गई । मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या

Page No. 9

(श्री नत्थीसिंह)

मंत्री महोदय को मालूम है कि पहले भी इस प्रश्न को सदन में उठाया गया था और यह आश्वासन दिया गया था कि इन छुट्टियों को एकसा करेंगे। श्री मथुरादास माथुर विधि मंत्री थे उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि इस समय जो छुट्टियों में फर्क है उसको दूर करेंगे। आपने यह किस आधार पर कहा कि जनता के किए कोई कठिनाईयां नहीं आयीं? सदन में मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया तो क्या उन कठिनाईयों को दूर करने के लिये कोई प्रयत्न कर रहे हैं? क्या आपने राजस्थान हाईकोर्ट से कोई संपर्क स्थापित किया है कि इस प्रकार छुट्टियों का जो संकट है उसको दूर कर दिया जाय? क्या आप कोई अब आश्वासन देंगे?

एक माननीय सदस्य : इतने दिन मिनिस्टर खुद ही छुट्टी में थे।

राव श्री धोरसिंह : आश्वाशन दिया होगा उसके लिए मुझे ज्ञात नहीं है। राजस्थान हाईकोर्ट सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट सेन्कशन छुट्टियां मंजूर करती है। अलावा वेकेशन के और जो छः छुट्टियां हैं उनमें डिफरेन्सेज को मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : यह प्रश्न है छुट्टियों का। राजस्थान हाईकोर्ट और सरकार इन दोनों की छुट्टियों में जो अन्तर रहता है उसके कारण जनता को बड़ी दिक्कत होती है। हाईकोर्ट के वर्किंग आवर्स मार्निंग के होते हैं और सरकार के वर्किन्ग आवर्स दिन के होते हैं। वकील साहबान को सुबह सात बजे से शाम को 5 बजे तक कोर्ट में रहना पड़ता है। मंत्री महोदय से मैं निवेदन करूंगा कि अदालतों के लिए हाईकोर्ट निर्णय लेती है और सरकार की छुट्टियों के लिए सरकार निर्णय लेती है अतः इन दोनों में कोई तारतम्य होना चाहिए ताकि ये दिक्कतें जो जनता और वकीलों को होती हैं वह दूर हो सकें।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : दोनों का समय ऐसा होना चाहिए जो कि सब को सूट कर सके।

राव श्री धोरसिंह : टाइमिंग्स का यह सुझाव दिया है उस पर विचार कर लेंगे।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री विजयसिंह रावत।

अजमेर भीलवाड़ा रूट पर रोडवेज की बसें

5. श्री विजयसिंह रावत (नसीराबाद): क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या अजमेर से भीलवाड़ा रोडवेज की बसें सरकार का चलाने का विचार है? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि इस रूट पर गाड़ी नहीं चलाने से रोडवेज को हानि हो रही है? यदि हां, तो वार्षिक कितनी हानि होने का अनुमान है?

उप मंत्री, यातायात (श्री शिवरचरण सिंह) : (1) जी हां। इस मार्ग की राष्ट्रीयकरण योजना 13-1-67 को राजपत्र में प्रकाशित की जा चुकी है।

श्री विजयसिंह रावत : सुनाई नहीं दे रहा है साहब।

श्री शिवचरणसिंह :जी हां। इस मार्ग की राष्ट्रीयकरण योजना 13–1–67 को राज–पत्र में प्रकाशित की जा चुकी है। इस समय इस योजना पर ज्वाइन्ट लीगल रिमेम्ब्रेन्सर द्वारा एतराज ने जा रहे हैं। आशा है कि शीघ्र ही सुनवाई पूर्ण हो जावेगी और अग्रेतर कार्यवाही की जा सकेगी।

(2) हानि का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री विजयसिंह रावत : क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि अजमेर से भीलवाड़ा तक प्राइवेट बसेज को अलाऊ किया है। अजमेर से नसीराबाद की सवारी उठाने की उनको इजाजत है या नहीं ?

श्री शिवचरणसिंह : इस प्रश्न से इसका सम्बन्ध ही नहीं है ?

श्री विजयसिंह रावत : अध्यक्ष महोदय दूसरा प्रश्न इसके अन्दर यह है कि आप मेरा प्रश्न सुन लीजिये और समझने की कोशिश कीजिये...

श्री अध्यक्ष : आप आरम्भ रखिये।

श्री विजयसिंह रावत : प्रश्न के भाग 2 में मैंने यह पूछा है कि अनुमानित कितनी हानि हुई है उस पर आप कहते हैं की प्रश्न ही नहीं उठता है। जो अजमेर से भीलवाड़ा के लिये आपने बसेज अलाऊ की है उनको रोडवेज की तरह से रास्ते की सवारी लेने की अनुमति है या नहीं ?

श्री शिवचरणसिंह : इसमें यह है क्या यह सही है कि इस रूट पर गाड़ी नहीं चलाने से रोडवेज को हानि हो रही है ?

श्री अध्यक्ष : सप्लीमेंटरी में से आधा इधर है और आधा उधर है। वह हानि में आ जाता है।

श्री शिवचरणसिंह : हानि होने का प्रश्न ही नहीं है।

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : इन लोगों के लिये ट्रेनिंग सेन्टर खोल दीजिये।

श्री अध्यक्ष : आपकी जानकारी में हो तो बता दीजिये।

यातायात मन्त्री (श्री अमृतलाल यादव): यह रूट नेशनेलाइज हुआ ही नहीं है और जवाब दिया है तो कोर्पोरेशन की बसेज चलने का सवाल ही नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इस रूट को नेशनेलाइज करने का राज्य सरकार ने सबसे पहले कब निर्णय लिया ?

श्री शिवचरणसिंह : निर्णय 1960 में लिया था।

श्री विजयसिंह रावत : नेशनेलाइज न होने के क्या कारण हैं ?

श्री अमृतलाल यादव : पहले जो शुद्धि-पत्र निकला उसमें लेकुना रह गया था और हाईकोर्ट में प्राइवेट बस मालिकों ने अपील की थी, उस पर दूसरी शुद्धि पत्र निकालना चाहिये; यह कहा गया तो दूसरा शुद्धि-पत्र निकाला गया। उस दूसरे शुद्धि-पत्र पर सुनवाई चल रही है।

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ) : सात वर्ष तो हो गये अब तक भी सुनवाई चल रही है। बार–बार क्यों गलतियां करते हैं।

श्री विजयसिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, मैं यह माननीय मंत्री महोदय से जानकारी चाहता हूँ कि अजमेर से भीलवाड़ा तक प्राइवेट बसेज चलती हैं तो क्या उन बसेज को रास्ते की सवारियां राजस्थान स्टेट रोडवेज की तरह से ही उठाने की पर्मिशन है या नहीं और पर्मिशन है तो कहां–कहां की वह सवारियां उठा सकती हैं? यदि रास्ते की सवारियां वह उठा लेती हैं तो रोडवेज की बसेज खाली जाती हैं जिससे रोडवेज को हानि होती है। अजमेर-नसीराबाद, विजयनगर शटल भी चलता है। फिर अजमेर से भीलवाड़ा चलने वाली प्राइवेट बसेज रास्ते की सवारियां उठा लेती हैं जिससे रोडवेज को बहुत नुकसान होता है।

श्री शिवचरणसिंह : प्राइवेट बसेज रास्ते की सवारियां नहीं बिठाती हैं।

श्री विजयसिंह रावत : अजमेर से भीलवाड़ा प्राइवेट बसेज चलती हैं उनके द्वारा रास्ते की सवारियां उठाने से रोडवेज को कितना घाटा हुआ है? क्या उनको यह अनुमति है या नहीं? और अनुमति नहीं है तो आज तक कितने चालान हुए हैं?

एक माननीय सदस्य : मिनिस्टर साहब को खड़ा क्यों कर रखा है?

श्री अमृतलाल यादव : माननीय सदस्य चाहते हैं उसकी जाँच करवा ली जायगी। कार्पोरेशन की बसेज वहां चलती हैं सो उससे उसका सम्बन्ध नहीं है। प्राइवेट बसेज को सवारी उठाने का अधिकार नहीं है और कहीं ऐसा हुआ है तो उसकी जानकारी करूंगा।

श्री रामकिशन (बैर) : नसीराबाद तक रोडवेज और प्राइवेट बसेज चलती हैं तो घाटा तो होगा ही, आप मंजूर क्यों नहीं कर लेते हैं? सीधा सा प्रश्न है। जवाब सीधा ही दिया जाना चाहिये कि असली प्रश्न तो यह है कि रोडवेज को घाटा हो रहा है।

श्री अमृतलाल यादव : सवारी उठाने का अधिकार नहीं है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : एक प्रश्न है।

श्री मनोहरसिंह मेहता : रास्ते की सवारियां लेती हैं तो गलत है।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। श्री भैरोंसिंह।

श्री भैरोंसिंह : स्टेट कार्पोरेशन में घाटा हुआ है उसको दृष्टि में रखते हुए नयी स्कीम नेशनेलाईजेशन की किस आधार पर ली है? घाटा मल्टीप्लाई होगा या कम होगा?

श्री अमृतलाल यादव : नयी स्कीम ली जाती है हाथ में उसके लिए एक आधार है और उसको देख कर ही वह ली जाती है। कोई घाटा न रहे उसकी कोशिश की जाती है। घाटा है वह मिटे और मुनाफा रहे।

श्री भैरोंसिंह : इस समय रोडवेज की बसेज चल रही हैं और बसेज में वर्किंग...

(श्री भैरोंसिंह)
पोइन्ट ग्रोफ व्यू से जो घाटा हो रहा है उसको ध्यान में रखते हुए नयी स्कीम आप लेंगे तो घाटा मल्टीप्लाई होगा उस नयी स्कीम के लेने से इस पर आपने पहले विचार किया है या नहीं ?

श्री अमृत लाल यादव : इस प्रश्न पर गवर्नमेंट विचार कर रही है ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : क्या राजस्थान सरकार की यह नीति है कि सारे राजस्थान में रोडवेज का नेशनेलाईजेशन हो जाय किन्तु केवल मात्र उदयपुर डिविजन में रोडवेज नेशनेलाईज नहीं हो ?

श्री अमृतलाल यादव : जी नहीं ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : क्या कारण है कि रोडवेज का नेशनेलाईजेशन उदयपुर में नहीं हो रहा है ?

श्री अमृत लाल यादव : कानूनी सवाल है । मामला हाईकोर्ट में गया हुआ है ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : क्या मैं यह समझूं कि कानूनी समस्या केवल उदयपुर डिविजन में ही लागू होती है, अन्य राजस्थान के क्षेत्रों में लागू नहीं है ?

श्री अमृतलाल यादव : ऐसी कोई बात नहीं है । कानूनी समस्या सामने आती है तो········।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : पूरी तरह स्पष्टीकरण करिये । कानूनी बहाना बाजी को मत लीजिये ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 6 ।

श्री अमृतलाल यादव : मैंने कहा न कि मामला हाईकोर्ट में गया हुआ है ।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : अध्यक्ष महोदय मैं यह जानना चाहता हूं कि यह कोई राजनीतिक मजबूरी है या कानूनी आड़ ली जा रही है ?

श्री अध्यक्ष : श्री दीपचन्द ।

फलौदी में डिग्री कालेज

6. **श्री दीप चन्द छंगानी (फलौदी)** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) फलौदी में डिग्री कालेज कब से खोले जाने की योजना है ।

(2) क्या यह सही है कि फलौदी में डिग्री कालेज खोले जाने के संदर्भ में पहले नगरपालिका फलौदी व राज्य सरकार के बीच न केवल काफी पत्र व्यवहार ही हुआ था बल्कि नगरपालिका फलौदी ने जन सहयोग से कालेज बिल्डिंग बनवाकर देने का लिखित वायदा भी किया था तथा राजस्थान यूनिवर्सिटी के अधिकारी कालेज बिल्डिंग के लिये स्थान का चयन भी फलौदी आकर कर गये थे ?

शिक्षा मंत्री (श्री शिवचरण माथुर) : अध्यक्ष महोदय मैं इस प्रश्न के उत्तर के लिये स्थगित करने के लिये निवेदन करता हूं ।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया । नेक्स्ट । श्री रावत राम ।

कृषि विभाग में सहायक डीलर्स की नियुक्तियां

7. श्री रावत राम (छापर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि कृषि विभाग की एग्रीकल्चर बोरिंग स्कीम में असिस्टेंट डीलर्स की नियुक्तियां की गई हैं, यदि हां तो कुल कितनी ।

(2) क्या यह सही है कि असिस्टेंट डीलर्स के लिये अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों की भी दरख्वास्तें आई थीं । यदि हां, तो उनमें से कितने लोगों को नौकरी दी गई है । सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उप–मंत्री, कृषि (श्री हरि सिंह)

(1) जी हां, 8 नियुक्तियां की गई हैं ।

(2) जी हां, एक दरख्वास्त एम्पलायमेंट एक्सचेंज ने फारवर्ड की थी और उसकी नियुक्ति कर दी गई । जिनका नाम श्री भागीरथ मल है ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट:–

रेल दुर्घटना में मारे गये विद्युत् विभाग के स. अभियन्ताओं को आर्थिक सहायता एवं पेंशन

8. श्री रामकिशन (वैर) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि 15 जून, 1965 को देवगढ़ मदारिया (उदयपुर) में 6 सहायक अभियन्ता विद्युत् विभाग रेल दुर्घटना में मारे गये थे ?

(2) क्या यह सही है कि यह सभी मृतक उस समय राजकीय कार्य से गये थे ?

(3) क्या इन मृतकों के परिवारों को सरकार की तरफ से कुछ भी आर्थिक सहायता पेन्शन आदि दी गई है ? अगर नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या स्वर्गीय श्री कमलेश्वर भट्ट की विधवा पत्नी श्रीमती लक्ष्मीदेवी भट्ट ने सरकार का ध्यान कई बार इस ओर प्रार्थना-पत्र देकर आकर्षित किया है ?

विद्युत् मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) :

(1) यह दुर्घटना 15 जून, 1964 में हुई थी तथा जिसमें एक सहायक-अभियन्ता, दो कनिष्ठ अभियन्ता और एक मैकेनिक की मृत्यु हुई थी ।

(2) जी हां ।

(3) जी हां । इन मृतकों के परिवारों को बारह मास की तनख्वाह बतौर एक्स ग्रेसिया पेमेन्ट की गई थी । तथा इनमें से दो कर्मचारी पेन्शन के अधिकारी थे उनको पेन्शन दे दी गई है । तथा दो कर्मचारी केवल सी. पी. एफ. के थे जिनके पेमेन्ट के लिये बोर्ड से आदेश दे दिये गये हैं ।

(4) जी हां, कमलेश्वर भट्ट का सी. पी. एफ. के पेमेन्ट का फैसला हो गया है ।

श्री रामकिशन : क्या इनका पेमेन्ट कर दिया गया है ?

विद्युत् मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : पेमेन्ट के आर्डर्स हो गये हैं। मेरे पास तत्काल तो कोई इनफर्मेशन अवेलेबिल नहीं है मगर आर्डर्स सितम्बर में ही हो चुके हैं। मेरा ऐसा ख्याल है कि उनको पैसा मिल गया होगा।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल बाजार, जयपुर): क्या यह सही है कि इस प्रकार की घटनाओं में मृतकों के परिवारों को कम्पनशेट करने के लिये अलग अलग विभागों ने अलग अलग नियम बना रखे हैं ?

श्री हरिदेव जोशी : मुझे दूसरे विभागों का पता नहीं है अगर यह एक ऐसी घटना थी जिसके लिए कोई प्रावधान नहीं था इसलिए गवर्नमेंट ने एक स्पेशल निर्णय लेकर किया है। बोर्ड ने भी अपनी बैठक में इस प्रकार के केसेज में क्या करना चाहिए कुछ निर्णय लिया है।

श्री भैरोंसिंह : कई विभागों में इस प्रकार के नियम नहीं हैं। इस प्रकार के नियम नहीं बनने से ऐसे लोगों को सहायता नहीं मिलती है तो क्या राज्य सरकार विचार करेगी कि ऐसी क्षति पूर्ति के लिए राज्य सरकार सामान्य नियम बना कर अपने सब विभागों पर लागू करेगी।

श्री हरिदेव जोशी : यह होना चाहिए मैं गवर्नमेंट को इसके लिए मूव करूंगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री सालोदिया

रोडवेज की समय सारिणी

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) रोडवेज की बसें समय पर रवाना न होने या किसी निश्चित स्थान पर समय पर नहीं पहुँचने के मामलों में अब तक किन किन के खिलाफ क्या क्या कार्यवाही हुई है। सूचि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या रोडवेज द्वारा कोई समय सारिणी प्रकाशित हुई है ? यदि हां, तो उसकी प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

(3) बसों के लेट हो जाने की सूचना मुख्य मुख्य स्टेशनों पर यात्रियों को देने की क्या व्यवस्था है ?

उप-मंत्री यातायात (श्री शिवचरणसिंह):

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) समय सारिणी प्रकाशित हो चुकी है। प्रतियां प्रेस में छपने गई हैं प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) मुख्य मुख्य स्टेशनों पर जहां आगार स्थित है सूचना-पट द्वारा बसें विलम्बित होने की सूचना दी जाती है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री जयनारायण सालोदिया यह जो सूची आपने दी है वह कौन से ता. की है ?

श्री शिवचरण सिंह : उसमें तारीखें दी हैं। आप देख लीजिए।

श्री जयनारायण सालोदिया : जहां तक मेरी जानकारी है यह सूची एक महीने की बनती है या एक साल की। आपने यह भी नहीं लिखा है कि यह कब से कब तक की है।

श्री शिवचरणसिंह : आपने जिस पीरियड की मांगी है उसी की है। आप इसे देख लीजिये।

श्री जयनारायण सालोदिया : आपको कैसे स्वप्न आ गया कि यह उस पीरियड की है। मैंने तो वह मांगी ही नहीं है कि कब तक की है।

श्री शिवचरणसिंह : लेटेस्ट सूचना पेश करदी गई है।

श्री जयनारायण सालोदिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो लेटेस्ट सूची है इसमें यह जानकारी नहीं मिल रही है कि कितने चालान किये गये और कितने ससपेन्ड किये गये–समय पर रवाना नहीं होने के कारण कितने किये हैं और निश्चित स्थान पर नहीं पहुंचने के कारण कितने किये हैं।

श्री शिवचरणसिंह : यह सूची देख लीजियेगा। इस सूची में दे दिया गया है।

श्री जयनारायण सालोदिया : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न पूछने का क्या मतलब हुआ। इनको कुछ जानकारी ही नहीं है ?

एक माननीय सदस्य : यह सुखाड़िया साहब के नमूने हैं साहब।

श्री जयनारायण सालोदिया : मैंने स्पष्ट पूछा है कि समय पर बस नहीं रवाना होने के कितने केसेज हैं और निश्चित् समय पर नहीं पहुँचने के कितने मामले हैं।

श्री अध्यक्ष : जो कमियां रही हैं, उन कमियों के अलावा जो माननीय सदस्य जानना चाहें वह दें।

श्री विजयसिंह रावत : (नसीराबाद) : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जो प्रश्न पूछा गया है कि समय पर बस रवाना नहीं होने के कितने केसेज हैं और निश्चित स्थान पर समय पर नहीं पहुँचने के कितने मामले हैं इसके अन्दर जो घटनायें हुई हैं और जो मुसाफिरों को परेशानियां हुई है वह बताने की कृपा करें। राईट टाईम पर नहीं पहुँची है और ठीक समय पर स्टार्ट नहीं हुई है–इसके तहत जो गलती हुई है और जिन कर्मचारियों को सजा दी गई है, उन्हें बताने की कृपा करें।

श्री जयनारायण सालोदिया : प्रश्न नं. 2 के उत्तर में आपने कहा है कि सूची दे दी गई है मुझे तो कोई समय सारिणी की सूची नहीं मिली है कृपया बतायें।

श्री शिवचरणसिंह : सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

श्री जयनारायण सालोदिया : आप कह रहे हैं सूची रख दी गई है। मुझे तो नहीं मिली है। अगर मगर क्या है इसमें।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री विजयसिंह रावत : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि

(श्री विजयसिंह रावत)
यह समय सारिणी जो स्टेट रोडवेज की बसेज की बननी है वह पूरे साल की बनती है या एक एक महीने की बनती है . अगर एक महीने की बनती है तो क्या वह सूची ले महीने की बन चुकी है और क्या साल भर की बनती है तो क्या वह समय सारिणी पब्लिश हो गई है या नहीं ? नहीं होने के क्या कारण हैं।

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है। आर्डर प्लीज।

श्री विजयसिंह रावत : अध्यक्ष महोदय समय सारिणी सूची बनी तक नहीं है।

श्री श्रवण लाल (हिन्डौन) : क्या यह सच है कि इस बात पर जनता परेशान है इसलिए यह कहा जा रहा है ? आप इस समय सारिणी को नहीं निकालना चाहते हैं। कहने के हकदार हैं। आपका कर परेशान विभाग है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि वह इसी प्रकार चलेगा।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। श्री केदार।

जामसर जिप्सम खान मजदूरों के मंहगाई भत्ते का मामला

10. **श्री केदार नाथ :** (श्री गंगा-नगर : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जामसर जिप्सम खान मजदूरों के मंहगाई भत्ते का मामला ट्रिब्यूनल में कब से विचारार्थ था तथा उनका एवार्ड कब मिला ?

(2) क्या यह सही है कि कम्पनी में राज्य सरकार के काफी हिस्से तथा उनके बोर्ड में डाइरेक्टरों के होते हुये भी कम्पनी ने अवार्ड के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की है ? यदि हां तो क्या इसमें राज्य सरकार की राय ली गई थी ? यदि हां, तो राज्य सरकार ने क्या राय दी ?

खनिज मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : (1) यह मामला ट्रिब्यूनल में 19-2-66 को दिया गया तथा ट्रिब्यूनल ने उसका एवार्ड 4-2-67 को दिया।

(2) जी हां, बोर्ड आफ डायरेक्टर्स ने कम्पनी के हित में यही तय किया राज्य सरकार की राय नहीं ली गई थी।

श्री केदार नाथ : क्या एग्रीमेंट के मुताबिक राज्य सरकार की कन्सेन्ट लेना लाजमी नहीं था ?

श्री हरिदेव जोशी : बोर्ड के डायरेक्टर्स ने निर्णय कर लिया है। उसको अब सुप्रीम कोर्ट में लिख कर दे दिया है। कोई डिसप्यूट नहीं है।

श्री केदार नाथ : क्या यह सच है कि बोर्ड के रिप्रेजेनटेटिव उसमें हैं ?

श्री हरिदेव जोशी : जी हां।

श्री केदार नाथ : उसमें राय लेने से पहले सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिये सरकार का क्या मत है ?

श्री हरिदेव जोशी : हर इश्यू पर डायरेक्टर्स के लिये गवर्नमेंट को पूछना लाजमी नहीं है। जहां तक इस पर्टिक्यूलर

(श्री हरिदेव जोशी)
इश्यू का सवाल है वहां कोई राय नहीं दी है। मगर बाद में दोनों के बीच में समझौता कराने का प्रश्न है।

श्री भैरोंसिंह : क्या बोर्ड के रिप्रेजेनटेटिव्ज ने निर्णय देने से पूर्व राज्य सरकार की स्वीकृति नहीं ली थी ?

श्री हरिदेव जोशी : सवाल यह नहीं है उस पर्टिक्यूलर डिसप्यूट के बारे में गवर्नमेंट ने कोई डाइरेक्शन दिये थे या नहीं किन्तु इन्वेस्टमेंट के बारे में निश्चित रूप से गाईडेन्स दे सकती है। इस पर्टिक्यूलर प्रश्न के बारे में यह पूछा नहीं गया है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह माना जाय जब गवर्नमेन्ट के नोलेज में यह बात नहीं कि सुप्रीम कोर्ट में जाया जाय क्या इसको सरकार उचित समझती है ?

श्री हरिदेव जोशी : इसमें अध्यक्ष महोदय उचित अनुचित का प्रश्न नहीं बोर्ड आफ डायरेक्टर्स ने कम्पनी के इन्टरेस्ट में कम्पनी सेफ रहे उसको कम या ज्यादा पैसा देने का सवाल था इसलिये बोर्ड आफ डायरेक्टर्स ने तय किया कि सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिये।

श्री भैरोंसिंह : जो बोर्ड आफ डायरेक्टर्स ने निर्णय लिया राज्य सरकार उसको एप्रूव करती है ?

श्री हरिदेव जोशी : इसमें एप्रूव करने का सवाल नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : इसमें सरकार के दो प्रतिनिधि हैं। क्या उन्होंने इस बारे में ओपीनियन एक्सप्रेस की है और उसी को राज्य सरकार एप्रूव कर रही है ?

श्री हरिदेव जोशी : मैंने स्पष्ट कर दिया राज्य सरकार के तीन डायरेक्टर्स वहां पर हैं उन्होंने कोई ओपीनियन नहीं दी और इस स्थिति में बोर्ड आफ डायरेक्टर्स ने फैसला ले लिया कि सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिये।

श्री भैरोंसिंह : तो माना जाय कि सरकार के प्रतिनिधि न्यूटरल रहे ?

श्री हरिदेव जोशी : उन्होंने कोई राय नहीं दी।

श्री भैरोंसिंह : न्यूटरल रहे क्या ?

श्री हरिदेव जोशी : आप जो सूचना मांग रहे हैं वह मैं दे रहा हूं मेरे पास जैसी सूचना है उन्होंने कोई ओपीनियन नहीं दी।

श्री केदारनाथ : राज्य सरकार के इसमें कितने शेयर्स हैं ?

श्री हरिदेव जोशी : फिलहाल लगभग 45 प्रतिशत। आगे और भी बढ़ सकते हैं।

श्री रामकिशन : गवर्नमेन्ट के प्रतिनिधि उसमें हैं और सरकार की एक श्रम नीति है उसके अनुसार गवर्नमेन्ट के प्रतिनिधियों ने राय नहीं दी केवल दर्शक की तौर पर न्यूटरल रहे क्या यह सरकार की श्रम नीति के खिलाफ आचरण नहीं है ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री रामकिशन : यह बहुत बड़ा सवाल है मजदूरों के लिये आप ट्रिब्यूनल बताते हैं उसमें सरकार के प्रतिनिधि रहते हैं

Page No. 18

(श्री रामकिशन)
दर्शक की तौर पर बैठे रहते हैं। क्या वे इस तरह से सरकारी नीति की पालना करते हैं ?

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : क्या सरकार इस प्रश्न पर मौन है या अध्यक्ष महोदय की शरण ले रही है ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री फतेहसिंह ।

ब्यावर टाडगढ़ मार्ग पर बसें

श्री **फतेहसिंह** (ब्यावर) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) ब्यावर टाडगढ़ मार्ग पर चलने वाली कितनी बसें पास हैं ?

(2) क्या यह सही है कि इन बसों में से केवल 5 बसें ही प्रतिदिन टाडगढ जाती हैं एक बस तारागढ रुक जाती है और दो बसें भीम तक ही जाकर रुक जाती हैं जिससे जनता को परेशानी उठानी पड़ती है ?

(3) क्या सरकार ऐसा प्रबन्ध करायेगी ताकि इस मार्ग पर चलने वाली सब बसें टाडगढ़ तक जाया करें।

उप-मंत्री यातायात (श्री शिवचरणसिंह) :

(1) ग्यारह बसें पास हैं ।

(2) यह सही है मगर भीम तक तीन बसें जाती हैं । जनता की परेशानी की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

(3) ऐसी अभी आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई । आवश्यकता होने पर विचार किया जावेगा ।

कई माननीय सदस्य : जरा आप जोर से बोलिये ।

श्री अध्यक्ष : उप-मंत्री महोदय ! आप अध्यक्ष महोदय के कन्धों पर ज्यादा दायित्व न बढ़ायें ।

श्री **शिवचरण सिंह :** ग्यारह बसें पास हैं ।

(2) यह सही है मगर भीम तक तीन बसें जाती हैं । जनता की परेशानी की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई ।

(3) ऐसी अभी आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई । आवश्यकता होने पर विचार किया जायगा ।

श्री फतेहसिंह : 11 बसें जब पास हैं वे सब वहां तक क्यों नहीं जातीं ?

श्री शिवचरणसिंह : उनमें से तीन बसें भीम जाती हैं बाकी बसें टाडगढ़ जाती हैं ।

श्री फतेहसिंह : सब बसें क्यों नहीं जाती ?

श्री शिवचरणसिंह : मैंने निवेदन किया तीन भीम तक जाती हैं बाकी टाडगढ़ तक जाती हैं।

श्री **फतेहसिंह :** सब बसें टाडगढ़ तक जानी चाहियें ।

यातायात मंत्री (श्री अमृतलाल यादव) : जितनी सवारियां हैं उतनी बसों को परमिट

(श्री अमृतलाल यादव)
दिया है अगर माननीय सदस्य कहते हैं कि सवारियां ज्यादा हैं तो इसके बारे में व्यवस्था की जायगी। इन बसों की यह शिकायत है कि उनको पूरी सवारियां नहीं मिलती।

श्री फतेह सिंह : मेरा निवेदन है कि इस मार्ग पर भीम और टाडगढ़ के बीच में जनता को बसेज की कमी के कारण असुविधा उठानी पड़ती है। अतः आप जानकारी करके जब कि उनके पास टाडगढ़ तक के पास हैं वहां तक वे बसें क्यों नहीं जाती, इसकी जानकारी करके सवारियों की सुविधा के लिये उचित आदेश देंगे ?

श्री भैरोंसिंह : जब 11 बसेज के परमिट्स हासिल हुये हैं और तीन बसेज ही जाती हैं तो क्या इस बारे में आर.टी.ओ. से परमिशन ली गई है ?

श्री शिवचरण सिंह : एक बस का रूट अस्सी मील होना चाहिये।

श्री भैरोंसिंह : मैं यह पूछता हूं आर. टी. ए. से परमिशन ली है या नहीं ?

श्री शिवचरणसिंह : 11 बसेज को परमिट दिया गया वे अपनी टर्न वाइज प्रोसीजर के हिसाब से आते जाते हैं तीन बसेज भीम तक जाती हैं।

श्री भैरोंसिंह : मेरा सवाल है आर. टी. ए. से परमिशन ली गई या नहीं ?

श्री अमृतलाल यादव : 11 बसेज हैं तीन गाड़ी भीम तक जाती हैं अजमेर के समय से 11 बसें हैं पांच बसें रोटेशन से चलती हैं।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह माना जाय कि इस प्रकार जो बसें रोटेशन से चलती हैं उनके लिये आर. टी. ए. की कन्डीशन्स में प्रेसक्राइब्ड हैं क्या उन्होंने इनको रेगुलेट किया है ?

श्री अमृतलाल यादव : जी हां। आर. टी. ओ. के आदेश से ही बसें चलती हैं। इस पर भी पेसेन्जर्स को तकलीफ होती है तो उसको दूर करने का प्रयास किया जायगा।

श्री विजयसिंह रावत : आप इस मार्ग पर मेरे साथ चलिये आपको पता लगेगा कितना रश है।

श्री अमृतलाल यादव : उसकी व्यवस्था कर दी जायगी।

श्री फतेहसिंह : आपकी यह रिपोर्ट भी गलत है कि तीन बसेज के लिये भी सवारियां काफी नहीं हैं आप चलिये आपको पता लगेगा कितना रश रहता है।

श्री विजयसिंह रावत : जो परमिट दिये गये हैं क्या सवारियों के आंकड़े देख कर दिये गये। आप जो जवाब दे रहे है उसमें कोई तथ्य नहीं है। ऐसे ऐसे मंत्री बिठा दिये जिनको जवाब तक देना नहीं आता। सुखाड़ियाजी ऐसे मन्त्री क्यों रखे हैं ? जिनको सवाल का जवाब तक देना नहीं आता। यह जनता के पैसे का दुरुपयोग करते हैं।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : यह तो सुखाड़ियाजी की मजबूरी है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या यह सही है कि आर. टी. ए. से यह परमिट

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
ब्यावर से टाडगढ़ तक का मन्जूर है बिना आर. टी. ए. की मन्जूरी के बिना भी बस आपरेटर को यह अधिकार नहीं है कि वह अपना निजी फैसला करके अपनी सुविधानुसार किसी रूट पर चलाये?

श्री अमृतलाल यादव : जी हां, नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : तो क्या इन ऑपरेटर्स ने बगैर आर. टी. ए. की मन्जूरी के इन रूट्स पर बस चलाना बन्द किया?

श्री अमृतलाल यादव : बगैर मन्जूरी के नहीं किया।

श्री भैरोंसिंह : आप सदन की जानकारी के लिये वह कागज सदन की मेज पर रख दें जिससे इनको इस प्रकार की इजाजत दी गई हो।

श्री अमृतलाल यादव : प्रश्न का भाग 2 इस प्रकार है:—"क्या यह सही है कि इन बसों में से केवल 5 बसें ही प्रतिदिन टाडगढ़ तक जाती हैं और एक बस तारागढ़ रुक जाती हैं और दो बसें भीम तक ही जाकर रुक जाती हैं जिससे जनता को परेशानी उठानी पड़ती है?" तो इसके जवाब में हम लोगों ने निवेदन किया कि इस समय भीम से टाडगढ़ तक 3 बसें जाती हैं और कितनी बसें जावें कितनी नहीं जावें इसका आर. टी. ओ. हिसाब करता है और उस हिसाब से बसें चलती हैं। आप कहते हैं ज्यादा सवारियां हैं और वे परेशान होती हैं तो इसकी जांच करवा लेंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मन्त्री महोदय अपनी जानकारी को ठीक करें। आर. टी. ओ. की तरफ से परमिशन उन बस ऑपरेटर्स को नहीं मिली। ये ब्यावर से टाडगढ़ तक बसें न ले जाकर बीच में ही रोक देते हैं। वे मनमानी करते हैं।

श्री अध्यक्ष : यह जानकारी आप करलें कि आर. टी. ओ. की तरफ से परमिशन है क्या?

श्री अमृतलाल यादव : यह जानकारी करके बता देंगे।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 12।

जयपुर दुग्ध वितरण योजना में नियुक्तियों के मामले

श्री श्रवणलाल (हिन्डोन) : क्या पशुपालन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सत्य है कि जयपुर दुग्ध वितरण योजना में कई दैनिक वेतन भोगी एवं नियमित वेतन श्रृंखला (टेम्परेरी सर्विसेज) वाले कर्मचारियों की पदों से अवनति, स्थानान्तरण, निलम्बन एवं राज्य सेवा से मुक्ति की गई है?

(2) यदि हां, तो क्यों व कब कब?

(3) क्या पदों से अवनत, स्थानान्तरित एवं सेवा से मुक्त किये गये कर्मचारियों के स्थान पर अन्य कर्मचारियों को नियुक्त कर दिया गया है? यदि हां, तो क्यों?

(4) उपरोक्त पदों पर कार्य कर रहे गत तीन वर्षों के दैनिक वेतन भोगी कर्म-

(श्री श्रवणलाल)

चारियों को नियमित वेतन श्रृंखला में नियुक्ति का मौका क्यों नहीं दिया गया ?

उप-मन्त्री, पशुपालन विभाग (श्री हरिसिंह) : (1) जी हां।

(2) पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रख दिया है।

(3) नियमित कर्मचारियों के रिक्त स्थानों पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा एवं सीधी भरती व तबादलों द्वारा नियुक्ति की जा चुकी है। इस योजना में अधिकतर दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी हैं जिनके स्थान रिक्त रखने से सरकारी कार्य में हानि होती है तथा कार्य सुचारुरूप से नहीं चल सकता। अतः समय पर दुग्ध प्राप्त करने एवं वितरण करने के लिए राज्य हितों को ध्यान में रखते हुए व कार्य को अधिकता के कारण समय-समय पर दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है।

(4) दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित सेवा में लेने के लिए राज्य सरकार से स्टाफ पेटर्न दिनांक 26-4-67 को प्राप्त होने पर विभागीय स्क्रीनिंग कमेटी ने सब कर्मचारियों से दिनांक 30-12-67 को साक्षात्कार करने के पश्चात् उनकी योग्यता व सेवाओं को ध्यान में रखते हुए उनको नियमित सेवा में लेने के आदेश जारी कर दिये हैं जिन कर्मचारियों की योग्यता, क्वालिफिकेशन निर्धारित नहीं हुई है, उनकी क्वालिफिकेशन निर्धारित होने पर स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा उनका साक्षात्कार होने पर उचित कार्यवाही की जावेगी।

(कृपयां परिशिष्ट 2 देखिये)

श्री श्रवणलाल : जिन कर्मचारियों को दैनिक वेतन पर रखा उनको अलग करने के समय तक उनका सेवा काल किस किस का कितने कितने समय का हो चुका था ?

श्री हरिसिंह : पूरी डिटेल तो मुझको याद नहीं इस समय, पर किसी को साल, डेढ साल और किसी को तीन साल भी हुए हैं।

श्री श्रवणलाल : क्या यह सच है कि अधिकतर अवकाश पर रहने के कारण या आफिस की कुछ मान्यताओं की अवहेलना के कारण इन लोगों को सर्विस से हटाया गया है ?

श्री हरिसिंह : नहीं, ऐसा तो नहीं है। फिर भी सदन की मेज पर उसका पूरा विवरण रख दिया गया है। अगर अध्यक्ष महोदय कहें तो उसे पढ़ दिया जाय।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : इस विभाग में अभी तक सेवा नियम लागू नहीं हुए हैं, क्या यह सही है ?

श्री हरिसिंह : इसके लिये अलग से सूचना पूछ लीजिये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या इस विभाग के कोई मन्त्री सदन को इसकी सूचना दे सकते हैं कि इस विभाग में सेवाओं के नियम बने हुए हैं या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : विभाग के उप मन्त्री ही तो जवाब दे रहे हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सो रहे थे क्या ? क्या कह रहे थे ? दीजिये जवाब ।

श्री हरिसिंह : नियम बने हुए हैं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं सर्विस रूल्स की बात पूछ रहा हूँ । क्या इस दुग्ध वितरण विभाग में कोई सर्विस रूल्स लागू हैं कि जिनके तहत वहां की सर्विस वाले रेग्युलेट होते हैं ।

कृषि मंत्री (श्री शोभाराम) : जिनकी नियुक्ति का सवाल था स्क्रीनिंग कमेटी उनके लिए बैठी हुई है । पदों की योग्यता के आधार जारी कर दिये गये हैं । जिनकी योग्यताओं का आधार अभी तक तय नहीं हुआ है उनके लिए जल्दी ही फैसला कर दिया जावेगा । फिर सर्विस रूल्स भी बनाये जा रहे हैं और उम्मीद करता हूँ दो महीने में सर्विस रूल्स कम्पलीट होकर जारी कर दिये जावेंगे ।

अब जहां तक लोगों के हटाने का सवाल है, तो उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है और उसमें हरेक के बारे में अच्छी तरह से बताया है कि किन किन कारणों से उन्हें हटाया गया है । अगर कोई देखना चाहे और व्यक्ति विशेष के बारे में और जानकारी करना चाहे तो कर सकता है ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या यह सही है कि सेवा नियम गजट में प्रकाशित हो चुके हैं ?

श्री अध्यक्ष : बनाये जा रहे हैं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : नहीं साहब,

एक माननीय सदस्य : यह तो छीका ही टूटा हुआ है । कुए में ही भांग पड़ी है ।

श्री भैरोंसिंह : आपने फाइनल सेंक्शन की बात कही, पर फाइनल सेंक्शन से पहले ड्राफ्ट कब प्रकाशित हुआ है ?

श्री शोभाराम : मैंने अर्ज किया कि कुछ सर्विसेज के बारे में तो स्क्रीनिंग कमेटी ने क्वालिफिकेशन निर्धारित करदी है । कुछ की करनी बाकी है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हम पूछ रहे हैं सर्विस रूल्स के बारे में । सर्विस रूल्स के बारे में स्क्रीनिंग कमेटी ने ड्राफ्ट कब बनाया ?

श्री शोभाराम : इसकी जानकारी करके बता सकूंगा ।

श्री श्रवणलाल : क्या यह सही है कि उन व्यक्तियों के प्रति भी वही चार्ज थे जो आपके विभाग से स्थानान्तरित होकर आये और जिनको हटाया गया ।

श्री शोभाराम : जितने व्यक्ति हटाये गये, उनमें तीन प्रकार के केस हैं । एक डिपार्टमेन्ट से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रान्सफर होकर आये हैं, दूसरे वे जो सेवा में दुबारा नहीं लगाये गये । तीसरे वे जो कार्यवाही खतम होने के बाद लगाये गये ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या ये जयपुर दुग्ध वितरण योजना के कर्मचारी राज्य कर्मचारियों की परिभाषा में आते हैं ?

श्री शोभाराम : इनमें दो तरह की सर्विसेज वाले हैं । वर्किंग डेली चार्ज वेसिस पर । उनके लिए तो अभी कोई फाइनल

(श्री शोभाराम)

डिसीजन नहीं हुआ है। जो परमानेन्ट सर्विस पर हैं उनके लिए रूलस कम्पलीट हो चुके हैं। अधिकतर तो लोग इसमें डेली वर्क चार्ज बेसिस पर लिये जाते हैं।

श्री श्रवणलाल : क्या यह सत्य है कि जिनका विभाग से ट्रान्सफर हुआ वही चार्ज उन पर थे और वही चार्ज उन पर थे जिनको आपके विभाग से हटाया गया। तो क्या इन सबके चार्ज एक से थे ?

श्री शोभाराम : यदि कोई खास केस जिसमें आपको मालूम पड़ता हो कि ज्यादती की गई है तो वह केस, मैं समझता हूं, हमारे नोटिस में लाएं, हम देख सकते हैं पर जो सर्विसेज के केसेज हैं, मैंने बताया अधिकतर को दुबारा ले लिये गये हैं या दूसरे विभाग में ट्रान्सफर कर दिये गये हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री जुझारसिंह।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : एक केस का मामला नहीं है इसमें, इस सारे ही विभाग में भयंकर घोटाला है, इसमें सारी नियुक्तियों में भयंकर पक्षपात, अनियमितताएं और घोटाले किये गये हैं। हिसाब किताब में लाखों का घोटाला है, आप लोगों को सस्पेण्ड कर रहे हैं। आप इस सारे विभाग की इस सारी ही योजना की नीचे से ऊपर तक जांच करवाएं।

श्री शोभाराम : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो स्कीम है दुग्ध वितरण योजना की इसके सम्बन्ध में सरकार स्वयं दुबारा गौर करना चाहती है और इस को किस तरह से प्रोफिटेबल और कामर्शियल बेसिस पर चलाया जाय इसके बारे में सोच रही है और जो घाटा इसमें अब तक हो चुका है उसको शनै-शनै काम करके किस तरह से इसे सामान्य स्तर पर लाया जाय इस पर सरकार विचार कर रही है ताकि जो दिक्कतें जनता को दुग्ध प्राप्त करने आदि में हो रही हैं वे दुबारा न होने पावें। इस सम्बन्ध में सरकार एक नई योजना तैयार कर रही है और इसकी सेवाओं का पुनर्गठन करने में क्या क्या आवश्यक कार्यवाही करने को है वह सब सरकार सोच रही है और उम्मीद कर रही है कि एक साल के अन्दर जो हालत आज माननीय सदस्य देख रहे हैं और जिस प्रकार से जिस पैमाने पर माननीय सदस्य कह रहे हैं उसमें काफी इम्प्रुवमेन्ट मिलेगा।

(12 मध्यान्ह पश्चात्)

श्री अध्यक्ष : श्री जुझारसिंह।

कोटा बारां व कोटा सांगोद मार्ग पर निर्धारित बसें

श्री जुझारसिंह (रामगंज मंडी) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कोटा–बारां व कोटा–सांगोद पर कुल कितनी बसें पास हैं और उनके क्या क्या समय निर्धारित हैं ?

(2) क्या जितने परमिट इन रूट्स पर दिये हुए हैं उनकी सब बसें इन मार्गों पर चल रही हैं ? यदि नहीं, तो कितनी ऐसी बसें हैं जो नियमित रूप से नहीं चल रही हैं या पिछले समय से नहीं चलीं हैं ? इन बसों के नहीं चलने के कारणों व

(श्री जुझारसिंह)
उनके विरुद्ध सरकार द्वारा की गई अब तक की कार्यवाही से भी अवगत कराने की कृपा करें ?

(3) किसी रूट पर बसों की तादाद फिक्स करने के लिए विभाग द्वारा किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है और क्या उपरोक्त रूट्स पर चल रही बसों व उनके टाइमिंग्स से जनता को सुविधा मिल रही है ?

(4) रूट्स के टाइमिंग्स में सब को एक सी सुविधा देने के लिए क्या सरकार इन टाइमिंग्स को सप्ताह या महीनों के रोटेशन से बदलने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो रोटेशन कायम करने में सरकार को क्या आपत्ति है और क्या इस प्रकार का प्रयोग किसी रूट पर पहले किया जा चुका है जिससे सरकार इस पद्धति को ठीक नहीं मानती ?

उपमंत्री यातायात (श्री शिवचरणसिंह) : (1) कोटा बारां पर 6 बसें पास हैं । कोटा से सांगोद जाने के लिए तीन मार्ग हैं ।

(1) कोटा-सांगोद वाया दर्रा कनवास ।

(2) कोटा–सांगोद वाया कुन्दपुर, कैंथुन, किशनपुर, रेलगांव ।

(3) कोटा–सांगोद वाया कैंथुन, देवली ।

इनमें पहले मार्ग पर तीन, दूसरे पर एक और तीसरे पर दो बसें पास हैं । समय तालिका संलग्न है ।

(2) कोटा बारां मार्ग पर सभी परमिट वाली बसें नियमित रूप से चल रही हैं । कोटा–कुन्दपुर, कैंथुन, किशनपुरा और रेलगांव होकर सांगोद जाने वाले कच्चे मार्ग को छोड़कर सभी मार्गों पर इस समय बसें नियमित रूप से चल रही हैं । उक्त मार्ग वर्षा के बाद सेवल से चालू नहीं हो पाया है, क्योंकि पूरे रास्ते में अभी पानी नहीं सूखा है ।

पिछले समय कोटा दर्रा सांगोद मार्ग पर चलने वाली नियमित रूप से चलती नहीं पाई गई और इसलिए उस पर 18–9–67 को 100) जुर्माना हुआ ।

इसी प्रकार उपरोक्त कच्चे मार्ग पर चलने वाली एक गाड़ी पर भी 8–12–67 को 200) रुपये जुर्माना हुआ ।

(3) रूट पर बसों की तादाद फिक्स करने के लिए निम्न बातों का ध्यान रखा जाता है:—

(1) आबादी का घनत्व ।

(2) मण्डियां व्यापारिक केन्द्र ।

(3) मार्ग में पड़ने वाले गांवों का महत्व ।

(4) मार्ग जिला अथवा एस. डी. एम. या तहसील वगैरा को जोड़ता है ।

(5) बस को कम से कम 80 मील मिलते हों ।

(6) मौजूदा सर्विस अगर हो तो उनका ध्यान रखा जाय ।

Page No. 25

(श्री शिवचरणसिंह)

उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए सम्बन्धित पार्टियों को सुनकर आर. टी. ए. बसों की संख्या तय करती है।

बसों से व उनके टाइमिंग से जनता को असुविधा मिलने की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(4) नहीं। दैनिक रोटेशन जरूरी है जिससे ड्राइवरों, कण्डक्टरों को आराम मिल जाय और वे अपना काम ठीक कर सकें, किसी गाड़ी में खराबी होने से सेवा में बाधा न पड़े और मुसाफिरों को कठिनाई का सामना न करना पड़े।

माहवारी या साप्ताहिक रोटेशन का प्रयोग नहीं किया गया है।

(कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

श्री जुझारसिंह : आपने जो यह कोटा-सांगोद रूट के लिए जवाब दिया हैं। यह रूट है तो क्या इस तरह के नियम बनाये हुए हैं कि 30 मील के रूट नेशनलाइज्ड रूट हैं और इस पर 3-4 बसें चलती हैं। इस तरह का एक क्वेश्चन नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य ने भी रखा है कि 30 मील का रूट नेशनलाइज्ड रूट पर प्राइवेट बसें कोई सवारी नहीं उठायेंगी?

श्री शिवचरण सिंह : माननीय सदस्य, सुनाई नहीं दिया।

श्री जुझारसिंह : अध्यक्ष महोदय, प्राइवेट और नेशनलाइज्ड बसों के लिए 30 मील का कामन रूट है तो क्या सरकार ने इस तरह की प्रिकॉशन ली है कि प्राइवेट बस वाले इस नेशनलाइज्ड रूट पर सवारियां नहीं उठायें। आज यह होता है कि नेशनलाइज्ड रूट पर जो सरकारी बसें चलती हैं वे खाली जाती हैं। नियम यह है कि 10 मील से अलग रूट पर प्राइवेट बसें नहीं चलाई जायं। तो सरकार ने क्या प्रोटेक्शन लिया है कि नेशनलाइज्ड रूट पर चलने वाली प्राइवेट बसें सवारियां न उठायें?

श्री शिवचरण सिंह : अश्रव्य।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। ये बसेज सवारियां न उठायें इस सम्बन्ध में कोई प्रिकाशन लिया गया है क्या?

यातायात-मंत्री (श्री अमृतलाल यादव): जी हां, जहां नेशनलाइज्ड रूट्स हैं उन पर से प्राइवेट बसों वाले सवारियां न उठायें, इस तरह के आदेश दें।

श्री जुझारसिंह : आपने इस बात की जांच की है कि नेशनलाइज्ड रूट से सवारियां नहीं उठाई जा रही हैं। आपकी बसेज खाली जा रही हैं। अध्यक्ष महोदय, कोटा झालावाड़ रूट पर जो बसेज चलती हैं उनकी सवारी संख्या क्या है. इस बात की तो ये जानकारी करें और दूसरों से मुकाबला करें तो मालूम पड़ जाय। वैसे ही इरस्पान्सिब जवाबली दे दिया है। राज्य की आमदनी और खर्च की फिक्र नहीं इनको। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि नेशनलाइज्ड रूट्स पर प्राइवेट बसेज खाली जाती हैं इसकी इनको कोई फिक्र नहीं है। इर्रेस्पान्सिबली जवाब देते हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : रोडवेज वाले उनसे मिल कर करवाते हैं।

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : कोटा और बारां रूट पर जिन जिन बसेज को परमिट दिये गये हैं उन पर कौन कौन से बस–आपरेटर्स की बसेज आज तक नहीं चल रही हैं ?

श्री अमृतलाल यादव : अध्यक्ष महोदय, इसकी जानकारी अभी प्राप्त नहीं है। इसका दुबारा प्रश्न पूछ लें।

श्री देवीदत्त गाड़िया : क्या यह सही है कि कोटा–बारां रूट पर बसें नहीं चल रही हैं तो क्या सरकार ने उन बस आपरेटर्स को बस चलाने के बारे में नोटिस जारी किया है कि बस इतने दिनों तक नहीं चलेगी तो बस परमिट कॅन्सिल कर दिये जायेंगे।

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न। श्री जुझारसिंह।

श्री जुझारसिंह : आपने निजी बसों के लिए कहा है कि कोटा–कुन्दपुर–सांगोद के कच्चे मार्ग पर बसें नहीं चल रही हैं तो कच्चे रूट्स पर बरसात के कितने दिनों के बाद में बसें चलाने के लिए प्रतिबन्ध है।

श्री अमृतलाल यादव : इस बात का प्रयत्न करेंगे और कार्यवाही करेंगे कि जिनकी बसें खराब नहीं हैं वे चलायें। यह तो उनके खुद के इन्ट्रेस्ट की बात है, फिर भी हम देखेंगे कि जानबूझ कर डिले कर रहे हैं तो उनको फौरन चालू करायेंगे।

श्री देवीदत्त गाड़िया : अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री जुझारसिंह।

श्री जुझारसिंह : माननीय अध्यक्ष, मैं चाहता हूँ कि अमूमन कितने दिनों में नार्मली इस बस का नहीं, जो कच्चे रूट हैं उन पर बरसात के बाद कोई लिमिट कायम कर दें कि इतने दिनों बाद तक बसें नहीं चलायेंगे तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जायगा। बरसात को हुए चार महीने हो गये हैं और इस रूट पर आज तक बसें नहीं चल रही हैं और इसकी तरफ कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

श्री अमृतलाल यादव : इसके लिए आर. टी. ओ. को आदेश दे दिये जायेंगे।

श्री देवीदत्त गाड़िया : कोटा से शिवपुरा का यह राष्ट्रीय मार्ग है और बारां उसके बीच में पड़ता है तो कोटा और बारां के लिए जिन बसों के लिए परमिट इश्यू हो चुके हैं और बस नहीं चला रहे हैं जिसके कारण से यात्रियों को परेशानी होती है तो क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने बस आपरेटर्स को बस परमिट कॅन्सिल करने के बारे में नोटिस जारी नहीं किया ?

श्री अध्यक्ष : इस प्रश्न को भी आप देख लें। नेक्स्ट, श्री बाघसिंह सोढा।

सीमा क्षेत्रों में ट्यूब वैल्स की योजना

14. **श्री बाघसिंह सोढा** (जैसलमेर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने जिला जैसलमेर में ट्यूब वैल खोदने की एक

(श्री बालसिंह सोढ़ा)
योजना लागू की थी ? अगर हां, तो आज तक कितने ट्यूब वैल खोदे गये हैं और कितने भविष्य में खोदने की योजना है ?

(2) क्या सरकार ने भविष्य में सीमा क्षेत्रों के लिए ट्यूब वेल योजना लागू करने की व्यवस्था को कार्य रूप देना प्रारम्भ किया हैं ? अगर नही, तो क्यों और भविष्य में कब तक कार्य पूर्ण किया जायगा ?

(3) क्या यह सही है कि कई ट्यूब वैल पूर्ण हो गये हैं परन्तु पानी निकालने की मशीन की व्यवस्था न होने के कारण वर्षो से व्यर्थ पड़े हैं ?

उप-मंत्री, कृषि (श्री हरिसिंह): (1) जी नहीं। जैसलमेर में ट्यूब वैल खोदने के लिए कोई अलग से योजना चालू नहीं की है।

(2) सीमा क्षेत्रों के लिए अलग से कोई योजना नहीं है।

(3) जैसलमेर में खोदे गये 48 नल कूपों में से 29 नल कूप सफल सिद्ध हुए हैं। इन 29 नल कूपों में से 10 नल कूपों पर पम्पसेट मशीनरी लगाकर पानी निकालना चालू कर दिया है, शेष 19 नल कूपों के लिए आवश्यक पम्पसेट व मशीनरी के आर्डर्स दे दिये हैं।

श्री बालसिंह सोढ़ा : क्या मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जैसलमेर में आज तक ट्यूब वैल का कार्य शुरू हुआ है कि नहीं ?

श्री हरिसिंह : आप जोर से बोलें।

श्री जयनारायण हालोदिया (निवाई) : आप भी जोर से बोलें।

श्री बालसिंह सोढ़ा : मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि जैसलमेर में कोई ट्यूब वैल का काम शुरू हुआ है या नहीं ?

श्री हरिसिंह : मैंने उत्तर दिया है कि 48 नल कूपों में से 29 नल कूप सफल सिद्ध हुए हैं मतलब यह है कि वे डिग कर दिये गये हैं, मतलब यह है कि बोर हो गये हैं।

श्री बालसिंह सोढ़ा : डिग करने के बाद उन पर कोई कार्य हो रहा है कि नहीं ?

कृषि-मंत्री (श्री शोभाराम) : जैसलमेर में 29 नल कूप सफल सिद्ध हुए हैं जिनमें से 10 तो चालू हो गए हैं और बाकी 19 के मशीनरी प्राप्त करने के आर्डर्स दे दिए गए हैं। जैसे ही वह मशीनरी प्राप्त हो जायगी वे भी एक प्रकार से चालू कर दिए जायेंगे।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या यह माना जाय कि ट्यूबवैल आर्गनाईजेशन और अन्डरग्राउन्ड वाटर बोर्ड दोनों के द्वारा जो कुए खोदे गए हैं वह सब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अन्तर्गत ही यह काम हुआ है ?

श्री शोभाराम : नहीं। यह जिन सात जिलों के अन्दर 250 ट्यूबवैल्स की बात आती है उसके लिए 1964 में भारत सरकार ने राजस्थान सरकार को 7 अभावग्रस्त जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर जोधपुर, जालोर, नागौर और चुरू में 268 नल-कूप खोदने की योजना स्वीकार की थी। इस योजना के अन्तर्गत 1967 तक 268 नल-कूप विभाग द्वारा खोदे गये हैं। उनमें से

(श्री शोभाराम)
142 तो खोदे गये हैं और 126 को वापस काट दिया गया है।

सीमान्त क्षेत्रों के लिए अलग से नल-कूप योजना लागू करने के लिए अभी आदेश प्राप्त नहीं हुए हैं यद्यपि आयुक्त, सीमा क्षेत्र के अनुरोध पर विभाग नें इन सीमा-क्षेत्रों के लिए विशेष रूप से एक नल-कूप योजना तैयार की है। उसको चयन समिति के सुपुर्द जांच करने के लिए कर दिया गया है। समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने पर सरकार आगे की कार्यवाही करने का विचार करेगी।

जहां तक जैसलमेर का सवाल है जैसलमेर में 48 नल-कूप पूर्ण हुए उनमें से 29 सफल सिद्ध रहे। इन 29 नल-कूपों में से 10 नल-कूपों पर पंपिंग सेट मशीनरी आदि लगा कर पानी निकालना चालू कर दिया है। 19 के लिए पम्पिग सेट व मशीनरी के लिए आर्डर दे दिया गया है।

श्री भैरोंसिह: क्या यह माना जाय कि जैसलमेर में जो 48 कुए खोदे गए हैं वे इस योजना के अंतर्गत जिसमें 250 ट्यूबवैल्स भारत सरकार ने राज्य सरकार को खोदने के लिए कहा?

श्री शोभाराम : जी हां, उसी के अंतर्गत हैं।

श्री भैरोंसिह : मंत्रीजी के कथन में और उप मंत्रीजी के जवाब में अंतर है। उपमंत्रीजी कहते हैं कि योजना नहीं है और मंत्रीजी कहते हैं कि योजना थी। दोनों में से कानसा उत्तर सही माना जाय?

श्री शोभाराम : भारत सरकार की योजना है, राजस्थान सरकार की नहीं। सन् 64 में काम शुरू किया गया था।

श्री भैरोंसिह : उन्होंने जवाब दिया कि योजना नहीं थी लेकिन ऐसी बात नहीं है।

श्री शोभाराम : राजस्थान सरकार की योजना सीमा क्षेत्र में नहीं है।

श्री दुर्गालाल बाढदार (हवामहल, जयपुर) : क्या राजस्थान सरकार की ट्यूबवैल्स के लिए कोई योजना नहीं थी?

श्री शोभाराम : यह सही है कि राजस्थान सरकार ने जैसलमेर में ट्यूबवैल्स खोदने की योजना लागू नहीं की थी।

श्री भैरोंसिह : क्या यह माना जाय कि भारत सरकार की योजना को आपने लागू नहीं किया?

श्री शोभाराम : भारत सरकार की योजना को लागू किया।

श्री भैरोंसिह : हम यही पूछ रहे थे।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : क्या भारत सरकार ने यह योजना आपकी बिना सहमति और स्वीकृति के लागू करदी?

श्री शोभाराम : सन् 1964 में भारत सरकार की योजना के अंतर्गत जो काम किया गया वह, यह ठीक बात है, हमारे ओफिसर्स वगैरा ने जहां तक स्थान चयन करने का प्रश्न है कार्य किया लेकिन यह योजना भारत सरकार की मानी जाती है लेकिन राजस्थान सरकार की सीमावर्ती क्षेत्र में ट्यूबवैल्स के लिए अलग से कोई योजना नहीं है।

Page No. 29

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि इस योजना के अलावा भी जैसलमेर में ट्यूब वैल्स खोदे गये हैं ?

श्री शोभाराम : इसके लिए सूचना चाहिए।

श्री भैरोंसिंह : सूचना किस बात की ?

श्री शोभाराम : ये 48 कुए शामिल हैं इसके अलाव कोई सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : क्या आप यह बता सकते हैं कि जैसलमेर का चानन काठी क्षेत्र इस योजना के बाहर है ?

मुख्य मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : मैं निवेदन करदूं कि चाननवाली योजना पहले की है और जो योजना कार्यान्वित की गई वह 63–64 में जब अकाल पड़ा था उस मौके पर भारत सरकार से हम ही ने बातचीत की थी और बातचीत के बाद कहा था कि 250 ट्यूबवेल्स राजस्थान में उनके खर्चे से खोदे जायं और कहां कहां खोदे जायं इस सम्बन्ध में भारत सरकार का ओरगेनाइजेशन है वे लोग और हमारे प्रतिनिधि लोग मिल कर तय करते हैं वहां खोदे जांय इसका राजस्थान सरकार को पता नहीं हो या भारत सरकार ही काम करे ऐसी बात नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : ये 29 नल कूप कब तैयार हो गये थे ?

श्री अध्यक्ष : यह अलग से प्रश्न है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : ये 29 नल-कूप आज तक काम नहीं कर रहे हैं।

श्री दौलतराम सारण : विचित्र स्थिति है, 142 ट्यूबवैल्स के संबंध में मंत्रीजी ने कहा उनमें से एक भी कुआ काम में नहीं आया, एक का भी उपयोग नहीं किय गया क्या यह स्थिति सही है ?

श्री शोभाराम : यह बात गलत है, मैं बता सकता हूं कि कौनसे चालू हालत में हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : चालू कौन से हैं ?

श्री शोभाराम : दो स्टेजेज हैं·······

श्री दौलतराम सारण : मशीनें लगी हुई हैं लेकिन उस पानी से सिंचाई का काम खेतों के लिए नहीं होता।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : माननीय सदस्य को पता है कि यह जैसलमेर का सवाल है और जैसलमेर शहर को ट्यूबवेल से पानी दिया जाता है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह माना जाय कि जिन ट्यूबवेल को आपने अपने अधिकार में लिया है, इस योजना के अन्तर्गत जहां आपने कूए खोदे हैं उनके नीचे जो भूमि है वह एलॉट नहीं की गई है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह अलग सवाल है।

श्री भैरोंसिंह : ट्यूबवेल्स का उपयोग एग्रीकल्चर की जमीन के लिए नहीं हुआ···

श्री अध्यक्ष : दोनों का समन्वय देख लीजिए।

प्रश्न समाप्त हुए।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

मुर्गी पालन केन्द्रों पर व्यय

श्री श्रवणलाल (हिन्डोन)––क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सरकार की ओर से राज्य के किस किस जिले में मुर्गी पालन केन्द्र चल रहे हैं और कब कब से ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) इन केन्द्रों पर किस किस वर्ष में कितना कितना रुपया खर्च किया गया है ? प्रत्येक मद में हुए खर्चे का विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(3) इन केन्द्रों से सरकार को कितना लाभ अथवा हानि हुई ?

उत्तर

1. राज्य सरकार की ओर से निम्नांकित जिला स्तरीय कुक्कुट शालायें चल रही हैं:-

1–जोधपुर–1961-62

2–टोंक–1962-63

3–अलवर–1963-64

4–कोटा–1966–67

2. सूची संलग्न है।

3. इन केन्द्रों का मुख्य उद्देश्य राज्य में मुर्गी पालन को प्रोत्साहित करना है और ये केन्द्र व्यवसायिक आधार पर नहीं चलाये जाते । ये केन्द्र अनुमानित दरों पर मुर्गी, मुर्गियों का वितरण, सस्ती दरों पर अण्डों आदि का वितरण का कार्य करते हैं, अतः लाभ अथवा हानि का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

अलवर जिले में प्राथमिक शालाओं को मिडिल स्कूल में परिवर्तन

2. श्री गंगा सहाय (कठूमर)–क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

वर्ष 1967-68 में अलवर जिले में कितनी प्राथमिक शालाओं को मिडिल स्कूल बनाया गया है ? पंचायत समितिवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

वर्ष 67–68 में केवल कन्या प्राथमिक शाला हरसोली पंचायत समिति कोटकासिम जिला अलवर जो माध्यमिक शाला में क्रमोन्नत किया गया है ।

वैद्यों तथा उप-वैद्यों की सेवा निवृत्ति आयु

3. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या आयुर्वेदिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

सरकारी कर्मचारियों की सेवा निवृति के लिए 55 वर्ष की आयु तक का जो निर्णय लिया गया है वह आयुर्वेद विभाग के वैद्यों पर तथा उप वैद्यों पर लागू होगा या नहीं ?

उत्तर

1–जी हां, सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृति के लिए 55 वर्ष की आयु तक का जो निर्णय लिया गया है वह आयुर्वेद विभाग के समस्त कर्मचारियों पर लागू है।

अलवर जिले की कारपेंटर्स एवं फर्नीचर निर्माण सम्बन्धी सहकारी समितियां

4. श्री गंगासहाय (कठूमर)—क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) अलवर जिले में कारपेन्टर्स एवं फर्नीचर निर्माण की कितनी सहकारी समितियां हैं और उनकी सदस्य संख्या कितनी है ?

(2) कितनी सहकारी समितियों को कब व कितना कितना ऋण व अनुदान दिया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या उक्त समितियां सुचारु रूप से कार्य कर रही हैं ?

(4) क्या सरकार अपनी आवश्यकता का फर्नीचर उक्त सहकारी समितियों से खरीदती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) अलवर जिले में कारपेंटर्स एवं फर्नीचर निर्माण की 10 सहकारी समितियां हैं उनकी कुल सदस्य संख्या 116 है।

(2) इनमें 6 समितियों को .8750) रु. ऋण व एक समिति को 1375 रु. अनुदान दिया गया है। (सूची परिशिष्ट "क" संलग्न है।

(3) जिले में 10 सहकारी समितियां में से 4 सहकारी समितियां सुचारु रूप से कार्य कर रही हैं।

(4) किसी विभाग की ओर समितियों को माल सप्लाई करने की मांग प्राप्त नहीं हुई और न समितियों को राज्य सरकार को माल सप्लाई करने का अवसर ही मिला है जबकि राज्य सरकार के आदेश क्रमांक डी।16623।(103)।।56 दिनांक 11-9-56 तथा शुद्धि-पत्र क्रमांक डी।11656।59 एफ 2(103)दण।ए 56।दिनांक 16-6-60 के अनुसार सहकारी समितियों को अन्य लघु उद्योग संस्थाओं द्वारा दिए गए टेन्डरों पर 2 प्रतिशत की प्राथमिकता उपलब्ध है किन्तु उसका काम समितियों को विभागों द्वारा टेन्डर मांगने पर ही बताया जा सकता है।

(कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

जोधपुर-उदयपुर वाया राणी बस सर्विस

5. श्री दौलतराम आगरी (देसूरी): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर से उदयपुर रोडवेज बस चलती है ? यदि हां, तो कब से ?

(2) क्या यह सही है कि जोधपुर से उदयपुर रोडवेज बस वाया फालणा स्टेशन जाती है ?

(3) क्या यह सही है कि फालणा से उदयपुर तक प्राइवेट बसें चलती हैं ?

(4) क्या राज्य सरकार रोडवेज बस को वाया फालणा से न होकर राणी स्टेशन से उदयपुर चलाने का विचार रखती है ?

उत्तर

1—जी नहीं।

Page No. 32

(यातायात मंत्री)

2–प्रश्न ही नहीं उठता।

3 जी हां यह सही है।

4-ऐसी कोई योजना अभी निगम के विचाराधीन नहीं है।

ऊंट पालन केन्द्र

6. **श्री श्रवणलाल** (हिन्डौन) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सच है कि राज्य में राजस्थान सरकार की ओर से ऊंट पालन केन्द्र चल रहे हैं ?

(2) यदि हां, तो कहां-कहां पर कब-कब से चलाये जा रहे हैं ?

(3) सरकार का अब तक कितन-कितना रुपया किस-किस केन्द्र पर खर्च हुआ है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) उपरोक्त केन्द्रों में कितने-कितने ऊंट किस-किस साल से रखे गये थे और अब तक वे संख्या में कितने बढ़ गये हैं ?

(5) उपरोक्त केन्द्रों से कितनी-कितनी आय किस-किस साल किस-किस मद में हुई।

उत्तर

(1) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की तरफ से एक ऊंट अनुसंधान केन्द्र स्थापित किया गया है।

(2) उक्त केन्द्र बीकानेर में सितम्बर, 1959 से चल रहा है।

(3) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(5) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट 7 देखें)

हाडेन्द्र कालेज बूंदी में खेल-कूद की व्यवस्था

7. **श्री केशरीसिंह हाडा**-(हिन्डोली) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) हाडेन्द्र कालेज (हायर सैकेन्ड्री) बून्दी में खेल-कूद की व्यवस्था किसके द्वारा की जाती है ?

(2) यहा पर फिजिकल इन्स्ट्रक्टर कौन है, और यह सुचारु रूप से खेलों का आयोजन क्यों नहीं करते ?

(3) यहां पर सालाना खेलों की प्रतियोगिता होती है या नहीं ?

उत्तर

(1) खेल कूद की व्यवस्था, प्रधानाध्यापक शारीरिक शिक्षक व दूसरे अध्यापकों के द्वारा की जाती है।

(2) श्री सत्य नारायण शर्मा। जहां तक सम्भव होता है खेलों की व्यवस्था सुचारु रूप से ही की जाती है।

(3) होती है।

किशनगढ़ कालेज होस्टल की बिल्डिंग

8. **श्री सुरेन्द्रसिंह** (किशनगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि गवर्नमेंट डिग्री कालेज, किशनगढ़ में होस्टल की बिल्डिंग नहीं है ?

(2) यदि हां, तो उक्त बिल्डिंग कब तक बनाई जाने की योजना है ?

उत्तर

(1) यह सही है ।

(2) निकट भविष्य में धनाभाव के कारण ऐसी कोई बिल्डिंग बनाने का प्रावधान नहीं है ।

डा. राममनोहर लोहिया के निधन पर शोक प्रकट

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अध्यक्ष महोदय, हमारे देश में जब अंग्रेजी साम्राज्य था उस समय जो स्वतंत्रता संघर्ष छिड़ा उस संघर्ष में बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा अदा करने वाले डा. राममनोहर लोहिया थे । उन्होंने अपने जीवन में हमेशा एक क्रान्तिकारी दृष्टिकोण रखा और स्वतंत्रता संघर्ष में रात दिन एक क्रान्तिकारी दृष्टिकोण लेकर लड़ते रहे । स्वतन्त्रता के पहले भी देश की समस्याओं पर, आर्थिक समस्याओं पर गहरा अध्ययन करके देश को काफी मार्ग-दर्शन दिया था । आर्थिक सवालों के ऊपर उनकी काफी गहरी दिलचस्पी थी और साथ ही साथ उसका विश्लेषण भी उनके द्वारा समय समय पर किया जाता रहा । वह एक निर्भीक विचारक थे और देश में एक विशेष राजनीतिक समाजवादी दृष्टिकोण को अपना कर कार्य करते थे । आज वे हमारे बीच में नहीं हैं। उनका अभाव सारे देश को खटक रहा है । उन्होंने अपने जीवन में जो कुछ कार्य किये मैं समझता हूं, वे हमेशा देश की आनेवाली पीढ़ियों को भी पूरे सम्मान के साथ याद रहेंगे । एक लम्बी बीमारी से, जिस प्रकार उन्होंने अंग्रेजों से संघर्ष किया उसी प्रकार बीमारी से भी हिम्मत के साथ उन्होंने संघर्ष किया । लेकिन अंत में परमात्मा की इच्छा यही थी शायद कि वे आगे देश की सेवा न करें इसीलिए वे आज हमारे बीच में नहीं हैं । मैं उनके निधन पर अपनी तरफ से और अपने दल की तरफ से संवेदना प्रकट करता हूं ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : अध्यक्ष महोदय, यह निर्विवादित बात है कि श्री राममनोहरजी लोहिया भारतवर्ष के एक सुप्रसिद्ध राजनीतिज्ञ थे, उनका संघर्षमय जीवन था और लोक सभा में वे एक कन्ट्रोवर्शियल फिगर थे। उनके निधन से लोकसभा और मेरे ख्याल से राजनीतिक क्षेत्र में बड़ी भारी हानि हुई है । मैं मेरी ओर से और अपने दल की ओर से स्वर्गीय आत्मा की चिरशान्ति के लिए प्रार्थना करता हूँ और इन्हीं शब्दों के साथ इस प्रस्ताव का सआदर समर्थन करता हूँ ।

श्री भैरोंसिह (किशनपोल, जयपुर) अध्यक्ष महोदय, राममनोहरजी लोहिया के स्वर्गवास से देश के राजनैतिक क्षेत्र में जो रिक्तता आई है उसकी पूर्ति होना बहुत ह

(श्री भैरोंसिंह)

कठिन है। आज के इस संघर्षमय जीवन में समस्याओं का निदान किस प्रकार किया जाय इस सम्बन्ध में यदि यह कहा जाय कि लोहियाजी ने अपना एक अलग से दर्शन उपस्थित किया है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी।

संघर्ष करके समस्याओं पर विजय प्राप्त करना—यह उनका ध्येय था और उन्होंने इस ध्येय की पूर्ति के लिए जो भी कार्यवाही की है उससे जनता को एक बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन मिला। वह स्वयं क्रांतिकारी थे लेकिन समस्याओं से क्रांतिकारी तरीके पर निपटा जाय—इस प्रकार का उनका मार्ग था। आज ऐसी स्थिति में, जब कि देश के ऊपर कई प्रकार के संकट हैं, लोहियाजी की स्मृति इस प्रसंग में आये बिना नहीं रहती कि वह बहुत ही दूरदर्शी थे। देश पर क्या विपत्ती आ सकती है इसका ज्योतिषी शायद अपने ज्योतिष शास्त्र के अनुभव के आधार पर संकेत देता है लेकिन लोहियाजी अपने अनुभव से अपनी राजनीतिक दूरदर्शिता से उस सबका हमारे देश के नेताओं को और देश को संकेत दिया करते थे। चाहे वह चीनी आक्रमण हो, चाहे वह पाकिस्तानी आक्रमण हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र में विषमता की बात हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र में आने वाली अड़चनें हों—इन सब प्रश्नों पर अपनी दूरदर्शिता के कारण उन्होंने समय पर समाज और जनता को सूचित किया है। आज यह हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे बीच से इस प्रकार का एक दूरदर्शी राजनैतिक, क्रांतिकारी विचारधारा को लेकर समस्याओं से संघर्ष करने की प्रेरणा देने वाला आज उठ गया है। मैं उनको अपने दल की ओर से और अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को वह शान्ति पहुँचायें।

श्री बद्रीप्रशाद गुप्ता (बानसूर) : अध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान की आजादी के संग्राम में बहुत से नेताओं ने जन्म लिया और जो हमारे मुल्क के बहुत ही बड़े बड़े नेता थे उनमें से बहुत से चले गये। उन्हीं में से एक डाक्टर राममनोहर लोहिया थे। जिस प्रकार का उनका जीवन था उससे हमारा काफी परिचय रहा है और यह बात निश्चित तौर पर कही जा सकती है कि उनके अभाव से समाज और राजनैतिक जीवन में एक ऐसी कमी आ गई है जिसका पूरा होना बड़ा मुश्किल है। वह स्वयं एक संस्था थे और अपने जीवन भर उन्होंने क्रांतिकारी विचार रखे और क्रांतिकारी जीवन व्यतीत किया। उनके जैसे नेता आजकल बहुत कम देखने में आते हैं। हैं जरूर लेकिन बहुत कम देखने में आते हैं और यह दुर्भाग्य की बात है कि वह धीरे-धीरे इस तरह से खत्म होते जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि हमको उनके जीवन से इस प्रकार की प्रेरणा लेनी चाहिए कि जो मौजूदा समस्यायें है जब तक हम लोग सेवा और त्याग का जीवन व्यतीत नहीं करेंगे तब तक हमारे मुल्क की यह गम्भीर समस्याएं हल नहीं होंगी। डाक्टर राममनोहर लोहिया के जीवन से सबसे बड़ी प्रेरणा यह मिलती है कि हमारे जीवन में जो उन्नति आयेगी और समाज में उन्नति आयेगी वह हमारे मुल्क की उन्नति के साथ आयेगी। जिस मुल्क की हमने आजादी हासिल की है और जिस मुल्क की आजादी की बागडोर हमारे हाथ में है उसकी प्रगति की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। इस-

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

लिए हम लोग उनके जीवन से प्रेरणा लें और बड़े बड़े नेताओं के जीवन से प्रेरणा लें और त्याग और सेवा का जीवन व्यतीत करें ताकि हमारे मुल्क की समस्यायें हल हो सकें। वरना आने वाली पीढ़ी यह कहेगी कि कि हमारे कमजोर कन्धों के ऊपर बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां थीं और इस जमाने में जिन जिम्मेदारियों को हमें पूरा करना था उनको पूरा न करके हमने मुल्क को धोखा दिया और बड़े बड़े नेताओं के जीवन से प्रेरणा न लेकर अपने स्वार्थ साधन में लगे रहे और अपने मुल्क को सही दिशा में नहीं ले जा सके। मैं डाक्टर लोहिया को अपने दल की ओर से और अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और सदन के सदस्यों से नम्रता से निवेदन करता हूं कि वह उनके जीवन से सबक सीखें।

श्री रामकिशन (बैर) : अध्यक्ष महोदय, बचपन से ही मुझे लोहिया जी के साथ रहने और काम करने का मौका मिला आज मेरे मन में जिस प्रकार की वेदना है वह व्यक्त नहीं कर सकता। यह कभी विश्वास भी नहीं होता था कि इतनी जल्दी लोहियाजी को हमें श्रद्धांजलि अर्पित करनी पड़ेगी। जहां तक स्वतन्त्रता संग्राम में उनके हिस्से का प्रश्न है, या उनकी राजनैतिक दूरदर्शिता का प्रश्न है—यह प्रश्न तो हिन्दुस्तान और हिन्दुस्तान के बाहर के लोगों में भी मिल सकते हैं और हमारी आगामी पीढ़ी में इस लक्ष्य की पूर्ति शायद हो जाय। लेकिन लोहिया जी ने सारे संसार के लिए चाहे वह अफ्रीका का प्रश्न हो, चाहे वह एशिया का प्रश्न हो, चाहे वह औरतों का प्रश्न हो, चाहे वह रिक्शा चालकों का प्रश्न हो, चाहे देश और विदेश की विषमता का प्रश्न हो—इन सारे प्रश्नों पर एक मौलिक दृष्टिकोण रखा। इसके साथ साथ इससे पहले भी संसार में कुछ विचारक हुए हैं लेकिन विचारों के साथ कर्म का जो तारतम्य लोहिया जी में था, वैसा शायद संसार के किसी राजनीतिज्ञ और अर्थ शास्त्री में नहीं मिलेगा। जो कुछ भी हुते हैं उसे पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्प विचारक इस संसार में हुए हैं, मार्क्स भी हुए हैं, गांधीजी भी हुए हैं, ऐंजिल भी हुए हैं। लेकिन उनका जो एक तरह का दृष्टिकोण था उसको कर्म के द्वारा पूरा करने के लिए दूसरों पर दायित्व छोड़ गये। लेकिन लोहिया जी ने जिस बात को भी सोचा उसको कर्म के द्वारा पूरा करने की चेष्टा की और उसके लिए संसार के नियमों को और दूसरी चीजों को भंग करने में अपना अपमान नहीं समझा। हिन्दुस्तान के इतिहास ने उनको कभी-कभी उच्छृंखला कहा, कभी सनकी कहा लेकिन उनकी सनक का नतीजा हमें देखने को मिलता है चाहे वह नेपाल का सवाल हो, चाहे गोआ का सवाल हो, चाहे वह तिब्बत का सवाल हो, चाहे देश के पुनर्निर्माण का सवाल हो, चाहे देश के पुनर्निर्माण में श्रम करने का सवाल हो, चाहे वह चौखम्भा का सवाल हो—यह लोहिया जी की ही देन है कि इन सब प्रश्नों को पूरा करने के लिए उन्होंने मर्यादाओं को भंग किया है। वही एक ऐसे पुरुष थे जो कि गोआ में गिरफ्तार हो सकते थे और उसी तरह से अमेरिका में, जहां वह अतिथि बन कर गये, हब्सी की समस्या पर होटल प्रवेश पर गिरफ्तार हो गये। आज संसार के किसी

(श्री रामकिशन)

भी राजनैतिक व्यक्ति में इतना साहस नहीं रहा है जो अपने विचार, कर्म और वाणी में तारतम्य रख सके। जहां तक हम लोगों का प्रश्न है, हम लोहिया जी के लिए मौखिक या मौलिक श्रद्धांजलि अर्पित करें किन्तु आज राष्ट्र के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस नीति और कार्यक्रम के लिए उन्होंने संघर्ष किया, क्या राष्ट्र उनके उस मार्ग पर चल सकेगा ? अगर नहीं चल सकेगा तो राष्ट्र की दुर्गति होगी। मैं समझता हूं कि लोहियाजी के प्रति सही श्रद्धांजलि तो यही हो सकती है कि जो दृष्टिकोण लोहिया जी ने प्रस्तुत किया है उसके ऊपर राष्ट्र पूरे धीरज के साथ में चिन्तन करे और उनके द्वारा सही परिणामों की प्राप्ति की चेष्टा करे। लोहिया जी ने केवल अपने दृष्टिकोण के लिए जीवन में ही संघर्ष नहीं किया बल्कि मृत्यु के समय तक, अन्त तक संघर्ष किया है। अगर लोहियाजी चाहते तो हिन्दुस्तान की सरकार में वहुत बड़ी हिस्सेदारी ले लेते जो कि विदेश मंत्रालय की उनको मिल रही थी। लेकिन उन्होंने अपना जीवन फकीर की तरह से व्यतीत किया। उन्होंने राजनीति में चौदह-पन्द्रह साल की उम्र में प्रवेश किया था और 57 साल की उम्र में उनका देहावसान हुआ, लेकिन वही केवल एक ऐसे राजपुरुष थे जो अपने हाथ में घड़ी और जेब में पेन रखना अपने विचारों के खिलाफ समझते थे जब उनकी मृत्यु के वक्त हम लोग दिल्ली पहुंचे तो उनके पास केवल तेरह आने मिले। बाद में दूसरे सब लोगों ने चन्दा करके 77 रुपये इकट्ठे करके उनको बिजली की भट्टी में जलाया, जो कि उनकी इच्छा थी।

मैं राष्ट्र से और विशेषकर राजस्थान से, क्योंकि उनके पूर्वज राजस्थान के थे, निवेदन करूंगा कि समानता, लोकतंत्र, अहिंसा और समाजवाद के लिए संघर्ष लोहियाजी ने किया, उसकी ज्योति को हम जागृत रखें।

इसके अलावा जितनी पैनी नजर उनकी समस्याओं का अध्ययन करने की थी उसका एक छोटा सा उदाहरण मैं प्रस्तुत करना उचित समझता हूँ। एक बार जब वह उदयपुर में प्रवास कर रहे थे, उस समय तक उनके अन्यतम साथी और जयप्रकाश जी उनसे अलग हो गये थे। मैंने पूछा था कि आप इतने प्रसन्न कैसे रहते हैं जब कि आपके एक एक मित्र आपसे अलग हो गये हैं। इसके अलावा देश के प्रेस आपको दूसरे ढंग से ले रहे हैं तो आपके मन में अनिश्चितता, रंज और शोक नहीं है। तो उन्होंने कहा कि अभी बच्चे हो, उम्र भी कम है लेकिन तुम्हारा दिल मर गया है। उन्होंने दिल मरने की एक मिसाल भी दी थी। उन्होंने कहा था कि यहां स्टेशन से एक मील दूर रिक्शा चालकों को रोक दिया जाता है और मोटर वाले स्टेशन तक जाते हैं। क्या तुम इसके लिए संघर्ष नहीं कर सकते कि रिक्शा वाले वहां तक जायें। मैं 53 साल का हो गया हूं लेकिन मेरी इसके लिए संघर्ष करने की इच्छा हुई कि उनको समान अधिकार मिले। आज देश में कौन ऐसा राजनीतिज्ञ होगा जो ऐसी छोटी छोटी बात का इतनी गहराई के साथ में अध्ययन करता हो। समानता का प्रश्न हो या किसी और प्रकार का प्रश्न

(श्री रामकिशन)

हो उसको पूर्ण रूप में देखने की क्षमता लोहिया जी में थी, उतनी शायद न तो किसी राजनीतिज्ञ में देखने को मिली है और न देखने को मिल सकती है। इन शब्दों के साथ में अपने दल की तरफ से और अपनी तरफ से लोहिया जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और सदन से यह अपेक्षा करता हूँ कि उनकी सब बातों के लिए नहीं तो जो बातें मौलिक हैं, ऊंची हैं उनकी पूर्ति के लिए हम निरन्तर संघर्ष करें। यह उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि हो सकती है। उनकी आत्मा की शांति या मोक्ष के लिए प्रार्थना करने का सवाल है तो वह तो अनिश्वरवादी थे, ईश्वर में उन्हें विश्वास नहीं था और वह जन्म और मृत्यु में विश्वास नहीं करते थे। उनकी स्मृति को बनाये रखने में हमारा योगदान यह हो सकता है कि जिस नीति और कार्यक्रम के लिए लोहिया जी ने जीवन पर्यन्त संघर्ष किया उसको हम जारी रखें।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, डाक्टर राम मनोहर लोहिया हमारे देश के उन कुछ महान् विभूतियों में से हैं जो केवल एक देश के नेता नहीं रहे अपितु जिनको अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त थी। लोहिया जी ने अपने जीवन काल में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध निर्मम संघर्ष किया हो परन्तु आजादी प्राप्त होने के बाद हमारे देश में जैसी आर्थिक विषमता को समाप्त करके एक समाजवादी व्यवस्था कायम हो पाई और उसमें जो आर्थिक दिक्कतें आज आम जनता को सहन करनी पड़ रही हैं इससे अपना देश छुटकारा पा सके इसके लिए वह अपने अन्तिम दिन तक प्रयत्नशील रहे। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि जो बातें उन्होंने कहीं या जो रास्ता उन्होंने रखा चाहे हम उससे पूर्णतया सहमत नहीं हों या किन्हीं-किन्हीं बातों से असहमति भी रखते हों परन्तु इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि उन्होंने मौलिक तरीके से इन तमाम समस्याओं पर विचार करने का प्रयत्न किया है। विशेषतौर पर जब हमारे देश की वर्तमान हालतें इस तरह की होती जा रही हैं, जब कि जनता में भारी उद्विग्नता बढ़ती जा रही है, यह लोहिया जी की ही देन थी कि उन्होंने देश में विभिन्न लोगों के आपस में बहुत तीव्र मतभेद होते हुए भी उनको एक जगह बैठाने का प्रयत्न किया। और यह गैर-कांग्रेसी सरकारें जो संगठित हुई, जिनमें आपस में बहुत तीव्र मतभेद होते हुए भी यह समय का तकाजा है कि इस देश के अन्दर बड़े-बड़े परिवर्तन इस रास्ते से आने की सम्भावना हो सकती है अपनी विशेष स्थितियों के कारण देश के अन्दर इस नई राजनीति की नई दिशा में कदम रखने का एक बड़ा हित था, अब चाहे उसके नतीजे कुछ भी हों परन्तु, अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं उसने भारत की जनता में एक नई आशा का, एक नये उत्साह का, एक नये विचार का संचार किया है।......खास तौर से उन्होंने जो देश की जनता को कुछ महान् व्यक्तियों तक ही सीमित न रख कर कुछ मुनियों और नेताओं की वाणी के ऊपर ही विश्वास न रख कर जनता को अपने पैरों पर खड़े होकर संघर्ष का रास्ता दिखाया, उन्होंने संघर्ष के रास्ते पर छोड़कर आत्म-विश्वास पैदा करने का जो प्रयत्न किया वह हिन्दुस्तान की जनता के लिए एक महान् देन थी।

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

अध्यक्ष महोदय, मैं अपने दल की ओर से और अपनी ओर से उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ ।

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : अध्यक्ष महोदय, कुछ लोगों का जीवन भी प्रेरणादायी होता है और मृत्यु भी एक आदमी जब हंसता हुआ जाये और करोड़ों आदमी रोयें इससे बढ़कर ईर्षा की मृत्यु और क्या हो सकती है । वह हनुमान की भांति थे । जिस प्रकार हनुमान के जीवन में सीता और राम के अलावा कुछ नहीं था ठीक इसी तरह से श्री लोहियाजी के जीवन और मन में अपने देश के अलावा कुछ चीज नहीं थीं । उनकी मृत्यु भी प्रेरणा देती है लोहिया जी आज भी सामने हैं । भगवान हमको वह ताकत दे कि जो उन्होंने अपने जीवन में किया उसका हजारवां हिस्सा भी हम अपने दिल में उतारें तो इससे बढ़कर और सच्ची श्रद्धांजलि क्या हो सकती है । मैं अपनी ओर से और सदन के सभी सदस्यों की ओर से प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि वह हमको भी वह ताकत दे कि हम अपने जीवन को भी उसी तरह से ढाल सकें ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यों ने जो डाक्टर राममनोहर लोहिया की दारुण मृत्यु, उनके संस्मरण और उनके प्रति जो भावनायें प्रकट की उसमें मैं भी अपने को सम्मिलित करता हूँ । डाक्टर लोहिया ईश्वर को नहीं मानते थे किन्तु उनका सच्चा ईश्वर जनता में था । उनके सिद्धांत जनता के सिद्धांत थे । उनकी व्यथा जनता की व्यथा थी । डाक्टर लोहिया उन व्यक्तियों में से थे, उन नेताओं में से थे, जिनके हृदय में अधिक से अधिक वेदनायें पिछड़े वर्ग के लिए थीं. संघर्ष का जीवन उनका प्रारम्भ से अन्त तक रहा । स्वतन्त्रता संग्राम में, क्विट इन्डिया मूवमेन्ट में उन्होंने भाग नहीं लिया लेकिन सक्रियता से अपना साहस और शौर्य भी उन्होंने बताया । 18 बार गिरफ्तार होने वाले डाक्टर लोहिया अंत तक अपने सिद्धान्तों के संबंध में किसी से समझौता करने के लिए तैयार नहीं थे । ऐसे अद्भुत व्यक्ति और राष्ट्र के ऊंचे नेता का स्वर्गवास हो जाना उस संकटकाल में जब कि उनके नेतृत्व की अधिक से अधिक आवश्यकता थी हमारे लिए वेदना का ही विषय नहीं किन्तु राष्ट्र का इससे अत्यधिक नुकसान भी हुआ है । सारे ही राष्ट्र ने डाक्टर लोहिया की मृत्यु पर व्यथा प्रकट की और आंसू बहाये । और वह मृत्यु यद्यपि ऊंची मृत्यु है । जिस मृत्यु ने यश भी प्राप्त किया । उनकी मृत्यु की स्मृतियां भी जनता के मानस में जब तक राष्ट्र रहेगा तब तक सजग रहेंगी, किन्तु यह सांत्वना का एक विषय है । डाक्टर लोहिया के हृदय में समाजवाद को स्थापित करने की चेतना ही नहीं किन्तु एक व्यथा रही । उनके जाने से आम जनता, और मुख्यतः वह जनता जो उनकी सेवाओं की अपेक्षा रखती रही उनको तो नुकसान हुआ ही, किन्तु हमारी परम्पराएं लोकसभा तथा विधानसभाओं की है, उनसे बड़ी सुदृढ़ बनती रही थी । वे राष्ट्र के ऊंचे से ऊंचे पार्लियामेंटेरियन थे और अपने विवादों में जहां वे सत्यता का आभास देखते थे, वे उन व्यक्तियों में से नहीं थे जो झुक जायें । वे टूट सकते थे अपने सिद्धांतों के प्रश्न पर लेकिन झुक नहीं सकते थे । ऐसे व्यक्तित्व का निधन राष्ट्र के लिए तो एक आघात है

(श्री अध्यक्ष)

ही, किन्तु हमारी संसदीय परंपराओं के लिए थी। उनका निधन मैं एक आघात समझता हूँ।

मैं माननीय सदस्यों के भावों में जो दर्द और वेदना है उस वेदना में अपनी व्यथा को सम्मिलित करते हुए स्वर्गीय राममनोहर लोहिया के प्रति अपनी श्रद्धांजलि को अर्पण करता हूं। माननीय सदस्य उनकी आत्मा की शांति के लिए दो मिनट खड़े होकर प्रार्थना करेंगे।

(सदन के समस्त माननीय सदस्य दो मिनिट के लिए मौन खड़े रहे)

(12.35 म. प)

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र।

श्री सचिव रा. वि. स.: महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के गत सत्र में पारित निम्नांकित विधेयकों का विवरण सदन की मेज पर रखता हूँ जिन पर राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है।

(1) राजस्थान विनियोग (संख्या 1) विधेयक, 1967.

(2) राजस्थान विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1967.

(3) राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक 1967.

(4) राजस्थान करारोपण विधियां (संशोधन) विधेयक, 1967.

श्री अध्यक्ष: श्री बृज सुन्दर शर्मा।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान टीनेन्सी (संशोधन) अध्यादेश, 1967 (अध्यादेश, सं. 1 सन् 1967) को सदन की मेज पर रखता हूँ।

श्री मथुरादास माथुर (वित्त मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान बिक्रीकर (संशोधन एवं वैधकरण) अध्यादेश 1967 (अध्यादेश संख्या 2 सन् 1967) को सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): अध्यक्ष महोदय, यह जो टीनेन्सी के बारे में अध्यादेश जारी किया गया है वह एक ही सदन की मेज पर रखा गया है, तो मैं राजस्व मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि एक अध्यादेश जारी किया है या दो जारी किये हैं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा: राजस्थान टीनेन्सी (संशोधन) अध्यादेश, 1967 (अध्यादेश सं. 1 सन् 1967) एक ही अध्यादेश है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में लिखा हुआ है कि राजस्थान टिनेन्सी के बारे में दो अध्यादेश हैं जिसके बारे में सदन विचार करेगा, लेकिन आपने केवल एक ही रखा है, तो मैं जानना चाहता हूं कि दूसरा अध्यादेश कौन सा है?

श्री बृजसुन्दर शर्मा: अरे भाई मैं कहता हूं एक ही है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के पृष्ठ संख्या 34 पर लिखा हुआ है

Page No. 40

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

इन माहों में चार अध्यादेश विशेष परिस्थितियों में प्रचलित करने पड़े हैं। राजस्थान बिक्रीकर (संशोधन) अध्यादेश 1967, राजस्थान टीनेन्सी (संशोधन) अध्यादेश, 1967, राजस्थान टीनेन्सी (संशोधन) अध्यादेश, 1967 (मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों आदि की भूमि को अधिकतम सीमा कानून से मुक्त रखे जाने के सम्बन्ध में)

श्री बृजसुन्दर शर्मा : यह दो बार लिख दिया गया है, अलग अलग नहीं हैं।

श्री नत्थीसिंह भरतपुर : गलत छपा है क्या इसमें ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : एक ही अध्यादेश है।

श्री नत्थीसिंह : राज्यपाल के अभिभाषण में भी गलती कर दी ? राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में लिखा है दो टीनेन्सी (संशोधन) अध्यादेशों के बारे में।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : दो नहीं हैं, एक ही है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : दो नहीं हैं तो फिर कुल तीन ही रह गये। फिर चार कैसे लिखा है ? गवर्नर साहब का अभिभाषण गलत है या आप जो कह रहे हैं वह गलत है ?

श्री अध्यक्ष : क्लेरीफाइड कर रहे हैं।

श्री नत्थीसिंह : आपका मतलब है राज्यपाल का जो अभिभाषण छपा है वह झूठा है ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। इसको रिपीटेशन मान लीजिये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : तो फिर तीन अध्यादेश रह गये। और यहाँ लिखा हुआ है कि चार हैं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : राजस्थान टिनेन्सी (संशोधन) अध्यादेश 1967 जिसमें (मन्दिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों आदि की भूमि को अधिकतम सीमा कानून से मुक्त रखे जाने के सम्बन्ध में)···

श्री दुर्गालाल आहूजा : 'जिसमें' शब्द नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जो टीनेन्सी अध्यादेश हैं वे दो हैं और यहाँ आप कह रहे हैं कि एक ही है तो इसका मतलब हुआ कि राज्यपाल महोदय को गलत पढ़ने को कहा गया है। सही स्थिति सदन के सामने नहीं आई है····

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री) अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान मन्त्री वेतन (संशोधन) अध्यादेश, 1967 (अध्यादेश संख्या 3 सन् 1967) को सदन की मेज पर रखता हूँ।

श्री मथुरादास माथुर (वित्त मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान बिक्री कर (संशोधन एवं वैधकरण) अध्यादेश, 1967 (अध्यादेश संख्या 2 सन् 1967) को सदन की मेज पर रखता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान बिक्री कर (द्वितीय संशोधित) अध्यादेश 1967

(श्री मथुरादास माथुर)

(अध्यादेश संख्या 4 सन् 1967) को सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप तो रखते हैं लेकिन गवर्नर के अभिभाषण की भी कोई सेंक्टिटी है या नहीं। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कहा गया है कि 4 अध्यादेश जारी किये गये हैं। उसमें बिक्री कर के संशोधन का कोई जिक्र ही नहीं है और उन्होंने हमें आमन्त्रित किया है और बताया है कि यह काम है जिनके लिए मैं बुला रहा हूँ। नम्बर 1 के बारे में विचार करना है दूसरे को कैसे रख रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री परसराम मदेरणा !

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : अध्यक्ष महोदय, यह एक स्पष्ट बात है कि माननीय सदस्य श्री सतीशचन्द्र जी ने जो समस्या उठाई है उनमें से या तो राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जो उल्लेख है वह ठीक है या फिर मंत्री महोदय का कहना ठीक है। दो में से एक चीज ही ठीक हो सकती है। दोनों में एक दूसरे में फर्क है। तो इस संबंध में सरकार की गलती है तो उसे उन्हें मान लेना चाहिए इसमें कौनसी बात है समझ में नहीं आती।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : भाषण में प्रिन्टिंग मिस्टेक मालुम पड़ती है। अध्यादेश तो 4 ही हैं लेकिन इनमें से सेल्स टैक्स के दो हैं, टिनेन्सी का एक है और मिनिस्टर्स संलेरी वाला चौथा है। भाषण को देखने से मालुम तो यह पड़ता है कि टेनेन्सी के दो हैं और सेल्स टैक्स वाला 1 है जब कि दरअसल में सेल्स टैक्स वाले 2 हैं और टेनेन्सी वाला 1 है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : पाइन्ट ऑफ आर्डर सर, व्यवस्था का प्रश्न यह है कि राज्यपाल महोदय ने संविधान के आर्टिकल 176 के तहत यह भाषण दिया है। उस आर्टिकल के तहत अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूं कि राज्यपाल महोदय ने अपना भाषण दिया है और संविधान में यह उल्लेख है कि यह अभिभाषण उनका देना किसी भी विधान सभा के अगले वर्ष के सत्र के लिए आवश्यक है। संविधान में यह भी दिया हुआ है कि वे अपने अभिभाषण में विधान सभा के माननीय सदस्यों को यह बतायेंगे कि किस कार्य के लिए उनको इस अधिवेशन में बुलाया जा रहा है और विधान सभा उन कार्यों को ही करेगी। तो प्रश्न यह है अध्यक्ष महोदय, कि क्या जिस कार्य के लिए यह विधान सभा नहीं बुलाई गयी और जिनका उल्लेख माननीय राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में नहीं किया है क्या यह सदन उस कार्य को आज लेने के लिए सक्षम है? अध्यक्ष महोदय, मेरा ख्याल है कि राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख किया कि किन कार्यों के लिए, किन विधेयकों पर विचार करने के लिए और कौन से अध्यादेश उन्होंने जारी किये हैं उन सब का उन्होंने उल्लेख किया है इसलिए जो अध्यादेश उन्होंने जारी नहीं किये जिनका उन्होंने उल्लेख नहीं किया उनको यहां विचारार्थ नहीं लिया जा सकता और उनको मान्यता नहीं मिलनी चाहिए, यह मेरा कहना है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : अध्यक्ष महोदय, मेरा जो संवैधानिक विचार है वह मैं आपके सामने रखता हूं। एक बात बिलकुल स्पष्ट है कि अगर राज्यपाल महोदय किसी भी अध्यादेश का जिक्र नहीं भी करते तो स्थिति क्या होती ? जब सदन शुरू होता है तो सदन की अनुपस्थिति में जो अध्यादेश निकाले जाते हैं वह सत्र के अन्दर रखे जाते हैं, यह एक संवैधानिक व्यवस्था है। अब आप एक कल्पना कीजिए कि किसी भी अध्यादेश का अगर राज्यपाल महोदय जिक्र नहीं करते तो सदन का अधिकार है कि जो अध्यादेश निकाले जायें वह हाउस के सामने आ जायें और सरकारी पक्ष का भी अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है कि अगर उन पर आगे कोई स्वीकृति चाहते हैं तो वह सदन के पटल पर उनको रखें। मैं समझता हूं कि जो उनका रखने का अधिकार है वह संवैधानिक है और इसमें कोई भी अनियमितता नहीं है। मिसप्रिन्ट हो जाये या रेफर ही नहीं करे तो इसमें बिलकुल असर पड़ने वाली बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष : मैं इस व्यवस्था के प्रश्न पर जो माननीय रामानन्द जी ने रखा कोई व्यवस्था नहीं देना चाहता क्योंकि इसका सामयिक विश्लेषण माननीय मुकुटबिहारी लाल जी ने कर दिया है कि अधिकार है सदन का कि ऐसे प्रश्नों को जो नहीं आयें उनको भी ले लिया जाये।

श्री भैरोंसिह (किशनपोल, जयपुर) : पाइन्ट आफ आर्डर सर, अध्यक्ष महोदय, यह संवैधानिक व्यवस्था के बारे में आपने कुछ बताया पर मैं एक प्रश्न पर आपकी जानकारी लेना चाहूंगा कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में किसी बात का मिसप्रिन्ट हो और इसलिए उसको डिलीट कर दिया जाये क्या मुख्य मंत्री महोदय को और इस सदन को अधिकार है कि इस प्रकार का निर्णय ले लें ?

श्री अध्यक्ष : डिलीट का नहीं है वह एरर है।

श्री भैरोंसिह : आप इसको एरर मानें लेकिन यह अभिभाषण न केवल छपा हुआ ही है बल्कि उन्होंने इस सदन में आकर इस अभिभाषण को पढ़ा है एक एक शब्द को पढ़ा है और पढ़ने के बाद उनके भाषण के सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने कहा कि मिसप्रिन्ट है और आप कहें कि एरर है अध्यक्ष महोदय, मैं जानकारी करना चाहूंगा कि उस अभिभाषण के सम्बन्ध में यह एरर है या मिसप्रिन्ट है तो राज्यपाल महोदय को ऐसे मिसप्रिन्ट स्पीच को नहीं पढ़ना चाहिए क्या इस प्रकार की स्थिति को हम स्वीकार करने की स्थिति में हैं।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : मर्यादा का प्रश्न उठाया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष : आप इस प्रश्न पर मुझ से व्यवस्था चाहते हैं ?

श्री भैरोंसिह : अध्यक्ष महोदय, हम व्यवस्था यह चाहते हैं कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जो मिसप्रिन्ट हुआ उसको डिलीट किया हुआ मानकर क्या हम चल सकते हैं, जैसा कि मुख्य मन्त्री महोदय ने कहा है, तो हम आपकी इस प्रश्न पर व्यवस्था चाहते हैं कि उस मिसप्रिन्ट पोर्शन को राज्य

(श्री भैरोंसिंह)
पाल महोदय के अभिभाषण से निकला हुआ समझ कर हम उस पर डिबेट कर सकते हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने उठाया है, उसमें गवर्नर महोदय के अभिभाषण के पेज 34 पर यह कहा गया है :

"इन माहों में चार अध्यादेश विशेष परिस्थितियों में प्रचलित करने पड़े हैं,"

जैसे फोर एग्जाम्पल, पहला राजस्थान बिक्री कर संशोधन अध्यादेश का जिक्र किया है, उसके आगे अध्यक्ष महोदय राजस्थान टिनेन्सी संशोधन अध्यादेश, 1967 और फिर राजस्थान टिनेन्सी संशोधन अध्यादेश, 1967 मन्दिर मस्जिद का है तो यह सेकिंड टाइम रिपीट हुआ है और यह एक ही है, 1967 में हुआ वह एक ही है । इसमें आर्डिनेन्स की संख्या 4 कही गई है तो वह संख्या 4 ही कही है । इसमें राजस्थान बिक्री कर अध्यादेश, "दूसरा आर्डिनेन्स हुआ था, 67 में हुआ था और दो ही मैंने सदन के सामने रखे हैं । उसमें टिनेन्सी को एक ही हुआ था और उसका जिक्र दो दफा हुआ है इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि गवर्नर महोदय ने कोई गलत सूचना सदन के सामने दी हो । मेरा निवेदन यह कि इसमें ऐसी बात नहीं है कि जिसमें एरर को करेक्शन करने की बात हो इसका दो जगह जिक्र किया है, सेल्स टैक्स दो जगह हुआ, उसका जिक्र किया है, पर संख्या टोटल मिलती है । दो नहीं एक ही बिल पेश हो रहा है, ऐसी स्थिति में करेक्शन की जरूरत नहीं है । यह तो भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में यदि कोई जिक्र नहीं है फिर भी सरकार को या प्राईवेट मेम्बर को बिल सदन में रखने का अधिकार है । आर्डिनेन्स इश्यू हुआ है तो उसको सदन में रखने का सरकार को अधिकार है, और मुझे भी रखने अधिकार है और मैंने रखा है । संविधान की धारा का मतलब इतना ही है कि गवर्नर महोदय सदन को बुलाते तो मेनइश्यूज को सामने रख देते हैं, वह रख दिया । पहले यहां रखा भी नहीं जाता था बाद में चर्चा हुई तो रखना शुरू किया तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि जिसकी वजह से एरर को करेक्शन करने की जरूरत हो, ऐसा कोई प्रश्न नहीं है । टिनेन्सी का दो जगह जिक्र किया है इसमें करेक्शन की जरूरत नहीं है, जितने बिल्स और आर्डिनेन्सेज आयें उन सबका जिक्र करना जरूरी नहीं है ।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर) : यह बताया गया कि 67 में दो अध्यादेश लिखा जब कि एक ही हुआ यह बात तो आप स्वयं मानकर चलते हैं लेकिन राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में गिनती 4 की बताई गई है । आप उसके लिए यह कहते हैं कि यह एक ऐसा है कि इसे दुबारा रिपिटिशन कहा जाय । मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूँ कि आप विधि के जानकार हैं, जानते हैं । यह जो इस प्रकार की इर्रेगुलेरिटी है, उसके सम्बन्ध में संवैधानिक प्रोविजन आपके सामने रखना चाहता हूं । जब कभी बजट सेशन होता है तो गवर्नर महोदय आमन्त्रित करते हैं विधानसभा को और अपने अभिभाषण में फरमाते हैं कि अमुक-अमुक बिल पर, चर्चा करेंगे । यह ठीक है कि साधारण सदस्य को अपना बिल सदन के समक्ष रखने का अधिकार है

Page No. 44

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)
मन्त्री महोदय को भी साधारण सदस्य मान लीजिये, जब साधारण सदस्य बिल पेश करता है, जैसे साधारण सदस्य बिल पेश करते हैं वैसे ही इस बिल को ले लीजिये पर यह यहां नहीं हो सकता, उसमें हम अध्यक्ष महोदय, आपकी व्यवस्था चाहते हैं, एक लीगल पोइन्ट है . . .

श्री अध्यक्ष : मैं समझ गया हूं माननीय सदस्य, क्यों ज्यादा विश्लेषण करते हैं।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : अध्यक्ष महोदय, यह अध्यांश पेश किया जा सकता है, गवर्नर महोदय के अभिभाषण में जिक्र हो या नहीं, हम चाहते हैं कि पेश किया जाय तो पेश किया जा सकता है।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : अध्यक्ष महोदय, हम इस सम्बन्ध में आपकी व्यवस्था चाहते हैं कि जो कुछ राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में कहा उसमें मुख्य मन्त्री महोदय संशोधन बता कर, उसको संशोधित रूप में कह कर, या यह सदन उस अभिभाषण को संशोधित मान कर वाद-विवाद कर सकता है। मुख्य मंत्री महोदय ने साफ शब्दों में भूल मानी है, प्रिन्टिंग एरर मानी है, अर्थमंत्री जी ने टालमटोल की है जो सदा से करते आये हैं, उसी प्रकार सत्य पर पर्दा डालने की नाकामयाब कोशिश की है पर वे किसी को कन्विन्स नहीं कर पाये हैं।

सवाल सदन के सामने यह है कि गवर्नर महोदय ने जो अभिभाषण किया उसमें संशोधन मानकर, उसे ठीक कर सकते हैं, उस पर वाद विवाद कर सकते हैं। कल दूसरी बात उठायेंगे तो कहेंगे कि प्रिन्टिंग मिस्टेक है, तो यह गलती किसकी है, हम इस पर व्यवस्था चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : दोनों पहलुओं को मैं समझ गया हूं। मैं इस आर्टिकल 213 कॉन्स्टीट्यूशन को आपके समक्ष रखना चाहता हूं :

"An Ordinance promulgated under this article shall have the same force and effect as an Act of the Legislature of the Seat assented to by the Govt. but every such Ordinance shall be laid before the Legislative Assembly of the State."

गवर्नर महोदय ने जो इसमें उल्लेख किया है आर्डिनेन्सेज का वह हमारी परम्पराओं के अनुकूल है। सदन की मेज पर रखने के सम्बन्ध में नहीं है, इसलिए उस परम्परा का यहां पालन किया गया है। यह प्रश्न ऐसा संवैधानिक नहीं है कि जिससे इस पर ध्यान दिया जाय। माननीय सदस्य स्वयं समझते हैं, जैसा मा. मुकुट बिहारीलाल जी ने इस बात का विश्लेशण किया है। यहां जो दो विधेयक हैं, उनका उल्लेख किया गया है। राजस्थान टीनेन्सी (संशोधन) अध्यादेश 1967 और फिर राजस्थान टीनेन्सी (संशोधन) अध्यादेश, 1967 इतना ही कर दिया है, ब्रेकेट में इसका विश्लेषण किया गया है। अगर इसको रिपिटीशन नहीं माना जाय तो भी कोई अधिक बाधाजनक नहीं है। रिपिटिशन नहीं माना जाय तब उसका स्पष्टीकरण ब्रेकेट में किया गया है, उससे अधिक स्पष्टीकरण होता है। जो भी स्थिति हो पर सदन के वाद-विवाद में कोई बाधा नहीं पहुंचती और यह प्रश्न सदन की मेज पर रखने का है, इसलिए मैं

(श्री अध्यक्ष)
व्यवस्था इस सीमा में देकर माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे आगे बढ़ें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर : अध्यक्ष महोदय, ...

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : अध्यक्ष महोदय, आपकी व्यवस्था हो चुकी है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपने वाद–विवाद में बाधा नहीं पहुंचती है, यह व्यवस्था दी है। प्रश्न यह नहीं है। प्रश्न यह है कि राज्यपाल महोदय ने भाषण पढ़ा, उसमें जो कुछ लिखा है, क्या उसके किसी भाग को यह सदन डिलीट कर सकता है, मंत्री महोदय या मुख्यमंत्री डिलीट कर सकता है....

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : अध्यक्ष महोदय, एक दफा आपकी व्यवस्था हो चुकी है अतः इसको दुबारा नहीं उठा सकते।

श्री अध्यक्ष : उसमें डिलीट का प्रश्न नहीं है, जो है, वही है। राज्यपाल महोदय ने जो पढ़ा है, ठीक पढ़ा है, एक चीज को दुबारा पढ़ दिया है विश्लेषण कर दिया है .....

(1-मध्यान्ह पश्चात्)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जोहरी बाजार जयपुर) : आपने व्यवस्था दी है 213 के अन्तर्गत। प्रश्न यह 213 का नहीं हैं। प्रश्न यह 176 के अन्तर्गत आता है। मेरा कहना है कि 4 अध्यादेशों का जो जिक्र किया गया है वे सदन की मेज पर नहीं रखे गए। जिन अध्यादेशों का जिक्र किया गया है वे जारी नहीं किए गए। मैं इस बात से सहमत हूँ जो बयाना और पाली से आने वाले माननीय सदस्यों ने कही है। प्रश्न यह है कि जिस अध्यादेश का जिक्र राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में किया गया है, क्या सदन या मुख्य मंत्री या सरकार कोई इस प्रकार का संशोधन कर सकते हैं या किसी विशेष क्लॉज को या पैराग्राफ को डिलीट कर सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष : संशोधन का प्रश्न नहीं है। इसके अतिरिक्त जो सारे प्रश्न आपने उठाए हैं इसमें कुछ और भी पेचीदगियां हो सकती हैं। मैं अध्ययन करके स्पष्टीकरण बाद में करूंगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : इस सदन की जो प्रोसिडिंगस् छपती है उसमें यह अभिभाषण भी ऐसे का ऐसा छापा जायगा या इसमें से जैसे प्रिंटिंग एरर के लिए मंत्री महोदय ने कहा, उसको निकाल कर संशोधित रूप में छापेंगे ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया : प्रिंटिंग एरर थी, वह रिपीट हो गई। डिलीट करने की जरूरत नहीं है न ही संशोधन करने की आवश्यकता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : तो फिर तीन अध्यादेश रहे, 4 नहीं।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : मुख्यमंत्री ने प्रिंटिंग एरर के दायरे में इस प्रकार विश्लेषण किया है। इसमें तो उनकी बुद्धिमता की दाद दी जा सकती है, प्रश्न यह है कि उनमें दुबारा एक्सप्लेनेटरी नोट्स नहीं थे, वह जो बात कही है उसको आप एप्रूव कर रहे

Page No. 46

(श्री भैरोंसिंह)
हैं ? यह बात सही है कि रिपीटिशन हुआ है ?

श्री अध्यक्ष : मैंने जैसा कहा इस प्रश्न का अध्ययन करके कहूँगा । उसमें एप्रूवल का प्रश्न भी आ जायगा ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : सुझाव नहीं है । इसको आज की स्थिति में मुख्य मंत्री ने जो कुछ कहा है, एप्रूव नहीं करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : मैंने व्यवस्था दी है, इसके उपरांत भी आपने सुझाव दिए हैं, उसके अंतर्गत मुख्य मंत्री जी का सुझाव मैं मान लेता हूँ । तो···

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): सुझाव नहीं है । इसको डिस्पोज आफ करना पड़ेगा । कम से कम आप इतना तो कह दें कि मुख्य मंत्री ने जो बात कही है वह सही है ।

श्री अध्यक्ष : मैं आपसे अपेक्षा रखता हूँ ।.....

श्री भैरोंसिंह : मैं भी आपसे अपेक्षा रखता हूँ ।

श्री अध्यक्ष: यह पारस्परिक सहयोग पर आधारित है, इस प्रश्न पर मैंने कहा कि मनन करेंगे । जहां तक संवैधानिक स्थिति है, माननीय सदस्यों ने जो और सुझाव रखे हैं और जो इस पक्ष में बातें कही गई हैं, जिनका आपने उल्लेख किया है, इस सारे प्रश्न पर यद्यपि मैं व्यवस्था दे चुका हूं और स्थिति साफ है फिर भी अध्ययन करके अपना संतोष प्राप्त करने की कोशिश करूंगा ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : पाइंट आफ आर्डर । अभी राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर डिबेट शुरू हो और उससे पहले यदि राज्यपाल के एड्रेस के शब्दों को लेकर किसी प्रकार का विवाद है तो उसका निराकरण बहस आरम्भ होने से पहले होना चाहिए । चाहे प्रिंटिंग एरर कहें या और कुछ कहें । डिबेट शुरू करने से पहले राज्यपाल के अभिभाषण को किस रूप में लेकर चलें, इसका स्पष्टीकरण अभी आना चाहिए ।

श्री अध्यक्ष : मैंने अपनी व्यवस्था दी । माननीय सदस्यों के सम्मुख और भी महत्वपूर्ण प्रश्न आ रहे हैं और मैं यह भी अनुमान लगाता हूं कि माननीय सदस्यों ने जिस प्रश्न पर चिंतन या विश्लेषण किया है वह स्वयं इस बात को समझते हैं, यह प्रश्न इतने महत्व का नहीं है.....

श्री भैरोंसिंह : है । इस अभिभाषण में कोई चीज रिपीट हो जाय, सारे विभाग के अधिकारियों को बरखास्त कर दें ।

श्री अध्यक्ष : यह दूसरा प्रश्न है कि अधिकारियों की कहां तक गल्ती है । मेरे सामने प्रश्न संवैधानिक स्थिति का है ।

श्री भैरोंसिंह : आप तो छोटी सी गल्ती बताते हैं ।

श्री अध्यक्ष : मैंने व्यवस्था दे दी है । यह पुनरावृत्ति विश्लेषण के साथ है । इसलिये इस विवाद को मैं बाधक नहीं समझता और यही व्यवस्था दी है । ऐसी हालत में आगे की कार्यवाही आरंभ रखी जा सकती है । अब कुछ आपने प्रश्न उठाए हैं संवैधानिक स्थिति के, मैं उनका अध्ययन करूंगा । इसलिए मेरी व्यवस्था इसकी गति को आगे चलाने के लिए पर्याप्त है । श्री परसराम ।

नियम, अधिसूचनाएं, प्रतिवे न आदि

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अध्यक्ष महोदय, मैं कम्पनीज अधिनियम, 1956, की धारा 619 (क) के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट होटल कारपोरेशन लि. की वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखे, 1966–67 की प्रति सदन की मेज पर रखता हूँ।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, मैं पंचायत एवं विकास विभाग को निम्नांकित अधिसूचनायें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है। सामुदायिक विकास मंत्री श्री परसराम मदेरणा आज अधिसूचनाओं की जो अनुमति चाहते हैं वे 1966 की हैं। उसके बाद इस सदन का अधिवेशन मई, जून व जुलाई में हुआ। तीनों अधिवेशनों में ये अधिसूचनायें सदन के पटल पर नहीं रखी गईं। आसन से इस प्रकार की ताड़ना मंत्रियों को दिए जाने के बावजूद कि अधिसूचनायें शीघ्रातिशीघ्र सदन की मेज पर रखी जायें, न तो मंत्रीगण इन ताड़नाओं के बारे में चिंता करते हैं न इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की भी कार्यवाही अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की लापरवाही के कारण करते हैं। मंत्रियों को ठीक करने का एक ही रास्ता है कि इन अधिसूचनाओं पर अनुमति प्रदान न की जाय और आसन की तरफ से की गई व्यवस्थाओं के उल्लंघन में इन मंत्रियों के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव में ओरली मूव करने की आपसे इजाजत चाहता हूं। आसन की प्रतिष्ठा के लिए भी वे आवश्यक है। हमें तो आपत्ति नहीं है······

श्री अध्यक्ष : आपका तो सारा ही प्रयत्न मेरे सम्बन्ध में है।

श्री दुर्गालाल बाददार (हवामहल, जयपुर) : इस प्रकार की व्यवस्था आप स्वयं दे चुके हैं। पहले भी मंत्रियों को इस बात के लिए आपने कहा है।

श्री अध्यक्ष : वह स्मृति सजग है।

श्री परसराम मदेरणा : यह बात सही है कि अधिसूचनायें पिछले सत्र में रखी जानी चाहिए थीं। न रखने में राज्य सरकार की तरफ से लैप्स हुआ है इसके लिए मैं सदन के सामने खेद प्रकट करता हूं। यह अधिसूचना मेरे मंत्री बनने से पहले की है। मुझे जानकारी नहीं थी। लेकिन राज्य सरकार ने इस बात के आदेश अधिकारियों को दिए हैं कि भविष्य में इस प्रकार की गल्ती न हों।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : माफ किया।

श्री परसराम मदेरणा : मैं पंचायत एवं विकास विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखता हूं :—

(1) अधिसूचना सं. एफ. 4/एल. जे./3 (1) 66/16857, दिनांक 14 दिसम्बर, 1966।

(2) अधिसूचना सं. एफ. 4/एल./पी. एल./ए. आर./(9) 66/16994, दिनांक 16 दिसम्बर, 1966।

(3) अधिसूचना संख्या एफ. 4/पी. एस./ए. आर. (13) 67/13707, दिनांक 16 दिसम्बर, 1967।

(4) अधिसूचना सं. एफ. 4/एल.जे-3 (1)/66/17267, दिनांक 22 दिसम्बर, 1966।

(श्री ·रसराम मदेरणा)

(5) अधिसूचना सं. एफ. 4/एल. जे/ 4 (26) 62/106 दिनांक 27 जनवरी, 1967 ।

(6) अधिसूचना सं. एफ. 4/एल. जे./ 2 (15)/65/1386, दिनांक 4 फरवरी, 1967 ।

(7) अधिसूचना सं० एफ 4।एल।पी० एस। ए० आर। 11|66 । 4797, दिनांक 16 अप्रेल, 1967

(8) अधिसूचना सं० एफ 4 । एल० जे। पी० एस । ए० आर । 12166, दिनांक 1 मई, 1967

(9) अधिसूचना सं० एफ 4 । एल। पी. एस. । ए. आर./1016614263 दिनांक 1 मई, 1967

(10) अधिसूचना सं० एफ 40160।पी. डी०। प्रशा।6:14405. दिनांक 3 मई, 1967

(11) अधिसूचना सं० एफ 3811-9) पी० डी०।ए. डी. एम.1631 4798, दिनांक 16 मई, 1967

(12) अधिसूचना सं. एफ. 4।एल. जे.। 3 (4)16711 0933, दिनांक 6 अक्टूबर, 1967

(13) अधिसूचना सं. एफ. 4।एल. जे.। 3 (1) 67111279, दिनांक 23 अक्टूबर, 1967

(14) अधिसूचना सं. एफ. 4।एल. जे.। 3 (1) 6711 1676, दिनांक 4 नवम्बर, 1967

(15) अधिसूचना सं. एफ. 4।एल. जे.। 2 (15) 6511 1888, दिनांक 9 नवम्बर, 1967

(17) अधिसूचना सं. एफ. 4।एल. जे। 3 (1) 66112640, दिनांक 24 नवम्बर, 1967

(17) अधिसूचना सं. एफ 4 (एल।पी एस.ए. आर। 1316711 2863 दिनांक 30 नवम्बर, 1967

(18) अधिसूचना सं. एफ. 4।एल।पी. एस.।ए. आर।1316711 2864, दिनांक 30 नवम्बर, 1967

श्री हरिदेव जोशी : (उद्योग मंत्री) : अध्यक्ष महोदय—

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह रिपोर्ट कब मिली आपको ?

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नांकित प्रतिवेदन एवं लेखे सदन की मेज पर रखता हूं।

(1) आदित्य मिल्स लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे, 1966

(2) राजस्थान वित निगम, जयपुर का 12 वां प्रतिवेदन 31 मार्च, 1967

(3) जयपुर स्पिनिंग एन्ड वीविंग मिल्स लि०, जयपुर की 30-9-1966 को समाप्त होने वाले वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट

(4) महालक्ष्मी मिल्स कम्पनी लि०, ब्यावर की 31 दिसम्बर 1966 को समाप्त होने वाले वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट . . .

(श्री हरिदेव जोशी)

(5) बीकानेर जिप्सम लि. का वार्षिक प्रतिवेदन, 1966-67.

(6) जयपुर उद्योग लि. का वार्षिक प्रतिवेदन। 1966-67

(7) एसोशिएटेड आइरन एन्ड स्टील इन्डस्ट्रीज लि. रामगंज मंडी का पांचवा वार्षिक प्रतिवेदन, 1966.

(8) राजस्थान स्माल इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन लि. का षष्टम् वार्षिक प्रतिवेदन, 1966-67

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक जानकारी करना चाहूंगा माननीय मंत्री महोदय से कि आपने यह जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किये उनके बारे में यह मानकर चला जाय कि ये लेटेस्ट हैं ?

श्री हरिदेव जोशी : मेरे पास इसके सिवाय दूसरे लेखे नहीं आये।

श्री भैरोंसिंह : आपके पास व्यक्तिगत न आये हों···

श्री हरिदेव जोशी : मेरा मतलब गवर्नमेन्ट के पास।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल जयपुर): दो वर्ष पूर्व के लेखे प्रस्तुत करने से क्या मतलब है फिर ? हम तो लेटेस्ट रिपोर्ट चाहते थे। गवर्नमेंट 1966 के लेखे दे रही है जिनको हम डिस्कस कर चुके हैं। जब हमने इस सम्बन्ध में पिछले सत्र में मांग की तो यह कहा गया कि गवर्नमेन्ट के अभी विचाराधीन है। सन् 1967 की लेटेस्ट रिपोर्ट्स कइयों की मेरे पास व्यक्तिगत तौर से है। वह भी मंत्री महोदय यहां सदन में प्रस्तुत नहीं करना चाहेंगे हालांकि उनके पास आ गयी होगी। या तो वे सदन को भ्रम में रखना चाहते हैं कि हमें नहीं मिली या सदन को लेटेस्ट रिपोर्ट्स में जो इश्यू रेंज किये गये हैं उनसे डीबेट के लिए महरूम किया जाय। पुरानी रिपोर्ट्स को सदन की मेज पर ले करने में कोई सेन्स नहीं है।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, जहां तक मुझे सूचना है यह ही रिपोर्ट्स गवर्नमेन्ट के पास हैं और कोई रिपोर्ट आयी होगी तो मैं बजट से पहले सदन के समक्ष प्रस्तुत कर दूंगा।

श्री भैरोंसिंह : आयी होगी या नहीं इससे तो कोई सेन्स नहीं है।

श्री हरिदेव जोशी : कोई गलत बात सदन में मैं कह दूं यह माननीय सदस्य मुझ से अपेक्षा नहीं करते होंगे।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स में रिपोर्ट डिस्कस होगयी हो वह मैंने सदन में रखने की अपेक्षा की है माननीय मन्त्री महोदय से, वह भी नहीं रखी जानी है तो··

श्री हरिदेवजोशी : कोई भी रिपोर्ट अवेलेवल है तो बजट डिस्कस करने से पहले मैं उसको सदन की मेज पर रख दूंगा।

श्री मथुरादास माथुर (वित्त मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नांकित पत्र सदन की मेज पर रखता हूं।

(1) हाई टेक प्रेसशन ग्लास लि० धौलपुर की 30 सितम्बर, 1966 को समाप्त होने वाले वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट।

श्री भैरोंसिंह : 67 की रिपोर्ट गवर्नमेंट के पास पहुंच गयी है।

श्री मथुरादास माथुर : (2) गंगानगर शुगर मिल्स लि० जयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन, 1967

श्री शोभाराम (सहकारिता मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान वेयर हाउसिंग कारपोरेशन जयपुर की रिपोर्ट एवम् लेखे, 1965–66 को सदन की मेज पर रखता हूँ।

श्री नारायणसिंह मसूदा (निर्वाचन मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं लोकसभा व विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की परिसीमन आयोग अधिनियम, 1962 की धारा 8(2) के अन्तर्गत सदन की मेज पर रखता हूँ।

श्री मथुरादास माथुर (वित्त मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं वित्त विभाग (वाणिज्यिक कर अनुभाग) की अधिसूचना संख्या एफ. 5(61) एफ. डी. (सी. टी.) 66 दिनांक 7 दिसम्बर, 1967 को, जिसके द्वारा राजस्थान बिक्री कर नियम 1955 में संशोधन किया गया है सदन की मेज पर रखता हूँ।

श्री अध्यक्ष : राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद विवाद।

कई माननीय सदस्य : व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव पेश किया है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। 30 दिसम्बर, 1967, 6 जनवरी, 1968, 14 जनवरी, 1968 को बारां में, तहसील मांगरोल में और अन्य तहसीलों में, 250 गांवों में ओला वृष्टि हुई है…

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर प्लीज।

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : ओला वृष्टि के कारण से अभाव ग्रस्त हो गये हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। मैं आपको जानकारी दूं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : (अपना भाषण जारी रखते हुए) ओला वृष्टि के कारण से भारी नुकसान हुआ है और फसलों को भारी नुकसान होने से अभावग्रस्त इलाके हो गए हैं।

श्री अध्यक्ष : (बार बार चेतावनी देते हुए) माननीय सदस्य। माननीय सदस्य आर्डर, आर्डर।

श्री देवीदत्त गाड़िया : (अपना भाषण प्रारम्भ रखते हुए) कई किसानों के पास खाने को नहीं रहता है. राजनैतिक आधार पर उस उदयपुर के इलाके अभावग्रस्ता इलाके घोषित कर दिये और यहां पर नहीं किये जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। माननीय सदस्य। आर्डर।

श्री देवीदत्त गाड़िया : भयंकर अकाल पड़ गया है, फसलें नष्ट हो गयी हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री वेणीरत्न गाड़िया (बारां) : उस पर विचार नहीं किया यह राजस्थान की सरकार पर कलंक है। जनता के साथ भयंकर अन्याय है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य । आर्डर आर्डर। आपकी वेदना, व्यथा, चिन्ता मुझे समझ में आ रही है। स्थगन प्रस्ताव के बारे में मुझ से तो आप पूछ लेते। यह आपका अधिकार है। आगे इसका उपयोग कर सकते हैं लेकिन माननीय सदस्य आपने जिस ढंग से आरम्भ कर दिया उसका तो अन्त नहीं होगा मैं अपेक्षा रखता हूं कि आपने जो स्थगन प्रस्ताव मुझे दिये हैं उनके बारे में मुझसे बिना जानकारी लिए आप बोलने लगें तो या तो मैं मौन रह कर सुनता रहूँ और आप बोलते रहें। लेकिन यह उचित नहीं होगा। माननीय सदस्य, आप सीनियर सदस्य बनते जा रहे हैं। यह मुझे पता लग गया कि आपके स्थगन प्रस्ताव का विषय गम्भीर है। मैं उसके बारे में जानकारी ले लेता हूँ। कल उस पर व्यवस्था दे दूंगा आपने फरमाया उसको मैं एक्सपन्ज नहीं करना चाहता।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न मेरा है। राज्यपाल महोदय के भाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव आये उससे पूर्व कल माननीय सदस्यों, जिनमें मैं भी एक था, ने नियम 119 के अन्तर्गत प्रस्ताव पेश किया है और उसके द्वारा आपसे यह मांग की है कि राज्यपाल महोदय ने पिछली बार अपने अभिभाषण में यह घोषणा की थी कि आपने भाषण में जो यह घोषणा की थी कि अनार्थिक जोतों पर लगान माफ इस खरीफ फसल से कर दिया जायेगा। विधान सभा में जो इस आधार पर अपने बजट में पेश किया था उसमें इसका प्रावधान किया था सारे प्रदेश में, वह मंत्री महोदय जो एक या दो वोट के लिये फरेब बाजी, अन्याय, जुल्म.....।

श्री अध्यक्ष : आर्डर ! आर्डर।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : उन्होंने यह कहा कि प्रगति शील कदम उठाये हैं, उन्होंने उन लोगों के साथ विश्वासघात किया है। लेकिन मुझे यह शर्म के साथ कहना पड़ता है कि उन्होंने चुने हुये जनता के विधायकों के साथ भी विश्वासघात किया है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

यह व्यवस्था का सवाल है। बहस बाद में हो कि पहले यह सवाल है। मैं समझता हूँ श्री रामानन्द जी ने एक स्थगन प्रस्ताव दिया है....।

(बीच में कई माननीय सदस्यों ने मैंने भी दिया है, मैंने भी दिया है मैंने भी दिया है कि अवाजें लगाई)

जितने भी माननीय सदस्यों ने दिये हैं वे सभी प्रस्ताव मेरे पास हैं। उसमें इतना ही आग्रह है कि प्रस्ताव को अभिभाषण के पूर्व लिया जाय या बाद में। अब प्रस्ताव पर बोलने का समय नहीं है। अगर आप इस प्रश्न पर मुझ से पूछना चाहते हैं कि अभिभाषण के पूर्व लिया जाय या बाद में। समय का प्रश्न है। जहां तक प्रस्ताव के औचित्य का प्रश्न है उसके सम्बन्ध में मैं अभी कुछ नहीं अर्ज कर रहा हूं। सिर्फ

(श्री अध्यक्ष)
अभिभाषण के पूर्व लिया जाय या बाद में लिया जाय यह व्यवस्था का प्रश्न है। आप तो सारे प्रस्ताव के प्रश्न पर बोलने लग गये कि यह हो गया, वह हो गया..।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : उसको धन्यवाद के प्रस्ताव के पूर्व लिया जाना चाहिये, उसी की भूमिका तो कह रहा हूँ

श्री **अध्यक्ष** : आपने तो तथ्यों को रखना शुरू कर दिया।

श्री **रामानन्द अग्रवाल** : हमें तो यह कहने का अधिकार है क्योंकि आज उनको यह महसूस हो गया कि बहुमत इतना है कि वे विधान सभा का अपमान करें, गवर्नर का अपमान करें, गवर्नर के अभिभाषण को सैंक्टिटि नहीं दें। आज्ञा प्रसार करदी उन पर जो अनार्थिक जोते हैं उन पर लगान वसूल किया जाय। इसलिये अध्यक्ष महोदय आज जब वाद-विवाद शुरू हो और जो अभिभाषण दिया गया था और जिस अभिभाषण की स्वयं सरकार ने उसकी महत्ता को एक दम नष्ट कर दिया। मेरा आपसे निवेदन है कि हम राज्यपाल महोदय के भाषण को कोई महत्व देना चाहते है तो उसमें किये गये उल्लेख, उसमें की गई घोषणाओं, नीतियों को सरकार को बिना विधान सभा के सामने लाये, बिना विधान सभा को पूछे, बिना पुष्टि लिये बदले। मैं समझता हूं इस तरह सरकार को अपना निर्णय नहीं बदलना चाहिये। यह नीति का प्रश्न है। एक तरफ आपने अनार्थिक जोतों का लगान माफ करने के लिये कहा और दूसरी तरफ कहते हैं कि हम लगान माफ नहीं करेंगे।

श्री अध्यक्ष : खैर, मैं आग्रह करूंगा माननीय सदस्य....।

श्री **रामानन्द अग्रवाल** : दूसरी तरफ आपने कहा कि जिनकी ज्यादा सीलिंग है उनमें लेंगे। यह न तो आज तक बताया, राजस्व मंत्री ने यह सूचना भिजवा दी। 12 दिसम्बर को कलेक्टरों को एक आदेश भेज दिया कि वसूली की जानी चाहिये। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह अत्यन्त महत्व का प्रश्न आपके अधिकार क्षेत्र में है और लोक सभा में जब इस तरह बहस हो रही थी और खाद्य की बहस पर जब सदन ने यह चाहा कि खाद्य समस्या बड़ी ज्वलन्त समस्या है उस पर पहले विवाद होना चाहिये। वहां के माननीय अध्यक्ष महोदय ने और स्वयं प्रधान मंत्री ने एक जिद्द की लेकिन खाद्य की बहस पहले हुई और राष्ट्रपति के भाषण पर बाद में बाद विवाद हुआ। तो अध्यक्ष महोदय मैं यह चाहूंगा कि प्रस्ताव जो हमने पेश किया है उस पर पहले बहस कराई जाय और उसके बाद राज्यपाल महोदय के भाषण को लिया जाय।

अध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं जो निन्दा प्रस्ताव विरोधी दल के माननीय सदस्यों ने व विभिन्न दलों के नेताओं द्वारा आपके सामने प्रस्तुत किया गया है उसके लिये मेरा यह आग्रह है कि राज्यपाल के अभिभाषण के वाद विवाद को प्रारम्भ करने से पहले उस निन्दा प्रस्ताव पर पहले बहस की जानी चाहिये। उस प्रस्ताव पर बहस क्यों होनी चाहिये इसके अध्यक्ष महोदय दो कारण है। पहला कारण तो यह है कि उसके महत्व को देखकर और दूसरा कारण यह है कि हमारी

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
संसदीय प्रणाली में उसके लिये प्रोविजन्स है, उसके लिये परम्परायें भी हैं और इसलिये उसको पहले लिया जाना चाहिये। इसके महत्व के दृष्टिकोण से अध्यक्ष महोदय मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि पिछला जो अभिभाषण माननीय राज्यपाल महोदय ने 4 मई, 1967 को दिया था—अनार्थिक जोतों पर लगान मुक्त करने की घोषणा, उसी आधार पर माननीय वित्त मंत्री जी ने अपना बजट भाषण दिया था और बजट के जो आंकड़े आमदनी के प्रस्तुत किये गये थे उसी के आधार पर यह प्रस्तुत किया गया था इतना ही नहीं अध्यक्ष महोदय, उस आधार पर कि सरकार ने इस आमदनी को करीब एक करोड़ 20 लाख बताया था। इस आमदनी को पूरा करने के लिए एक कर का प्रस्ताव माननीय वित्त मंत्रीजी ने रखा था। कर का अनुमोदन हम लोगों ने किया था। बड़ी जोत वालों पर आप बढ़ा दें लेकिन जो छोटी जोत वाले हैं, अनार्थिक जोत वाले हैं उनको मुक्त करें और इस सदन ने माननीय वित्त मंत्री जी के जो टेक्सेज प्रपोजल थे, जो सी सर चार्ज लैन्ड रेवेन्यू पर बढ़ाया उसको इस सदन ने स्वीकृति दी थी।

उसके पश्चात् जब अमल का प्रश्न आता है, माननीय अध्यक्ष जी, इस सरकार ने उन अनार्थिक जोतों के लगान मुक्त न करके राज्यपाल महोदय के भाषण में घोषणा के बावजूद इस सदन की स्वीकृति के बावजूद इस सदन के बजट द्वारा इसकी मांग जो मंजूर हुई उसमें किसी प्रकार भी इस प्रकार का प्रोविजन न होने के बावजूद इस सदन की भावनाओं और निर्देशों के विपरीत सरकार ने उन अनार्थिक जोतों से और लगान वसूल करने की आज्ञा जारी कर दी। अध्यक्ष महोदय, पहले तो मेरा यह निवेदन है जिसके लिए मैं यह आग्रह करूंगा कि इसके महत्व को देखते हुए अभिभाषण से पहले इस पर बहस की जाय। सरकार ने इस सदन की आज्ञाओं का उल्लंघन किया, इस सदन की सुप्रीम ऑथोरिटि को न मानकर और अपने निर्णय को अपने आर्बिट्रेरी एक्शन से उस टैक्स को वसूल करने का प्रयत्न कर रहे हैं। दूसरा इसलिए महत्व है अध्यक्ष महोदय कि माननीय राज्यपाल महोदय ने जो कल अभिभाषण दिया था.........

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर !

श्री रामानन्द अग्रवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय मैं थोड़ा सा निवेदन कर दूं ....।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

मैं जहां तक समझ पाया हूं आपका ख्याल यह है कि मैं इसके महत्व को नहीं समझ रहा हूं। चूंकि व्यवस्था मुझे देनी है इसलिए प्रस्ताव के महत्व को मैं मानकर चलता हूं। मैं आपसे भी यह चाहता हूं कि आप उसके तथ्यों पर न जायें। आपको दूसरा अवसर मिलेगा तथ्यों में जाने का, उस समय करें। मेरे सामने प्रश्न सिर्फ यह है कि इस प्रस्ताव को राज्य-पाल महोदय के भाषण के विवाद के पूर्व लिया जाय या बाद में लिया जाय और यदि पूर्व लिया जाता है तो परम्परायें और हमारे नियम मुझको क्या इस तरह का कोई आदेश देते हैं और बाद में लेते हैं तो आपको

(श्री अध्यक्ष)
क्या दिक्कत होती है। व्यवस्था, परम्परायें और नियम के सम्बन्ध में प्रकाश डाले तो मुझे बल मिल सकता है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय जहां तक नियमों का सवाल है हमारी प्रक्रिया और कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 17 की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इन नियमों के तहत अध्यक्ष महोदय, यह कहा गया है कि अन्य कार्य भी लिए जा सकते हैं। माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के पूर्व ये नियम इस बात की इजाजत देते हैं कि कुछ और बिजनेस कुछ और कार्य इस सदन के अन्दर अभिभाषण पर बहस करने से पहले लिये जा सकते हैं उस तरह से धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पहले भी कुछ और बिजनेस लिया जा सकता है।

उस बिजनेस में इस बात का उल्लेख है कि जो औपचारिक तौर पर कागज सरकार सदन की मेज पर रखना चाहती है वे रखे जा सकते हैं। उसमें यह बात भी है कि सरकार अगर चाहे तो जो बिल्स वे लेना चाहते हैं वे भी रख सकते हैं। उसके साथ साथ उसमें गैर सरकारी कार्य का भी उल्लेख है। जहां सरकारी कार्य को लिया जाने का उल्लेख है वहां अन्य गैर सरकारी महत्वपूर्ण कार्य भी लिए जाने का उल्लेख किया गया है जैसा कि हमारे रूल 55 के तहत अगर कोई महत्वपूर्ण विषय है जिसको हम एडजोर्नमेंट मोशन के रूप में प्रस्तुत करना चाहें तो कर सकते हैं अगर चाहें कि इस पर फौरन विचार किया जाय तो इसके लिए जो रूल 17 है उसके भाग (3) में कहा गया है।

"किसी बैठक के दौरान में नियम 55 के अन्तर्गत स्थगन प्रस्ताव द्वारा ही अभिभाषण पर चर्चा रोक दी जायगी"

इन रूल्स के मुताबिक यह बात तो साबित हो गई है कि अभिभाषण पर बहस के दौरान भी दूसरे कार्य लिए जा सकते हैं, सरकारी और गैर सरकारी दोनों कार्य लिये जा सकते हैं जहां रूल 55 के तहत स्थगन प्रस्ताव के रूप में चर्चा उठा सकते हैं या अन्य प्रस्ताव रख कर भी चर्चा कर सकते हैं। यह जो निन्दा प्रस्ताव 119 के तहत इसलिए रखा है कि इसका एक महत्व है जहां तक स्थगन प्रस्ताव का सम्बन्ध तात्कालिक महत्व के प्रश्न को सार्वजनिक महत्व के प्रश्न को रिसेन्ट ओकरेन्स के प्रश्न को रूल 55 और 119 के तहत रखने में कोई फर्क नहीं है। रूल 55 और 119 के तहत ऐसे सार्वजनिक महत्व के विषय जो रिसेन्ट ओकरेन्स के होने चाहिये जिस पर फौरन ध्यान दिया जाना चाहिए रखे जा सकते हैं। स्थगन प्रस्ताव पर हाउस मतदान नहीं करता उस पर निर्णय नहीं लेता है और जो 119 के तहत मोशन आता है उस पर हाउस का निर्णय होता है।

मैं अध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहता हूं कि अपने रूल्स इस बात की इजाजत देते हैं कि कोई भी प्रस्ताव अभिभाषण पर बहस के पूर्व लिये जा सकते हैं बशर्ते कि वे आवश्यक हों, रिसेन्ट ओकरेन्स के हों, सार्वजनिक हित

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

में उनका उठाना आवश्यक हो। इस बारे में लोकसभा का भी उदाहरण हमारे सामने है जो मेरे से पूर्व माननीय सदस्य ने दिया था खाद्य के प्रश्न पर बहस राष्ट्रपति के भाषण पर बहस से पूर्व बहस करने का अवसर दिया गया था···

श्री अध्यक्ष : मैंने सम्पूर्ण स्थिति को पढ़ लिया है आप उसे दोहरायें नहीं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इसीलिए मेरा निवेदन है कि इस प्रस्ताव को लिया जाना चाहिये। इसके अलावा कल तमाम विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों ने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का जो बहिष्कार किया था वह इसीलिये किया था कि राज्यपाल द्वारा कही हुई बात को गवर्नमेन्ट पूरा न करे, उनके कहे हुए वाक्यों की इज्जत न करे, उसका पालन न करे, इसी कारण यह प्रस्ताव लाया गया है। इस पर बहस अभिभाषण के प्रस्ताव पर होने से पहले की जानी चाहिये, ताकि जो सरकार ने अवैधानिकता की है और सदन की मर्यादा भंग की है उस सम्बन्ध में यह सदन निर्णय ले। रूल 17 हमें पूरी तरह से अधिकार देता है, इस बात की महत्वता को देखते हुए इस सदन के सर्वोपरि अधिकारों का ख्याल रखते हुए जो प्रजातान्त्रिक परम्पराओं को तोड़ा गया है उसके लिए रूल 17 में अधिकार दिये गये हैं कि हम पहले इस निन्दा प्रस्ताव पर बहस कर सकते हैं इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि पहले इस प्रस्ताव पर बहस करने की अनुमति प्रदान करेंगे।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य भावनाओं में ही बह रहे हैं।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ रूल्स रेफर करना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष : मैं भी चाहूँगा आप भी बोलें लेकिन आप से पहले माननीय सतीशचन्द्र जी बोलना चाहते हैं अतः उनको बोलने दीजिये।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : मैं तो बड़ा ब्रीफ ही रहता हूँ।

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर पाली से आने वाले माननीय सदस्य जो धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले हैं उसी सम्बन्ध में यहां दूसरे माननीय सदस्य ने एक दूसरा संकल्प प्रस्तुत किया है···

श्री मूलचन्द डागा : यह प्रस्ताव हमारे सामने नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वह प्रस्ताव आपके सामने नहीं है लेकिन अध्यक्ष महोदय के सामने है। उस प्रस्ताव पर बहस की मांग करते समय कोई सदस्य जागरूक रहता है तो वह व्यवस्था का सवाल खड़ा कर सकता है। अध्यक्ष महोदय जो प्रस्ताव आपके सामने है वह प्रस्ताव सबके सामने आजाये यह माननीय सदस्य चाहते हैं।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : माननीय सदस्य आपके सामने जो प्रस्ताव हैं वह सब के सामने आजायें इसलिये आप पढ़ दें।

Page No. 56

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव के मेरिट के सम्बन्ध में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। आज 15 साल के पीरियड् में पाली से आने वाले माननीय सदस्य को धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अवसर मिला है हालांकि मन्त्री मण्डल में वे आना चाहते थे लेकिन उनको न लेकर यह प्रस्ताव प्रस्तुत करने की इजाजत देकर उनको राजी किया गया है।

श्री मूलचन्द डागा : मैं पन्द्रह साल तक तो सदस्य ही नहीं रहा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : बीच में आप छुट्टी चले गये थे।

एक माननीय सदस्य : जनता ने रिजेक्ट कर दिया था।

श्री अध्यक्ष : वे आपके भविष्य के लिए कह रहे है।

एक माननीय सदस्य : आपको मालूम होना चाहिये दो बार चुनाव में हार गये थे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सर्विस तो कन्टिन्युएशन में है पांच साल के लिये छुट्टी चले गये थे। अध्यक्ष महोदय, आप नियम 254 की ओर ध्यान दौड़ाइये।

"Every notice required by these rules shall be given in writing to the Secretary, and singed by the member giving notice, and shall be left at the Notice office which shall be opened for this purpose between the hours to be notified from time to time on every day except Sunday or a Public Holiday".

इस नियम के अन्तर्गत आपके यहां सूचना से हमको मिली दोपहर के तीन बजे तक जो सूचना नोटिस आफिस को मिलेगी वह उसी दिन आई हुई मानी जायगी और तीन बजे बाद जो सूचना प्राप्त होगी वह अगले दिन के लिए मानी जायगी। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कल श्री–मूलचन्द जी डागा ने जो प्रस्ताव दिया है उस प्रस्ताव की सूचना नियम 254 के अन्तर्गत तीन बजे के बाद में नोटिस आफिस को दिया गया·····

श्री मूलचन्द डागा : मैंने उसी दिन 12.45 बजे दे दिया था।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसका मतलब यह हुआ राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को आपने सुना नहीं उससे पहले ही आपने धन्यवाद का प्रस्ताव दे दिया। यह बात तो ऐसी ही हुई जैसे शादी से पहले ही हनीमून मनाना। राज्यपाल का भाषण 3॥ बजे तक चलता रहा और धन्यवाद प्रस्ताव 12॥ बजे ही दे दिया।

श्री मूलचन्द डागा : भाषण समाप्त हुआ उसके बाद दे दिया है।

एक माननीय सदस्य : आजकल सब चलता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अब कह रहे हैं, भाषण के बाद दिया। वह अभिभाषण 3॥ बजे प्रारम्भ हुआ और 4॥ बजे के करीब समाप्त हुआ। इससे जाहिर है कि सूचना देने के लिए जो निर्धारित

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

अवधि थी वह 3 बजे तक की थी और इसकी सूचना निर्धारित अवधि के बाद दी जो नोटिस दूसरे दिन आया माना जावेगा। इसलिए वह सूचना आज दी गई मानी जावेगी नियमों के अनुसार। इसका यह इन्टरप्रिटेशन है। परम्पराओं का सवाल नहीं। वह अलग है और जो प्रस्ताव आज प्रस्तुत किया गया समझा गया है उसमें संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत करने का मुझे अधिकार दोपहर तीन बजे तक का है। मैं तीन बजने से पांच मिनिट पहले अपना संशोधन प्रस्तुत करना चाहता हूं और धन्यवाद के प्रस्ताव में संशोधन प्रस्तुत करने का अधिकार तीन बजे तक हमको है तो कैसे कोई सोचता है कि तीन बजे से पहले प्रारम्भ करके संशोधन न आवे।

इसलिए अध्यक्ष महोदय, नियमों की व्यवस्था यह है कि नियमानुसार यह प्रस्ताव जो मूलचन्दजी डागा ने आज दिया वह आज दिया हुआ माना जावेगा और आज दिए हुए प्रस्ताव में दोपहर के तीन बजे तक संशोधन प्रस्तुत करने का अधिकार हर सदस्य का है। इस अधिकार से उसे वंचित नहीं किया जा सकता और तीन से पूर्व तो कोई वाद विवाद नहीं हो सकता यह निश्चित है।

इतना और निवेदन कर दूं कि हमारे इन रूल्स के नियम 212 के अन्तर्गत एडवाइजरी कमेटी बनी थी। किस दिन क्या बिजनेस लिया जावे यह वह तय करती है। इसके बारे में नियम हैं। फिर इसके बारे में वह नियम नहीं कि दूसरे दिन ही बहस आरम्भ की जावे। इसलिए बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग दोपहर को होगी, उसमें निर्धारित किया जा सकता है कि कौनसा समय वाद विवाद के लिए निश्चित किया जावे। यह अध्यक्ष महोदय, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के परामर्श से निर्धारित किया जा सकता है। इसलिए निवेदन है कि यह हमारा एक महत्वपूर्ण संकल्प है। विरोधी दलों की ओर से जो राज्यपाल महोदय ने गत वर्ष राज्य सरकार की ओर से घोषणा की थी और इस सरकार ने राज्यपाल महोदय के मुख से जो घोषणा करा कर वापिस ले लिया और इस तरह से अपने इस कार्य से उसने इस सदन की और राज्यपाल की जो इन्सल्ट की है उससे एक प्रकार से राज्यपाल की प्रतिष्ठा पर गहरी चोट की है। इससे सदन के विरोधी सदस्यों को बहुत बड़ी वेदना पहुंची है।

यह एक इस तरह से सार्वजनिक महत्व का सवाल है इसलिए धन्यवाद के प्रस्ताव पर आज विचार नगर के इस प्रस्ताव पर विचार किया जावे।

अगर इस में दूसरी दिक्कतें आती हैं तो इन नियमों में रेजीड्युअरी पावर अध्यक्ष महोदय, आपको दिये हुए हैं आप उनका उपयोग करते हुए विशेषकर नियम 308 और 307 के अन्तर्गत यह अनुमति प्रदान करें कि धन्यवाद का प्रस्ताव पर विचार करने के पहले इस संकल्प पर विचार करें।

श्री अध्यक्ष: (श्री मुकुट बिहारी लाल के खडे होने पर) आर्डर आर्डर!

श्री मुकुट बिहारी लाल भार्गव (बयाना): परम्परा का इतिहास मैं देना चाहता हूं।

Page No. 58

श्री अध्यक्ष: विधि मंत्री ।

मैंने इस सारे प्रश्न को, इसकी परम्पराओं को, तत्संबंधी नियमों को, हमारे सदन के नियम और जिन परिस्थितियों का उल्लेख है, उन सबका अध्ययन किया है मैंने, अब यह पोइन्ट आफ आर्डर का प्रश्न बडे विश्लेषण और विस्तार के साथ रख दिया है सतीशचन्द्र जी ने, और दूसरे सदस्य भी रक्खेंगे । इसमें समय का अधिक उपयोग न किया जावे तो अच्छा हो । क्योंकि हमने किसी न किसी तरह से इस पर व्यवस्था ली है । मैं चाहता हूं विधि मंत्री इस पर अपना दृष्टिकोण दे दें । माननीय सतीशचन्द्र जी ने एक प्रश्न रखा है । दो बजे बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग होगी उसमें और माननीय सदस्य सहयोग दें तो उस मीटिंग में यह मसला भी रख देना चाहता हूं ।

यह अभिभाषण का प्रश्न भी उसमें आजावे । इस सदन की परम्पराओं का प्रश्न निश्चय ही मेरे लिये विचारणीय है यह नियम 17, 19 या 254 जो कुछ भी बताये गये इनके सन्दर्भ में इसको पूर्व लिया जावे या बाद में लिया जावे इस पर भी बिजनैस एडवाइजरी कमेटी विचार करले । ऐसी स्थिति में इस समय इस पर व्यवस्था दे न सकूंगा ।

मैं समझता हूं कि अपना दृष्टिकोण भी कमेटी के सामने रख दूं जो भी सदस्य हैं वे भी रख दें और फिर निर्णय ले लिया जावे । आखिर डिबेट को समय देने का प्रश्न महत्वपूर्ण होगा और यह प्रश्न बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की आज की मीटिंग के सामने विचारणीय होना चाहिये । तो मैं आपसे निवेदन करूं कि इस पर ज्यादा वाद विवाद इसकी प्रोप्राइटरी के सम्बन्ध में, नियमों के सम्बन्ध में न करें तो अच्छा है । और इसको मुझे वहीं रख देने दीजिये ।

श्री रामकिशन : तब तक क्या करें सहाब !

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, सर्वोपरि अधिकार सदन को है । हमारे नियम चल रहे हैं । उनमें आप परिवर्तन ला सकते हैं । पर जब तक वे नियम हैं तब तक हमें मान्य होने चाहिये । सदन की भावना को देखते हुए अध्यक्ष महोदय को सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त हैं । वे सदन की भावनाओं का अध्यन करते हुए अपनी व्यवस्था प्रदान कर सकते हैं । यह अभिभाषण पर जो भी वाद-विवाद हुआ नियम 5 में उल्लिखित है । आप स्वयं इस विषय पर दल के नेता से और उन व्यक्तियों से परामर्श करने के पश्चात् समय निर्धारित करने की व्यवस्था कर सकते हैं । फिर किस प्रकार किसी व्यक्ति को अपना उसमें संशोधन प्रस्ताव देने का अधिकार होगा यह भी सारी व्यवस्था इसमें है । आपके सामने बडा महत्वपूर्ण प्रश्न यह आया जो माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत कई प्रस्तावों से पैदा हुआ उसमें संशोधन प्रस्तुत करने का अधिकार भी नियमों के अनुसार है जिन नियमों को हम मान्यता देते आये हैं और उनका पालन करते आये हैं । इन नियमों के उल्लंघन का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता । मैं जैसा पूर्व में भी कह चुका हूं :

आसन ने तुमको दिया सदन शिरोमणि मान
सदन शिरोमणि ही रहे, इसका रखो ध्यान ।

श्री अध्यक्ष : आसन ने भी आपको ऐसाही माना है । पारस्परिक आदान प्रदान का प्रश्न है ।

Page No. 59

श्री दुर्गालाल दाखार : तो मेरा निवेदन करना यह है कि जो यह हमारे नियम हैं ।

श्री अध्यक्ष : मैं समझ गया ।

श्री युगल बिहारीलाल गंगद (बयाना) : अध्यक्ष महोदय, मैं केवल परम्पराओं की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूँ ।

ऐसा प्रश्न केवल यहां पर खडा हुआ हो या लोकसभा के सामने ही आया हो ऐसा भी नहीं है । हम पालियामेन्टरी पद्धति के लिये ब्रिटिश पालियामेन्ट की संसदीय प्रणाली से थोडा मार्ग दर्शन लेते हैं । तो ब्रिटिश संसद में भी कितने ही ऐसे उदाहरण आये हैं ।

आज से पहले 1884 में भी सूडान के प्रश्न के समय यह समस्या आई थी । उसको लेकर उस समय की सरकार के खिलाफ जब सैंसर मोशन रखा गया था तो प्रश्न पैदा हुआ कि जो किंग्स एड्रस है वह पहले ही या सैंसर मोशन पहले लिया जाय तब यही निर्णय लिया गया कि सैंसर मोशन पहले लिया जाय और उसके एक दम बाद ही धन्यवाद प्रस्ताव लिया जावे । इसके बाद 1922, 1924 और 1925 में एक बार नहीं अनेकों बार ऐसी परम्परा का अनुकरण किया गया ।

तो इससे जाहिर है कि धन्यवाद का प्रस्ताव पहले लिया ही जावे यह जरुरी नहीं । यह तो एक हमारी सुविधा की बात है जिसके अन्तर्गत हम अपना समय निश्चित करते हैं ।

श्री अध्यक्ष : मैं इसको भी मान लेता हूँ कि हो सकता है । विवाद समाप्त करिये ।

श्री विधि मन्त्री :

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : दो शब्द इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि रूल्स के अन्तर्गत जो कुछ भी व्यवस्था है उसमें आपकी अनुमति अनिवार्य है, किन्तु माननीय सदस्य श्री सतीशचन्द्रजी अग्रवाल ने जो आपत्ति माननीय सदस्य बालचन्द डागा (मूलचन्द डागा) के मोशन के सम्बन्ध में उठाई है उस पर विचार करना चाहिए । वह समय का प्रश्न है और इसके अन्दर मेरे खयाल से कोई कन्फ्यूजन नहीं है । इसलिए मैं आपसे विनम्रतापूर्वक यह निवेदन करूंगा कि बिजीनेश एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग बुलाई जाय और बिजनेश एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में जो कुछ भी आपको कार्य-प्रणाली निश्चित करनी है वह प्राप्त करिये । लेकिन उसके साथ साथ यह भी तो प्रश्न उत्पन्न होता है कि इस दरम्यान सदन में क्या कार्यवाही होगी ? एक प्रस्ताव महत्वपूर्ण आपको दिया है उस पर केवल मात्र आपकी स्वीकृति की दरकार है । उस पर वादविवाद हो सकता है । वह महत्व-पूर्ण प्रस्ताव यों है कि इस सदन के अन्दर माननीय राज्यपाल महोदय के द्वारा इसी राजस्थान सरकार ने कुछ ही महीने पहले एक पालिसी, एक नीति-निर्धारण के सम्बन्ध में घोषणा की । अब दूसरी बार जब राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हुआ उस समय उस घोषणा के सम्बन्ध में एक भी शब्द राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में नहीं थे । तो जनता परेशान हो रही है । आपको पता नहीं है। मैं एक ऐसे जिले से आया हूं....

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, ये किस पर बोल रहे हैं ?

Page No. 60

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : मैं विशेष समय नहीं लूंगा। लेकिन जनता परेशान है। इसमें कोई पार्टी का प्रश्न नहीं है। जनता में कांग्रेस पार्टी भी है और दूसरी पार्टियां भी हैं। लेकिन तीन-चार साल से दुष्काल से ग्रसित हैं उनसे लगान तावड़-तोड़ वसूल किया जा रहा है, मगर यहां पर अगर विरोधी पक्ष के द्वारा यह सुझाव रखा जाय कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के बाद इस समस्या को लेकर इसके ऊपर वाद-विवाद किया जाय, मेरे खयाल से, अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में आप व्यवस्था न दें और आप यह कहें कि वर्तमान भाषण जो राज्यपाल महोदय ने कल ही सदन के सामने कृपा करके दिया उस पर वाद-विवाद हो मेरे खयाल से यह तो Putting the cart before a horse होगा, और इसमें फिर भी मैं आपको यह निवेदन करना चाहता हूं कि इन्हीं रूल्स के अन्तर्गत माननीय सदस्य श्री बालचन्दजी डागा सवा बारह बजे नोटिस कैसे दे सक यह असम्भव है। मेरे खयाल में इनकी बुद्धिमता के लिए भी अशोभनीय है।

और मैं इसके साथ साथ यह भी समझता हूं कि इसकी जो घोषणा राज्यपाल महोदय के द्वारा सरकार ने कराई उसके बाद मुकर जाना यह भी सरकार के लिए एक महान भद्दी और अशोभनीय चीज है।

इसके साथ साथ मैं कहता हूं कि हजारों छोटे किसानों के ऊपर यह घोर कुठाराघात ही नहीं विश्वासघात भी है (विपक्ष की ओर हियर, हियर)

इसके साथ-साथ मैं यह कहे बिना भी नहीं रह सकता कि आखिर हम इन्सान हैं, हम हैवान नहीं हैं। हमारे सदन की परम्परा के अनुसार मैं यह भी अनुभव करूंगा कि हमारे प्रति भी घोर इन्सल्ट और अपमान है इसकी भी हमको असहय वेदना है यह सारी समस्या है। अध्यक्ष महोदय, आप हम लोगों को कान्फीडेंस में लें और ये रूल्स हैं और इन रूल्स का डिटरमिनिंग, ओवरराइडिंग फेक्टर केवल-मात्र यही है और होना भी चाहिए कि अध्यक्ष महोदय की ओर से जो व्यवस्था दी जायगी वह सर्वमान्य है। मैं इतना ही निवदन करूंगा कि आप हमको कान्फीडेन्स में ले। जो प्रोसीजर को इतना कम्प्लीकेटेड बनाते हैं वह हमारे लिए भी एम्बेरेसिंग है और मेरे खयाल से इनके लिए भी एम्बेरेसिंग हैं।

श्री रामकिशन (बैर) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में बहुत महत्वपूर्ण बात कहना ......

श्री अध्यक्ष : श्री डागा।

श्री रामकिशन : मेरा इस सम्बन्ध में प्रस्ताव भी है और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है..

श्री अध्यक्ष : आपको भी समय दे दूंगा। मैं समझ गया आपकी सारी बात को।

(श्री रामकिशन के पुनः बोलने पर) माननीय सदस्य मैं आपको समय दे दूंगा।

इस ओर से काफी बोल चुके हैं। मैं डागा को समय देना चाहता हूं।

श्री बालचन्द डागा (पाली) : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक बात कही कि परम्पराओं के आधार पर जब गवर्नर महोदय ने अपना भाषण सदन के सामने प्रस्तुत कर दिया और मैंने अपना प्रस्ताव धन्यवाद का रख दिया उसके बाद आपका जो प्रश्न रहता है कि हम

(श्री मूलचन्द डागा)
संशोधन किस प्रकार देंगे, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ....

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : अध्यक्ष महोदय, सब जनतन्त्रों में सर्वोपरि परम्परा यह है कि जनहित हो । जनहित का प्रश्न है । जनहित के सामने सब परम्पराएं गौण हैं ।

श्री मूलचन्द डागा : बोलने का कहते हैं तो लोकतन्त्र में बीच में नहीं बोलते हैं...

एक माननीय सदस्य बैठ जाओ ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मैं क्षमा चाहता हूं, आपको बोलने का अधिकार है, लेकिन वाद-विवाद जो कुछ भी परम्परा का प्रश्न पैदा कर रहे हैं तो उस परम्परा के सम्बन्ध में यह कहता हूं कि परम्परा जनतन्त्र की केवल मात्र जनहित के अन्दर निहित है ।

श्री मूलचन्द डागा : यही परम्परा है कि आप बीच में बोलने लग जायं ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, जब कोई सदस्य बोलता है और बीच में विरोधी दल के नेता बोलते हैं तो यह परम्परा नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : आरम्भ रखिये ।

श्री भैरोंसिंह : यह आदत तो आपकी रही है ।

श्री मूलचन्द डागा: मैंने एक बात कही है कि नियम 16 के अन्तर्गत:—

"Amendments may be moved to such Motion of Thanks in such form as may be considered appropriate by the Speaker."

आपने जो आपत्ति उठाई है कि हम अपने प्रस्ताव पर संशोधन या एमेन्डमेंट पेश करना चाहते हैं तो कब कर सकेंगे ?

एक माननीय सदस्य : तीन बजे तक ।

श्री मूलचन्द डागा : मैं समझता हूं कि कोई समय का सवाल नहीं है । सवाल यह है कि अभिभाषण 4-4।। बजे तो हुआ उसके बाद में समय की अवधि बढ़ाई जा सकती है और, अध्यक्ष महोदय, अभी भी आप संशोधन जिस रूप में रखना चाहते हैं लेने को तैयार होंगे । लेकिन गवर्नर महोदय के भाषण के बाद आप यह अपने आप में निर्णय करते हैं कि आपका प्रस्ताव बड़ा महत्वपूर्ण है यह तो अलग प्रश्न है कि अध्यक्ष महोदय, आपको प्रस्ताव रखने की इजाजत देते हैं या नहीं ।

कई माननीय सदस्य : वही तो व्यवस्था चाहते हैं ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर ! आर्डर!

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : प्रश्न यह है कि हमारे संकल्प को लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष : वह मैं समझता हूं । यह कह रहे हैं यह इनका तर्क है, लेकिन प्रश्न को मैं समझता हूं ।

श्री भैरोंसिंह (भरतपुर) : यह कुतर्क दे रहे हैं ।

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, आपने कोई आज्ञा नहीं दी तो उस हालत में इस विषय में जब आपने एक बार कह दिया कि गवर्नर के एड्रेस पर एक प्रस्ताव आपके सामने है, सदन के सामने है तो उस प्रस्ताव को नहीं लेकर बीच में दूसरा प्रस्ताव लाने की जो इजाजत दी जाय वह कहां तक वाजिब

Page No. 62

(श्री मूलचन्द डागा)

है, यह अध्यक्ष महोदय पर छोड़ा जा सकता है। लेकिन मैं यह प्रार्थना करूंगा कि जो उन्होंने यह आपत्ति उठाई है कि संशोधन कब करेंगे तो मैं समझता हूं कि 16 के अन्तर्गत ये संशोधन पेश कर सकते हैं ...

श्री अध्यक्ष : श्री डागा, आर्डर, आर्डर श्री रामकिशन !

केवल पिष्टपेषण होता है। सारे तथ्य मैं समझता हूं। वही 15, वही 16, वही 19..

श्री भैरोंसिंह : वही डागा।

(2 म. प.)

श्री रामकिशन (वैर) : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न इस वक्त सदन के सामने उपस्थित है। वह यह कि धन्यवाद प्रस्ताव से पहले निन्दा प्रस्ताव को लिया जा सकता है या नहीं माननीय अध्यक्ष ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि लिया जा सकता है, लिया जायगा, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है...

श्री अध्यक्ष : इसके महत्व के संबंध में कहा लेकिन यह नहीं कहा कि लिया जायगा, यदि लिया जाय तो कब लिया जाय।

श्री रामकिशन : लेकिन अध्यक्ष महोदय, मुझे यह निवेदन करना है कि नियम और परम्परा का हवाला काफी दिया गया लेकिन असल सवाल यह है कि, यह है निन्दा प्रस्ताव और निन्दा प्रस्ताव पर होगा वोट। इसमें दो सवालों को नहीं मिलाया जा सकता। धन्यवाद प्रस्ताव से पहले यदि निंदा प्रस्ताव को नहीं लिया जाता है तो वह अपने आप ही समाप्त हो जाता है। और यदि निंदा प्रस्ताव पहले लिया जाता है तो उस पर वोट होगा और मुझे आशा है क्योंकि 15 बीघा से कम जोत वाले किसानों पर लगान लगने का सवाल है इस पर उधर बैठने वाले माननीय सदस्यों को भी रोष है। उनको धोखा दिया गया और धोखा देकर पास करा दिया गया और बाद में उससे मुकर गये। इसलिये हमको विश्वास है कि अपना वोट निंदा प्रस्ताव के हक में देंगे और उसके कारण यह सरकार गिरेगी। जब सरकार गिरेगी तो फिर धन्यवाद प्रस्ताव रखने का प्रश्न नहीं रहता। निंदा प्रस्ताव के बारे में मैं तीन उदाहरण पेश कर सकता हूं। जब स्वेज पर आक्रमण हुआ था उस समय वहां के बादशाह ने संसद को एड्रेस किया उस समय निंदा प्रस्ताव लाना पड़ा धन्यवाद प्रस्ताव से पहले। इसलिये लाना पड़ा कि सरकार की नीति का अनुमोदन नहीं करते थे। परम्परा और नियमों की दृष्टि से भी निंदा प्रस्ताव को पहले लिया जाता है। यदि बाद में लिया जायगा तो वह स्वतः ही समाप्त हो जायगा। इसलिये यह तर्क संगत बात है कि धन्यवाद प्रस्ताव से पहले निंदा प्रस्ताव को लिया जाय क्योंकि इस पर वोट होगा और यह ऐसा प्रस्ताव है जिसके हक में कांग्रेस के पिछड़े हुए वर्ग के प्रतिनिधी भी इसके हक में वोट देंगे इसलिये इसको पहले लिया जाय। धन्यवाद प्रस्ताव को तो अध्यक्ष महोदय जब चाहें तभी रख सकते है और नियम और परम्परा के अनुसार उस पर विचार होगा लेकिन जब सरकार ही नहीं रहेगी तो कैसे विचार होगा।

श्री बरकतुल्ला खां (विधि मंत्री) अध्यक्ष महोदय, जहां तक राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव रखने का सवाल है इस बारे में दो तीन बातों की ओर आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं। सब से

(श्री बरकतुल्ला खां)

पहले रूल 14 की तरफ ध्यान ले जाना चाहता हूं। इस रूल में दिया है..

"Allotment of time for discussion of the Address-The Speaker shall in consultation with the Leader of the house allot time....

here the word Sir, 'Shall'....

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्रीजी हिन्दी में पढ़ सकते हैं हिन्दी में भी रूल्स हैं, आपने कल ही घोषणा की है कि..

श्री बरकतुल्ला खां : मेरे पास जो पुस्तक है उसमें से पढ़ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : सुविधा की दृष्टि से अभी पढ़ दीजिये।

श्री बरकतुल्ला खां : for the discussion of the matters referred to in the Governor's Address to the house under Article....रूल 14 में यह बात साफ़ कर दी गई है....

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर): हिन्दी में पढ़िये, आपके पास नहीं है तो हमारे पास है।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! माननीय रामकिशन जी से आधा घंटे तक मैंने अपने चेम्बर में बात की थी और मैं अंग्रेजी में बोलता रहा उस पर उन्होंने ऐतराज नहीं उठाया।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : ये गवर्नमेन्ट की तरफ से बोल रहे हैं....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! अंग्रेजी पढ़ कर हिन्दी में कह दीजिये।

श्री बरकतुल्ला खां : रूल 14 में यह बात स्पष्ट कह दी है कि सदन के नेता, और माननीय अध्यक्ष दोनों मिल कर समय निर्धारित करेंगे। इसमें तीसरे का हवाला नहीं है....

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : बहुत अच्छी हिन्दी सीखी है आपने।

श्री बरकतुल्ला खां : रूल 14 में यह बात साफ़ होती है कि माननीय अध्यक्ष महोदय सदन के नेता से बातचीत करके समय निर्धारित करेंगे। इसमें किसी के बीच में आने का सवाल नहीं है चाहे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी हो, चाहे और कोई हो...

श्री नत्थीसिंह : चाहे सदन हो उसको भी अधिकार नहीं है?

श्री अध्यक्ष : प्लीज ! आप बाधा नहीं पहुंचावें।

श्री बरकतुल्ला खां : इसके बाद यह बताया जाता है कि किन किन चीजों के बारे में सदन के अन्दर इस आसन से विचार किया जा सकता है उसके लिये रूल 17 दिया है। जो बिल्स हैं उनको इन्ट्रोड्यूज़ किया जाता है, जो फोरमल बिजनेस है उसको लिया जा सकता है......

श्री रामानन्द अग्रवाल : स्थगन प्रस्ताव को....

श्री बरकतुल्ला खां : स्थगन प्रस्ताव को लिया जा सकता है। यहां मुलाहिजा किया उसमें साफ तौर से स्पष्ट बताया गया कि ये ये चीजें ली जावेंगी। कोई चीज खाली नहीं छोड़ी है, शक की चीज नहीं है, आपके विभाग में शुबा रखा है......

श्री रामानन्द अग्रवाल : मोशन ओफ़ नोकोन्फीडेन्स ......

श्री बरकतुल्ला खां : मोशन ओफ़ नो-कोन्फीडेन्स का इसमें प्रावधान है, नोटिस देंगे तो समय निर्धारित करेंगे। इसमें यह नहीं है कि मोशन ओफ़ नो कोन्फीडेन्स में दें और इपसोफैक्टो समय निर्धारित हो जाय। इसके लिये आसन की ओर से व्यवस्था होगी। इसलिये सब बातें आ गई हैं, किन किन चीजों को लिया जाय, इसमें बिल्स हैं, फोरमल बिल्स हैं, फोरमल बिजनेस है, स्थगन प्रस्ताव है।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : रूल 17 (ख) को पढ़िये, इसमें लिखा है:

"ऐसे दिन अभिभाषण पर सदन द्वारा चर्चा आरम्भ किये जाने या जारी रखे जाने से पूर्व औपचारिक रूप का अन्य कार्य किया जा सकेगा।"

श्री बरकतुल्ला खां : यदि फोरमल तरह की कोई चीज़ है, अध्यादेश टेबल ओफ़ दि-हाउस पर रख दिया गया है, यह फोरमल है उस पर अनुमति दी जा सकती है। इसी तरह से रिपोर्ट्स है, बिल्स है। इसके अलवा किसी चीज़ के लिये नहीं लिखा है। वैसे तो आसन के पास भी अधिकार हैं, चाहें जो कर सकते हैं लेकिन रूल्स के तहत इसके अन्दर लिमिटेन्शन रख दी गई हैं। उसके अलावा किसी और मामले को लेने का अधिकार नहीं है क्योंकि स्थगन प्रस्ताव, बिल मूव करने का जो अधिकार है वह इसमें आ गया है। इसके अलावा जब संसद का ज़िक्र करते हैं, तो लेम डक सेशन होने वाला था आख़री सेशन वह नहीं हो पाया। वह पार्लियामेन्ट इलैक्ट होने के बाद हुआ? इसके साथ साथ सदन के नेता ने इस बात की सहमति दी कि वे इस चीज़ को लेने को तैयार है कि अविश्वास प्रस्ताव को पहले लिया जाय और धन्यवाद प्रस्ताव को बाद में लिया जाय :

(एक साथ कई माननीय सदस्य बोलने लगे अश्रव्य)

श्री बरकतुल्ला खां : मैं यह कह रहा था कि यहां के नेता ने इसके लिये सहमति नहीं दी इसलिये माननीय, अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं रूल 14, 17 और हमारी जो परम्पराएं हैं उनको समझना चाहिये।

मैं एक चीज़ और अर्ज़ करूंगा, धन्यवाद प्रस्ताव के बारे में हर गवर्नमेन्ट की ज़िम्मेदारी होती है कि राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया जाय। यह रेगुलर और फ़ोरमल तौर पर चीज़ है, हर सेशन में होती आई है इसलिये माननीय सदस्य जो सरकार की ओर से धन्यवाद प्रस्ताव पेश करते हैं उनके लिये भाषण को सुनना इतना जरूरी नहीं है क्यों कि कोई भी समझदार व्यक्ति इस बात को जानता है कि भाषण में वही बात कही जायगी जिसकी गवर्नमेन्ट अब तक चर्चा करती आई है इसलिये भाषण बगैर सुने भी धन्यवाद प्रस्ताव रखदें तो फ़र्क़ नहीं पड़ता :

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : आपकी अक्ल है या गवर्नमेन्ट की पालिसी की तस्वीर सामने है और जब यह तस्वीर सामने है तो कोई भी कांग्रेस का सदस्य, कोई भी सरकारी सदस्य, जो समझदार है और जो समझता है कि इन चीज़ों पर धन्यवाद प्रस्ताव हो सकता है .....

श्री नत्थी सिंह (भरतपुर) : सरकारी सदस्य क्या होता है ?

श्री [illegible]नन्द अग्रवाल (अलवर) : यह बात गलत है। आपके तमाम समझदार सदस्यों ने इन्कार कर दिया था। अब कुछ राज़ी हुए हैं इस प्रस्ताव को रखने को।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): नहीं नहीं।

श्री बरकतुल्ला खां : मैं एक चीज़ और अर्ज़ कर देना चाहता हूं। समय पर इतनी पाबन्दी की बात आप कह रहे हैं। मैं विरोधी दल के माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि आपके अमेन्डमेन्ट तीन बजे के बाद आये हैं....

श्री विजयसिंह : आन ए पाइन्ट आफ़ आर्डर !

श्री बरकतुल्ला खां : तो आप अपने अमेन्डमेन्ट को तो मनवाना चाहते हैं और उनके जो हैं उनको नहीं।

श्री अध्यक्ष : विधि मन्त्री ! पाइन्ट आफ आर्डर है।

श्री विजयसिंह : मेरा पाइन्ट आफ़ आर्डर यह है कि जब पहले हम विपक्ष के सदस्य बोल रहे थे तब चेअर की तरफ़ से यह अनुरोध किया गया था कि इस सदन के कानून और कायदे के बारे में ज्यादा प्रकाश डालें। अब विधि मन्त्री को सदन ने समय दिया है तो हम यह जानना चाहते हैं कि किस रूल के तहत यह बातें रख रहे हैं....

श्री अध्यक्ष : आर्डर! स्थान ग्रहण करें।

श्री विजयसिंह : लेकिन रूल का हवाला न देकर इन बातों में सदन का समय खराब कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज़ !

श्री विजयसिंह : हमको रूल्स बताइये।

श्री गिरधारी लाल व्यास (आसीन्द) : 14 और 17 बताया है।

श्री बरकतुल्ला खां : मै अर्ज़ कर रहा था कि जितने अमेन्डमेन्ट आये हैं, संशोधन आये हैं....

श्री [illegible]थ सिंह : संशोधन नहीं हैं।

श्री बरकतुल्ला खां : वह तीन बजे के बाद आये हैं जब कि हमारी यह परम्परा चल रही है कि जैसे ही राज्यपाल महोदय का अभिभाषण होता है, अमेन्डमेण्ट ले लिये जाते हैं और धन्यवाद प्रस्ताव लेते हैं।

श्री रामकिशन (वैर) : यह चीज और है और वह चीज़ और है।

महारावल श्री लक्ष्मण सिंह (डूंगरपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहूंगा, विधि मन्त्री जी, आपने जो राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का समय नियत किया उस पर आपने शायद काफी विचार नहीं किया। अगर वह समय कुछ पहले, दो घंटे, तीन घंटे, पहले, ग्यारह बजे, बारह बजे का नियत करते तो यह समस्यायें आपके सामने नहीं आतीं। आप खुद गलतियां करते हैं और ग़लतियों को फिर मन्ज़ूर नहीं करते हैं। आप ज़रा उदारतापूर्वक यह तो कहिये कि जो टाइमिंग राज्यपाल के अभिभाषण का नियत किया था, यह जो परिस्थिति उत्पन्न

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)
हुई है, यह उसके परिणामस्वरूप है, यह आपकी अदूरदर्शिता का फल है या और कोई बात है?

श्री रामकिशन (वैर) : नियमों की गैर जानकारी है।

श्री सहदेव शर्मा (आमेर) : अध्यक्ष महोदय, जिस विषय पर विचार हो रहा है मेरा खयाल है, विरोधी दल के सदस्यों ने उस पर प्रकाश डाल दिया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस सदन के सभी सदस्यों का अधिकार आपके पास सुरक्षित है। अभी पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने लोकतन्त्र की बात कहीं और विधि मन्त्री ने विशेष परिस्थितियों का जिक्र किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या यह साधारण स्थिति है जब कि विधान सभा का अधिवेशन, जब छः महीनें में एक दिन बाकी रह जाय, तब बुलाया जाय। इतना टाइम गुजर जाने के बीच में यदि सरकार ने यह निर्णय लिया था कि वह इस पर पुर्नविचार करना चाहती है तो छः महीने के दौरान क्या वह इस सदन के अधिवेशन को दुबारा नहीं बुलवा सकती थी? उसके लिये सदन के सदस्यों को विश्वास में नहीं ले सकती थी।

एक माननीय सदस्य : वाह! वाह!!

श्री रामकिशन : हां हां भई!

श्री सहदेव शर्मा (आमेर) : पाली से आने वाले माननीय सदस्य लोकतन्त्र की दुहाई देते हैं और लोकतन्त्र की मर्यादाओं के पालन की बात कहते हैं। मैं आपको कहता हूं कि जिस दल से आप सम्बन्धित हैं, जिस पार्टी से सम्बन्धित हैं, लोकतन्त्र की मर्यादायें तो वहीं से टूट रही हैं (हिअर, हिअर) मैं मानता हूं कि लोकतन्त्र की मर्यादाओं का टूटना अच्छी बात नहीं है। लोकतन्त्र को यदि पनपाना है तो लोकतन्त्र की मर्यादाओं का पालन करना जरूरी है। मैं यह बात मानता हूं कि सरकार यदि यह जरूरी समझती थी और सरकार यह महसूस कर रही थी कि राज्य के एक्स चेकर पर असर पड़ रहा था तो राज्य सरकार को जो निर्णय लेना था उसके पहले, मर्यादाओं का पालन करने के लिये प्रार्थना करनी चाहिये थी कि सदन की दुबारा मीटिंग बुलाई जाय और इस पर पुर्नविचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें।

श्री सहदेव शर्मा : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें डरने की बात क्या है। यदि सरकार अपने कदम को मजबूत समझती है तो जो माननीय सदस्य ने निन्दा प्रस्ताव रखा है, उस पर बहस चलाई जाय और उसका वह सामना करे। इसमें कोई दिक्कत नहीं है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : सामना करेंगे।

श्री अध्यक्ष : जो माननीय सदस्यों ने अपने दृष्टिकोण रखे इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में उसमें पहला महत्वपूर्ण प्रश्न यह था कि गवर्नर महोदय के अभिभाषण के ऊपर जो धन्यवाद का प्रस्ताव है वह धन्यवाद का प्रस्ताव उस अवधि के अन्तर्गत नहीं है। इस प्रश्न पर निर्णय लिये जाने के बाद में दूसरे प्रश्नों के ऊपर अपनी ऐसी व्यवस्थाएं देना चाहता हूं कि जिससे सदन की मन्शा पर कोई आघात नहीं पहुंचे। पहला

(श्री अध्यक्ष)

प्रश्न बड़ा स्पष्ट है यद्यपि माननीय सदस्य जो इस प्रकार का धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते हैं उनका प्रस्ताव नियमों के अन्तर्गत साधारणतया नहीं समझा जाता है (हिअर, हिअर) लेकिन······

श्री रामकिशन (वैर) : लेकिन से बिगड़ जायगा।

श्री अध्यक्ष : हमारे यहां की परम्परायें हैं······

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जोहरी बाजार जयपुर) : वह अलग चीज है।

श्री अध्यक्ष : और व्यवस्थायें हैं, सदन की व्यवस्थायें जो हमारे लिये मान्य हैं। यह प्रस्ताव धन्यवाद का रूल 15 के अन्तर्गत एक विशेष रूप के प्रस्ताव के रूप में आता है। ऐसा ही प्रश्न माननीय सदस्य द्वारा 1963 में अभिभाषण के समय उठाया गया था और उस प्रश्न पर व्यवस्था देते हुए इस आसन ने इस पर पर्याप्त विश्लेषण किया। विश्लेषण के आधार पर रूल 15 में इसे विशेष तरीके का प्रस्ताव समझा गया और ऐसी स्थिति में, साधारण प्रस्ताव के सम्बन्ध में जो नियम हैं, उनको प्रभावशाली न माना जाकर, समय के बाहर होने पर, भी उस प्रस्ताव को मान लिया गया। उसी आधार पर जो संशोधन के प्रस्ताव आते रहे हैं उनको भी उतनी ही उदारता के साथ लिया गया है मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये वह व्यवस्था पढ़ करके सुना देना चाहता हूं।

दूसरी आपत्ति माननीय सदस्य ने रखी है वह यह है कि जो भाषण की प्रतिलिपि है वह आज ही सदन के समक्ष रखी गई है आदि आदि। हमारे जो मोशन आफ थैंक्स के सम्बन्ध में जो रूल्स हैं और उसमें जो प्रावधान है उसके अनुसार एक निश्चित समय में उसका नोटिस आना चाहिये। मैं व्यवस्था देता हूं कि मोशन आफ थैंक एक साधारण मोशन नहीं माना जा सकता है। जब कि मोशन आफ थैंक्स का एक विशेष स्थान है जिसका कि हमारे संविधान में और रूल्स में उल्लेख किया गया है। यह एक दूसरी बात है कि धन्यवाद के मोशन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है, रूल 15 में विशेष रूप से इसके प्रावधान हैं तो यह जो मोशन आफ थैंक्स है, इस पर रूल 15 के प्रावधान लागू हैं जो कि सामान्य मोशन पर होते हैं, यह उचित नहीं हैं। इस कारण मैं माननीय सदस्य की दूसरी आपत्ति को भी अस्वीकार करता हूं इस व्यवस्था के आधार पर और मेरी भी व्यवस्था है कि ऐसे मामलों में हम रूल्स का थोड़ा उदार दृष्टि से देखा करते हैं। अब माननीय सदस्यों के सम्मुख जो प्रश्न महत्व का है वह यही है कि जो माननीय सदस्य जिसको सेन्सर मोशन कहते हैं, उस मोशन को स्पीकर की सम्मति प्राप्त है या नहीं और अगर सम्मति प्राप्त है तो उस मोशन को किस समय पर लिया जाय। इस अभिभाषण पर वाद-विवाद के पूर्व अथवा बाद में। इसमें जो माननीय सदस्यों के मस्तिष्क में जो चिन्ता है, उलझन है वह यह है कि यदि अभिभाषण पर वाद-विवाद आरम्भ हो गया, धन्यवाद प्रस्ताव पर, जो सम्भवत: यह मोशन, जो माननीय सदस्य ने रखा है, वह इसके बाद में लिया जा सकेगा। लेकिन यह प्रश्न बड़ा स्पष्ट है। जहां तक हमारे रूल्स का सम्बन्ध है या जहां तक परम्परा का सम्बन्ध है, धन्यवाद क

(श्री अध्यक्ष)

प्रस्ताव प्रस्तुत होने के पश्चात् भी उसको स्थगित किया जाकर कोई भी बिल अथवा और अन्य प्रस्ताव लाया जा सकता है। इसलिये वह चिन्ता का प्रश्न नहीं रहता। यदि मैं यह व्यवस्था दूं कि माननीय सदस्य धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत करें तब भी इसके बीच में रोका जाकर, जो प्रस्ताव माननीय सदस्य ने रखा है, उसको रखा जा सकता है और उस पर वाद-विवाद किया जा सकता है।

दूसरा प्रश्न जो सबसे बड़े महत्व का है, वह यह है कि माननीय सदस्यों के दृष्टिकोण के साथ साथ जब हम यह कहते हैं कि सदन की यह मन्शा है तो सदन के अन्तर्गत विपक्ष और कांग्रेस दल-दोनों सम्मिलित होते हैं। तो इस प्रश्न पर जैसा रूल 14 में उल्लिखित है कि समय निर्धारित करने के प्रश्न पर अध्यक्ष को सदन के नेता से परामर्श करना आवश्यक होता है। परामर्श करने के बाद में, मैं उस प्रश्न को ले सकूंगा रूल्स के अन्तर्गत अध्यक्ष अपनी सम्मति इस प्रश्न को लिये जाने पर देता है लेकिन इस महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हुए अध्यक्ष की सम्मति प्राप्त होने के पश्चात् भी सदन के नेता से परामर्श करना आवश्यक है इसके समय को निर्धारित करने के लिये। ऐसी स्थिति में मैं माननीय सदस्यों का सहयोग चाहता हूं कि जब दो बजे एड-वाइजरी कमेटी की मीटिंग होनी है, और अब ढाई बज चुके हैं, तो मैं इस प्रश्न को एडवाइजरी कमेटी में रखना चाहूंगा। जिसमें नेता सदन के भी होंगे और इसके समय को निर्धारित करके ... जो समय एडवाजरी कमेटी की सम्मति के आधार पर इसके पूर्व और पश्चात् भी हो सकता है इस प्रस्ताव को यहां रखने का प्रयत्न करेंगे। क्योंकि आप रूल के अन्तर्गत जो (3) है :

"The diseussion on the Address shall be interrupted in the course of a sitting by an adjournment motion under rule 55."

याने रूल 55 के अन्तर्गत ही इन्टरप्शन हो सकता है अन्यथा नहीं लेकिन मैं सारी उपादेयता इस प्रस्ताव की और इसके महत्व को देखते हुए समय निर्धारित करना चाहता हूं पूर्व का हो या बाद का। क्योंकि माननीय सदस्य भी उस एडवाइजरी कमेटी में सदस्य हैं इसलिये आपका सहयोग मुझको मिल सकेगा मैं इस दृष्टिकोण से इस भाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव है उसकी तो इजाजत देता हूं प्रस्तुत करने की, लेकिन उसके साथ में प्रोवाइजो यह है कि अगर एडवाजरी कमेटी की यह मान्यता होगी कि इसको आज ही लिया जाना चाहिये तो वह प्रस्ताव स्थगित समझा जायेगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन करना यह है कि यदि इसको आप कार्य सलाहकार समिति में रखना चाहते हैं तो इस तरह आप बहस स्थगित करके कुछ समय के लिये हाउस को एडजार्न करदें और तब निर्णय हो जाये तो बहुत उचित तरीके से बहस हो सकेगी।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य लोक-सभा में भी मोशन आफ थेंक्स को मूव करके ही फिर स्थगित किया गया था। इसमें कोई हानि नहीं है। इस पर आप मुझे सहयोग दीजिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि लोकसभा में जो हालात थे वह मुख्तलिफ़ थे और जिन हालात में यह मोशन हमने पेश किया है वह मुख्तलिफ़ है। वह देश की राजनैतिक स्थिति की गम्भीरता को रखते हुए वहां पर सेन्सर मोशन पेश किया गया था ? हम जो निन्दा प्रस्ताव पेश कर रहे हैं वह इस बुनियाद पर कि जो इसी सदन का बजट मन्जूर किया हुआ था और जो अभिभाषण दिया था उसके विरुद्ध गवर्नमेन्ट ने आचरण किया है इसलिये किसी भी बिज़नेस में एन्टर होने से पहले अध्यक्ष महोदय गवर्नमेन्ट ने अपनी बात को छिपाने के लिये उन अधिसूचनाओं को इस सदन में अभी तक नहीं रखा है, इस सदन को अभी तक भी सूचित नहीं किया है, अभिभाषण के ज़रिये सूचित भी करने की आवश्यकता नहीं समझी और इस आधार पर मैं कहना चाहता हूं कि इस सदन का बड़ा अपमान इससे ज्यादा नहीं हो सकता। इसलिये अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसा प्रश्न जो कि करोड़ों लोगों से ताल्लुक़ रखता है आखिर हमारे नियम और रूल्स जनहित की दृष्टि से जैसा कि हमारे विरोधी पक्ष के नेता ने कहा कि यह सबसे ज्यादा डिसाइडिंग फैक्टर जन हित का होना चाहिये यदि गवर्नमेन्ट भी एक्शन लेती है····

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य मैंने अपनी व्यवस्था दे दी है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपको रूल्स में पावर्स हैं कि आप हाउस को आधा घन्टे के लिए एडजार्न कर दीजिये।

श्री अध्यक्ष : आपका 119 के अन्दर यह मोशन है जो सब्सेन्टिव मोशन नहीं है। मैं जब तक सदन के नेता से बात नहीं करलूं तब तक इसके बारे में कोई व्यवस्था नहीं दे सकता और वैसे मैंनें व्यवस्था दे दी है कि इस पर सारा निर्णय लेकर ही बाद में स्थगित किया जा सकता है।

श्री रामकिशन (बैर) : अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है। यह इस प्रकार का प्रश्न है जिससे सारे राजस्थान, विधान सभा और सदन के नेता का बहुत बड़ा सम्बन्ध है आप सदन के नेता से सलाह भी करना चाहते हैं, कल अपना प्रस्ताव भी आगया है लेकिन क्या आप इस प्रकार की व्यवस्था नहीं कर सकते कि ऐसे प्रश्न पर सदन के नेता को यहां सदन में हाज़िर रहना चाहिये। राजस्थान में बहुत बड़ा विवाद खड़ा होने वाला है, विधान सभा का अपमान हुआ है गवर्नर की वाणी का अपमान हुआ और जब कि ऐसा मसला यहां चल रहा है तो सदन के नेता को हाज़िर रहना ही चाहिये··

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! 2 बजे का एडवाइज़री कमेटी का टाइम था और अब 2॥ बज गये हैं और हो सकता है वह वहां बैठे हों तो मैं कैसे कहूं ;

श्री रामकिशन : तब तक आप स्थगित कर दीजिये।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल जयपुर:) आधा घन्टे के लिये एडजार्न कर दीजिये, इसमें कोई हर्ज नहीं है।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर!

महारावल श्री लक्ष्मण सिंह (डूंगरपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत अदब के साथ निवेदन करना चाहता हूं मैं आसन के प्रति बड़ी श्रद्धा रखता हूं लेकिन······

श्री मूलचन्द डागा : आसन की आज्ञा हो चुकी है।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर प्लीज़।

महारावल श्री लक्ष्मण सिंह : क्या हर्ज है आपको जब कि सभी विरोधी पक्ष के सदस्यों की ओर से यह सुझाव दिया जा रहा है कि आधा घंटे तक के लिये सदन को स्थगित कर दिया जाये।

श्री अध्यक्ष : मैं सदन की कार्यवाही आधा घन्टे के लिये स्थगित करता हूं।

(सदन की कार्यवाही आधा घंटे के लिए 2 बज कर 27 मिनिट पर समाप्त हुई)

3 बज कर 35 मिनिट पर सदन की कार्यवाही पुनः प्रारम्भ हुई।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव।

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था क्या हुई वह अवगत करा दीजिये।

श्री अध्यक्ष : राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर श्री मूलचन्द डागा धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे और श्री गिरधारीलाल व्यास प्रस्ताव का समर्थन करेंगे। 22 को निन्दा प्रस्ताव, 23 को उसका रिप्लाई और फिर आगे का कार्य-क्रम।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : अध्यक्ष महोदय, जो मैं खड़ा हुआ हूं और यह ध्वनि हुई है तो मैं बड़ी उमंग के साथ और विश्वास के साथ यह प्रस्ताव रख रहा हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, मुझे इस चारण-भाषण में दिलचस्पी नहीं है इसलिये मैं जा रहा हूं (बहिर्गमन)।

श्री दुर्गालाल बादृदार: "उमंग" शब्द का क्या अर्थ है, अध्यक्ष महोदय?

श्री मूलचन्द डागा : अभिभाषण के लिये जो उन्होंने कृपा पूर्वक सदन में दिया है हम कृतज्ञ हैं। यह जिस जबान में मैं कह रहा हूं मैं आशा करता हूं कि सभी माननीय सदस्य इसी जबान में बोलेंगे।

यह एक ऐसा भाषण है जो आशाओं से भरा हुआ है और जब आशा मनुष्य में रहती है और विश्वास रहता है तो मनुष्य अपने जीवन को आगे बढ़ा सकता है। मैं समझता हूं कि चिन्ताजनक हालत है जरूर लेकिन निराश होने की आवश्यकता नहीं। इतिहास की इस गम्भीर घड़ी में जो राज्यपाल महोदय ने रूपरेखा राजस्थान की रखी है ऐसा मालूम होता है कि राजस्थान का भविष्य सुन्दर है और आशामय है। मैं यह विश्वास करके चलता हूं कि राजस्थान जैसे मुल्क है जहां दो बार लगातार दुर्भिक्ष पड़ा हो······

श्री दुर्गालाल बादृदार : पाली की जनता के बारे में क्या यह भी बता देंगे?

श्री मूलचन्द डागा : अनावृष्टि हुई है और उस प्रकार से उसके कारण राजस्थान

(श्री मूलचन्द डागा)

का बहुत बड़ा हिस्सा अकाल से पीड़ित रहा हो, उन स्थितियों में भी राजस्थान में जो कार्य सरकार ने किये हैं उनकी मेरे वरोधी दल के माननीय सदस्य भी सराहना करेंगे।

मैं यह मानकर चलता हूं कि हिम्मत के साथ और हौसले के साथ कांग्रेस गवर्नमेन्ट जिन आपत्तियों का मुकाबला करती हुई आगे बढ़ी है और यह बताया हैं कि जब हिन्दुस्तान के कौने कौने में अशान्ति थी उस समय यहां पर शान्ति का वातावरण बनाये रखा।

विघटन कार्य करने वालों ने अशान्त वातावरण फैलाया लेकिन राजस्थान ही एक ऐसा प्रान्त है जिसमें शान्ति और अमन कायम रहा (हीयर हीयर)......

विरोधी पक्ष के कई माननीय सदस्य: गोलियां राजस्थान में चली हैं......

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : बोखलाइये मत, हिम्मत रखिये। इन नारों से राज्य नहीं बनता है। राज्य बनता है काम से और काम करने की ताकत से और आपको मालूम होना चाहिये कि इस प्रकार के नारों से हरियाणा और दूसरे स्थानों के राज्य गये हैं, गैर कांग्रेसी सरकारों की क्या हालत हुई, जहां पर बीस बीस साल तक कांग्रेस का राज्य कायम रहा वहां पर 8 महीनों में ही राज्य चला गया। तुमुल ध्वनिवाले तत्व जहां देश में पैदा होते हैं उन्हीं के कारण देश पीछे जाता है। राजस्थान में गृह मन्त्रालय के कारण ही शान्ति रही। जिन्होंने कोशिश की थी, छोटी जोतों के नाम पर और दूसरी दूसरी बातों के नाम पर अशान्ति फैलावें उनकी नहीं चल सकी, किसान उनके बहकावें में नहीं आये। मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि राजस्थान ऐसा देश रहा....

कई माननीय सदस्य एक साथ : देश नहीं प्रदेश कहो।

श्री मूलचन्द डागा : राजस्थान एक ऐसा हिस्सा है, ऐसा प्रान्त है जिसमें शान्ति कायम रही। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जब कि देश की और जगहों पर खाद्यान्न के भाव क्या हैं और राजस्थान में इस प्रकार की हलात होने के बावजूद भी हम लोग यहां पर अच्छे भाव रख सके हैं। मैं आंकड़े आपके सामने पेश करूंगा जिनसे आपको मालूम होगा......

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : जून, जुलाई के आंकड़े पेश करने चाहिये।

(3.42 म. प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री उपाध्यक्ष : ओर्डर प्लीज। आप स्थान ग्रहण करें।

श्री हीराभाई : लोग भूखों मरते हैं और आप तारीफ़ करते हैं।

श्री मूलचन्द डागा : राजस्थान में अनाज की कमी नहीं रही इसीलिये जोर से बोल रहे हैं। 17 जनवरी, 1968 को क्या भाव थे राजस्थान में, जहां 82.83 रुपया प्रति क्विन्टल भाव है राजस्थान में वहां यू. पी. में 117) भाव हैं। पंजाब में...

कई माननीय सदस्य : कायके भाव हैं......

श्री मूलचन्द डागा : सदस्यगण घबराइये नहीं, सुनते जाइये।•••••

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : भाव एम.एल.एज़. के बता रहे हैं या मिनिस्टरों के बता रहे हैं ?

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : आपके भाव बता रहा हूं।

श्री जयनारायण सालोदिया : आपको खरीद सकता हूं।

श्री मूलचन्द डागा : सालोदियाजी अब भाव कहां रहे वह तो बिक गये। मैं आपको ग्राम (चने) और गेहूं के भाव बता रहा हूं••

श्री श्रवणलाल (हिंडोन) : आपने जिनको खरीदा है उनके भाव तो बता दीजिये, किस भाव खरीदा है ?

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल (बयाना) : उपाध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है, यहां सदन में भावों के नाम पर एम. एल. एज. के बिक्री का सवाल पैदा हो गया है•••

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : यह तो पैदा किया जा रहा है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : क्या इससे सदन की प्रतिष्ठा बढ़ेगी ? क्या एम. एल. एज. जानवरों की तरह हैं जो खरीदे और बेचे जाते हैं ?•••

श्री उपाध्यक्ष : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : अब तक जो बिके हैं उनके भाव बता दिये जांय ताकि रेशियो या औसत लगा कर हम भी खरीदने का विचार करें।••••

श्री उपाध्यक्ष : ओर्डर प्लीज।

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय, एक समय था जब विरोधी दल की आवाज थी कि वे 109 हैं आज उल्टी हालत है, कांग्रेस के 109 सदस्य हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, इसके लिये में कांग्रेस को बधाई देता हूं।

श्री विजयसिंह रावत (नसीराबाद) : कांग्रेस वालों को बधाई है कि 109 खरीद सके। अरे तुम और खरीदो। ऐसे गवर्नमेन्ट चलने वाली नहीं है और खत्म होगी तो तुम्हारा ठिकाना भी नहीं रहेगा।

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय, इनके दिल म दर्द है।••

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विषयान्तर न हों, विषय पर बोलें।

श्री मूलचन्द डागा : देश को चलाने के लिये हर हालत में लोकतंत्रीय तरीका यही है कि जो पार्टी स्टेबल गवर्नमेन्ट दे सके उस पार्टी के साथ आप सहयोग दें, यही मैं चाहता हूं, तभी आगे बढ़ सकते हैं।

श्री बालसिंह सोढ़ा (जैसलमेर) : कौन से प्रान्त में आपने सहयोग दिया है ?

श्री मूलचन्द डागा : जन संघ और स्वतंत्र पार्टी ने जहां पर सहयोग दिया वहां राज्य गिर गया। मैं महाराष्ट्र के बारे म बताना चाहता हूं कि वहां पर 175) रु. प्रति क्विन्टल भाव है, आप राजस्थान की हालत को देखिये जिस मुल्क में दो बार अकाल पड़े हैं, जो सूखा प्रदेश है उसमें खाद्यान्नों की क्या स्थिति है।

(श्री मूलचन्द डागा)

मैं मक्का के भाव बताना चाहता हूं। राजस्थान में मक्का का भाव 57) रु० प्रति क्विन्टल है लेकिन यू. पी. में 86.25 पैसा प्रति क्विटन्ल भाव है, पंजाब और दिल्ली में देखिये 76) रु० प्रति क्विन्टल भाव है और गुजरात को लीजिये तो 70) रु० प्रति क्विन्टल भाव है। आप इस बात को देखिये कि राजस्थान में····

श्री विजयसिंह रावत : मद्रास में चावल का क्या भाव है और यहां पर क्या भाव है?

श्री मूलचन्द डागा : राजस्थान में चावल पैदा नहीं होता है।

श्री विजयसिंह रावत : राजस्थान में चावल का भाव 2)16 पैसा प्रति किलो है और मद्रास में 75 पैसा किलो है।··

श्री मूलचन्द डागा : अभी मुझे समाजवादी सदस्य धन्यवाद देकर गये···

एक माननीय सदस्य : कोई धन्यवाद नहीं देता।

श्री श्रवणलाल : इसके साथ साथ यह भी बतादें कि राजस्थान की जनता से खरीदा हुआ माल आपने किस भाव पर बेचा, कितना मुनाफा कमाया···

श्री उपाध्यक्ष : यह मंत्रीजी से पूछ लेना।

श्री श्रवणलाल : उन्होंने किस भाव से खरीदा और किस भाव से बेचा। ये साफ तौर से ब्लेक मारकेटिंग करते है···

श्री जयनारायण सालोदिया : किसानों के साथ कालाबाजारी करते हैं।

श्री मूलचन्द डागा : आपको अवस्था का खयाल होना चाहिये सालोदिया जी साहब, बहुत जल्दी जल्दी खड़े होते हैं। यह मालूम होना चाहिये कि यह जो मैंने दो तीन भाव बाजरा, मक्का आदि के बताये, उनको सुन कर आपको तेजी आने लगी, गर्मी आने लगी। मैं बताना चाहता हूं कि यह निर्णय हो चुका है कि हमारे खाद्य विभाग ने जो कार्य किया उसकी सराहना की जाय।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर) : राशन के अनाज पर 13 रुपये कैसे बढ़ा दिये। जो अनाज अमेरिका से मुफ्त में मिलता है, जो अनाज भीख में मिलता है, दान में मिलता है उसके भाव कैसे बढ़ाते जा रहे हैं?

श्री मूलचन्द डागा : आपको भी बोलने का अवसर मिलेगा। आप कानून जानते हैं आपको बोलना तब चाहिये जब अवसर मिले। आपको घबराहट मालूम होती है। मैं चाहता हूं आपको उस ओर ले जाऊं जहां गवर्नर महोदय ने इस बात की ओर ध्यान आकर्षित किया है कि राजस्थान में सिंचाई योजनाएं किस प्रकार कृषि का विकास कर रही हैं। सारे देश का आर्थिक उत्थान किसान ही करते हैं और आज किसानों के लाभ के लिये किस प्रकार कानून बनाये गये हैं····

श्री जयनारायण सालोदिया : पहले किसानों को बिजली दी जाती थी 100) रु० में और अब 2000) रु० वसूल करते हैं···

श्री उपाध्यक्ष : ओर्डर प्लीज!

श्री मूलचन्द डागा : किसान देने को तैयार हैं। वह चाहते हैं कि उनका विकास हो।

श्री जयनारायण सालोदिया : जेब काटते हैं, जबर्दस्ती जेब काटते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री मूलचन्द डागा : इस तरह की हालत हुई है, यह भाषण देने से यह हालत खराब हुई है आपकी। बात यह हुई।

आप देखेंगे कि किसानों के लिए आप सवाल उठा रहे हैं उन किसानों को भूमि के आवंटन के जो आपको आंकड़े बतलाये गये हैं, जो आंकड़े पेश किये गये हैं भूमि के आवंटन के, वह भूमि छोटे छोटे किसानों की ग्राम सभाओं के द्वारा किये गये हैं और इस प्रकार लाखों बीघा जमीन का आवंटन किया गया है। यह गर्व की बात है कि जिन सैनिकों, जिन्होंने अपनी बहादुरी का परिचय दिया था, की सब जगह पर दर्ख्वास्त थीं, उनको भूमि देने में राजस्थान ही ऐसा मुल्क है···

श्री जयनारायण सालोदिया : बिल्कुल गलत है।

श्री मूलचन्द डागा : जिसने सब सैनिकों को दे दी हैं।

श्री जयनारायण सालोदिया : बिल्कुल गलत है कि सब सैनिकों को दे दी है। यह रहे जिनको नहीं दी है।

श्री विजयसिंह : यह बिल्कुल भूठ है।

श्री गिरधारी लाल व्यास : आपको नहीं मिली होगी।

श्री विजयसिंह : मुझे क्या मिलेगी, मेरे पास देने को है आपको।

एक माननीय सदस्य : दी हुई जमीन वापिस ले ली गई है।

श्री विजयसिंह : गवर्नर के भाषण में सैनिकों के लिए नहीं रखा है।

श्री मूलचन्द डागा : सैनिकों को दी गई है, आपको नहीं दी गई है।

इससे मालूम होगा कि राजस्थान में जितने सैनिकों की दर्ख्वास्तें थीं, जितने सैनिकों के आवेदन-पत्र थे, जितने सैनिकों ने प्रार्थना-पत्र दिये थे, उनके लिए राजस्थान सरकार ने कदम उठाया और सारे लोगों को भूमि दी गई, भूमि आवंटित करदी गई··

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : भूठ है।

एक माननीय सदस्य : अलवर में सैंकड़ों कर्मचारी ऐसे हैं जो रिटायर हो गये, सैंकड़ों सैनिक ऐसे हैं जिनको नहीं मिली है और उनको छः छः वर्ष हो गये हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री मूलचन्द डागा : मैं यह बताना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर आर्डर !

श्री जयनारायण सालोदिया : सुनते नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष : जब भाषण चल रहा हो तो बीच में माननीय सदस्य दखल नहीं करें क्योंकि उसका परिणाम यह होगा कि विरोधी पक्ष से जब माननीय सदस्य बोलेंगे तो उधर से उनके भाषण में हस्तक्षेप किया जायगा। कृपया उनकी बात सुन लें और जब आपको मौका मिले तो उस वक्त उत्तर दिया जा सकता है।

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभार मानता हूं। आपका आदेश, आपकी सलाह यह मान लें तो विवेकता मैं बहुत बड़ा ···

एक माननीय सदस्य : सुधार करके रहेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : आप भी अपने भाषण में··

श्री बिट्ठल भाई (पीपलखूंट) : सही बात कहें तो हम नहीं बोलेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : असंगत बात नहीं कहें।

श्री विजयसिंह : एक व्यवस्था का प्रश्न है···

श्री बिट्ठल भाई : आप गलत बात कहते हैं, झूठ कहते हैं तो वह हमें सहन नहीं होता।

श्री उपाध्यक्ष : झूठ शब्द का बार बार प्रयोग नहीं किया जाय, यह अनपार्लियामेन्ट्री है।

श्री मूलचन्द डागा : राजस्थान के अन्दर··

श्री विजयसिंह : पाइन्ट आफ आर्डर, सर!

श्री उपाध्यक्ष : व्यवस्था का प्रश्न है, इधर से।

श्री विजयसिंह : आपने जो व्यवस्था दी है वह हम मानने के लिए तैयार हैं। मैं अर्ज करूंगा कि विरोधी पक्ष की तरफ से इन्टरफिअर नहीं किया जायगा। लेकिन हम यह चाहेंगे कि राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव मूव करते वक्त, जो माननीय सदस्य मूव कर रहे हैं, उनके पास इतना दिमाग हो, इतनी क्षमता उनमें हो, इतनी सहनशीलता हो और यह दृष्टि हो कि जो वह शब्द कह रहे हैं उससे हमें उत्तेजना नहीं हो और जो भी शब्द वह कह रहे हैं वह नाप तोल करके कहें जिससे इधर बैठने वालों में भी सहनशीलता हो।

श्री उपाध्यक्ष : यह बात प्रतिपक्ष को भी मान लेनी चाहिए।

श्री मूलचन्द डागा : मेरा कसूर नहीं है। यह भूमि का तकाजा है। कोई बात कहीं असर कर सकती है और कहीं नहीं।

एक बहुत ही बड़ा जो सुधार किया गया है वह यह किया गया है कि जो भूमि कन्दरा क्षेत्रों में है उसे सौ सौ एकड़ के भूमि खण्डों में लोगों को आवंटित कर दी जावे और इस शर्त पर कर दी जावे कि आने वाले समय में उसको वह खेती के योग्य बना देंगे··

श्री दौलतराम सारण : वह आवंटित उन लोगों को नहीं की जायगी। यह बड़े बड़े पैसे वालों को भूमि देने का तरीका है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : बैठे बैठे मत बोलिये। खड़े होकर बोलिये।

श्री जयनारायण सालोदिया : आप तरीके से बोलिये।

श्री मूलचन्द डागा : मैं समझता हूं कि जो भूमि खेती के काम में नहीं आती थी, खेती के उपयोग में नहीं आती थी उस भूमि को आवंटित करने का, उस भूमि को देने का एक प्रगतिशील कदम उठाया है। इसके अलावा राजस्थान में एक बात बहुत अच्छी कही गई है कि राजस्थान नहर क्षेत्र में भूमि आवंटन और बेचान के सम्बन्ध में नियम बनाये जायेंगे। यह काफी महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है।

श्री रामचन्द्र आर्य : बिल्कुल गलत किया गया है। पन्द्रह पर्सेन्ट भूमि जिनके लिए रखी गई है वह सन् 1955 से अब तक पड़ी हुई है...

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज!

श्री रामचन्द्र आर्य : और यह पर्सेन्टेज तय करके पिछले दिनों में जो नियम बनाये

(श्री रामचन्द्र आर्य)
गये हैं उनके अनुसार इस प्रकार की जमीन किसी गरीब को नहीं दी है ।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर आर्डर !

श्री मूलचन्द डागा : इसके अलावा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के लिए जमीन निर्धारित कर दी गई है कि यह भूमि उनको वितरित करदी जायगी ।

श्री जयनारायण सालोदिया : यह जमीन नहीं मिलेगी उनको । अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के लोगों को आज भी भूमि आवंटित नहीं की है ।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री मूलचन्द डागा : मैं समझता हूं कि इसका प्रमाण यह है कि अनुसूचित जाति के लोग और माननीय सदस्य यहां आये हुए हैं वह यह जानते हैं कि राजस्थान सरकार द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के लिए किस प्रकार के कदम उठाये जा रहे हैं । मैं समाज कल्याण विभाग के आंकड़े देना चाहता हूं । उन्होंने इस वर्ष भी हजारों विद्यार्थियों को छात्रवृति दी है, उनके छात्रावास चलाने का कार्यक्रम किया है और मकान बनाने के लिए कर्जा दिया गया है ।

श्री श्रवणलाल : वह अमृतलाल जी जैसे मिनिस्टरों के बच्चों को दी गई है । किसी गरीब के बच्चे को नहीं दी गई है ।

श्री मूलचन्द डागा : नियम बनें हुए ह कि किन किन बच्चों को छात्रवृति दी जायगी और किन को नहीं दी जा सकती है ।

श्री दुर्गालाल बाडदार : यह गरीब मिनिस्टर आ गये हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर आर्डर !

श्री मूलचन्द डागा : समाज कल्याण विभाग ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जातियों के लिए जो कार्य किये हैं उसका विवरण गवर्नर महोदय ने, राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में किया है लेकिन उसके अलावा यदि आप उनके आंकड़ों को देखें तो उससे मालूम होता है कि समाज में जो आर्थिक भेद है, मनुष्य मनुष्य के बीच में भेद है उसको कम करने के लिए राजस्थान सरकार सक्रिय है और वह चाहती है कि जो कौमें गिरी हुई हैं, आर्थिक दृष्टि से पीछे हैं उन कोमों को ऊंचा उठाया जाय ।

श्री जयनारायण सालोदिया : आज भी वह लोग पीछे बैठे हैं आपके ।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री जयनारायण सालोदिया : यहां भी पीछे हैं ।

श्री मूलचन्द डागा : सालोदिया जी बराबर उठे हैं ।

श्री जयनारायण सालोदिया : जनता को यह बताना चाहते हैं कि गरीबों को उठा रहे हैं...

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री रामचन्द्र आर्य : राजस्थान केनाल में भूमि नीलाम कीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! कृपया स्थान ग्रहण करें । मुझे बड़ा खेद है कि

(श्री उपाध्यक्ष)
माननीय सदस्य इस ओर ध्यान आकर्षित करने के बावजूद बार बार बीच में उठ कर चर्चा के अन्दर बाधा उपस्थित कर रहे हैं। मैं आपका इसमें सहयोग चाहूंगा। यदि इस तरह से हुआ तो जैसा मैंने निवेदन किया कि आपकी तरफ से बोलना हुआ जब माननीय सदस्यों का तो दूसरे पक्ष की ओर से बाधा उपस्थित की जायगी। तो यह उचित होगा कि जो माननीय सदस्य बोल रहे हैं उनको अच्छी तरह से बोलने दें और जब आपका अवसर आये तो उसका उत्तर ढंग से दें।

श्री भैरोंसिंह : व्यवस्था का प्रश्न है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! स्थान ग्रहण करें। माननीय भैरोंसिंह।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, आपने व्यवस्था दी है उस सम्बन्ध में मुझे इतना कहना है कि विरोधी दल के सदस्य बोलें उस वक्त सत्तारूढ़ दल के सदस्य हस्तक्षेप करें। यह संकेत कम से कम चेअर की तरफ से नहीं देना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : मेरा यह आशय नहीं था। मेरी आशंका थी जो आप ऐसा कर रहे हैं तो उधर से ऐसा हो सकता है। इसलिए यह बात रोकने के लिए कही।

श्री गिरधारी लाल व्यास : इस बात को रोकने के लिए आपसे निवेदन किया।

श्री परसराम मदेरणा (कृषि मंत्री) : कोई इन्स्टीनेट नहीं होगा।

श्री मूलचन्द डागा : डाक्टर राम सुभग-सिंह ने एक बार कहा था···

श्री उपाध्यक्ष : आप भी अपना भाषण थोड़ा प्रभावशाली बनायें तो अच्छा रहेगा।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, फिर हमारा दोष नहीं है।

श्री मूलचन्द डागा : कहा था कि खेती··

श्री दौलतराव सारण : प्रभाव तो आत्मा में होता है। आत्मा के बिना बोल रहे हैं इसलिए प्रभाव कैसे होगा।

श्री रघुनाथ विश्नोई : बीच बीच में गड़बड़ होने से टेम्पो जमता नहीं है।

श्री मूलचन्द डागा : खेती के अन्दर और उद्योगों के अन्दर विकास लाया जाय। मैं समझता हूं कि राजस्थान में खेती के विकास के लिए जो काम किये जा रहे हैं उनसे ऐसा मालूम होता है कि

(4 म. प.)

आने वाले वर्षों में राजस्थान में इतना अनाज पैदा होगा कि दूसरे मुल्कों में या दूसरे प्रान्तों में अनाज भेजने की क्षमता प्राप्त कर सकेगा और उसके लिए जो आंकड़े राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में दिये हैं उनसे यह मालूम होता है कि हमारे यहां हमने कितना खाद दिया है, कितनी जमीन के अन्दर बीज दिया है और नये प्रकार का बीज जो रखना चाहिए वह रखा है जिससे हजारों लाखों बीघा जमीन में उसे बोने का प्रयास कर सकें। इससे मालूम होता है कि राजस्थान में खाद्य के मामले में भी आत्म निर्भर होने के सिवाय हम इतना अनाज पैदा कर सकेंगे, और इतना इकट्ठा कर सकेंगे और इसलिए हमने एक बफर स्टाक कायम करने के लिए एक योजना बनाई है एक बफर स्टाक बनाने

(श्री मूलचन्द डागा)
की योजना बनाने के लिए जो राजस्थान में सबसे बड़ा उचित कदम उठाया गया है वह यह है कि पहले काश्तकारों से लेवी ली जाती थी अब वह काश्तकारों से न ली जाकर उन व्यापारी लोगों से ली जायगी। इससे छोटे छोटे काश्तकारों को परेशानी में नहीं पड़ना पड़ेगा। यह कदम राजस्थान सरकार का एक सराहनीय कदम है। मैं इस बात के लिए सरकार को बधाई देता हूं क्योंकि पिछले अधिवेशन में यह बात हुई थी, जब लेवी वसूल की जा रही थी तब कुछ माननीय सदस्यों ने आपत्ति की थी और उसके विरोध में आवाज कसी थी। राजस्थान सरकार ने इस बार लेवी लेने का जो तरीका अख्तियार किया है, उस तरीके के कारण एक प्रकार का जो व्यापारीवर्ग उससे लेवी वसूल की जा रही है और इससे छोटे छोटे काश्तकारों को तकलीफें कम होंगी। मैं आशा करता हूं कि इस प्रकार के कदम की विरोधी दल का हरएक माननीय सदस्य सराहना करेगा। मैं इस बात के सम्बन्ध में, उपाध्यक्ष महोदय, एक बात और कहना चाहता हूं कि बफर स्टाक में उन्होंने तीन बातें रखी हैं––धान का संग्रह किया जाय, लेवी ली जाय, बाहर जाने वाले धान पर नियंत्रण किया जाय और भी किसी तरह से बाजार में कम धान बिकता है या भाव गिर जाते हैं तो उसे खरीदा जाय। इस प्रकार का बफर स्टाक बनने से हम राजस्थान में यह आशा करते हैं कि राजस्थान आने वाले समय में खाद्य के मामले में किसी भी हालत में मुसीबत में नहीं रहेगा और एक ऐसा देश होगा···

कई माननीय सदस्य : देश ! देश !!

श्री मूलचन्द डागा : एक ऐसा प्रान्त होगा जो दूसरे देशों को अनाज दे···

श्री रघुनाथ विश्नोई : एक ही बात है।

श्री मूलचन्द डागा : राजस्थान के अन्दर इसके सिवाय उद्योग के अन्दर बहुत बड़ी प्रगति करने का बीड़ा उठाया है। आप देखेंगे कि राजस्थान में उद्योगों के मामले में जो कदम उठाये जा रहे हैं, उनसे मालूम होता है कि जगह पर कारखाने और उद्योग खोले जारहे हैं और उद्योगों को खोले जाने का जो तरीका अख्तियार किया गया है उनसे मालूम होता है कि जैसे सीमेन्ट का कारखाना खोला जारहा है, कहीं पर कोई और तरह के कारखाने खोले जा रहे हैं जिससे कि जो कच्चा माल वहां उपलब्ध होता है उसका उपयोग करने के लिये राजस्थान सरकार ने एक यह कदम उठाया है। इसके लिए उदयपुर सीमेन्ट फेक्ट्री, निम्बाहेड़ा सीमेन्ट फेक्ट्री, ताम्बे का कारखाना खेतड़ी आदि जगहों पर राजस्थान प्रगति की ओर बढ़ रहा है।

श्री केशरीसिंह हाडा : बूंदी की सीमेन्ट फेक्ट्री का क्या हुआ ?

श्री मूलचन्द डागा : एक बात और कहना चाहता हूं कि श्रमिकों में जो शांति राजस्थान में रही वह दूसरी जगहों पर नहीं रही। यह सब माननीय सदस्यों को मालूम होगा कि आज देश के कोने में कई ऐसे प्रान्तों में जहां घेराव प्रश्न पैदा हुआ, वहां कानून को हाथ में लेकर और कानून को बलाये ताख रखकर घेराव करने का प्रश्न पैदा हुआ और इस प्रकार देश में एक

(श्री मूलचन्द डागा)

अशांत वातावरण पैदा किया । किन्तु राजस्थान में एक भी उदाहरण ऐसा पेश नहीं किया जा सकता जहां श्रमिकों ने या मजदूरों ने घेराव कहीं किया हो, कहीं ताला बन्दी की हो या हड़ताल की हो । बहुत छोटे पैमाने पर यह राजस्थान के श्रम विभाग ने बहुत बड़ा कदम उठाया । इस कारण हम कह सकते हैं कि हमारे श्रमिकों के बीच और मालिकों के बीच भी अच्छी भावना बनी रही है इस संकट काल की घड़ी में और मजदूर और मालिकों के बीच में समझौते की नीति के आधार पर जो परस्पर के समझौते कराये गये उनकी भी हमें सराहना करनी होगी ।

एक बात की ओर मैं और ध्यान दिलाना चाहता हूं और वह यह है कि राजस्थान ही देश में एक पहला स्टेट है जहां राज्य सरकार के जो कर्मचारी हैं उनको मंहगाई भत्ता देने में गजेन्द्र गड़कर की रिपोर्ट के अनुसार कोई कदम पीछे नहीं रखा है । इस कारण से जहां दूसरे प्रान्तों में सरकारी कर्मचारियों ने और दूसरे कर्मचारियों ने आन्दोलन किये वहां राजस्थान ही सबसे पहला ऐसा प्रदेश है, ऐसा प्रान्त है जिसमें इस प्रकार के आन्दोलन करने का भी प्रश्न पैदा नहीं हुआ । इस प्रकार राजस्थान गवर्नमेंट की कुशलता के कारण हम कह सकते हैं कि मजदूरों के मामले में, किसानों के मामले में और सरकारी कर्मचारियों के मामले में और पुलिस के मामले में भी राजस्थान सरकार ने अपने सक्रिय कदम उठाये हैं और उन लोगों की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए काफी प्रगतिशील कदम उठाये हैं । इसके साथ ही सिपाहियों का भत्ता बढ़ाने का भी एक काम किया गया है । मैं एक बात कहना चाहता हूं कि सैनिकों की सुविधा के लिए जो कदम उठाया गया है राजस्थान में, वह यह है कि सैनिकों को घर बैठे जो उनकी पेन्शन है, वह मिलेगी, इसके अलावा आज सैनिकों को भूमि का आवंटन किया जायगा और जो बड़े बड़े सिटीज हैं, उन सिटीज में नजूल लेण्ड कमेटी उनके लिए भूमि सुरक्षित रखेगी । मुझे इतना ही कहना है कि कई सिटीज को बताते हुए और कई जगह का वर्णन करते हुए, उपाध्यक्ष महोदय, पाली का जो जिला है, उसमें पाली का नाम मेरे ख्याल में नहीं रखा गया है । पाली के अन्दर भी इस प्रकार के सैनिक हैं जिन्होंने अपनी बहादुरी का परिचय वक्त पर दिया था । लेकिन उन लोगों के लिए भूमि सुरक्षित नहीं रखी गई है । मैं चाहता हूं कि पाली का भी नाम उसके अन्दर जोड़ा जाय और इस प्रकार····

श्री श्रवण लाल : पहले तो कहा कि सबका आ गया है ।

श्री मूलचन्द डागा : सैनिकों के लिए जो कदम रखा है, कदम उठाया है वह भी सराहनीय है । तो राजस्थान सरकार ने मजदूरों की मांगों को पूरा किया, सैनिकों की इच्छाओं को पूरा किया और किसानों के लिए जो कुछ उपलब्ध कर रहे हैं और उपलब्ध करने की जो इच्छा है वह भी एक प्रकार से कहना होगा कि राजस्थान आगे बढ़ने का साहस रख रहा है और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है ।

मैं एक बात और बता देना चाहता हूं कि जो छोटी जोतों की बाबत में जो विरोधी दल एक बड़ा हंगामा पैदा कर रहा है और बार बार कह रहा है कि यह आपने जो छोटी

(श्री मूलचन्द डागा)
जोतों की लगान माफ कर दी थी वह आप क्यों वापिस लेने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपके जरिये इस बात की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि राजस्थान के काश्तकार यह नहीं चाहते कि हमसे लगान नहीं लिया जाय। वह यह चाहते हैं कि उनका विकास किया जाय। हम लोग विकास का बड़ी मात्रा पर काम करना चाहते हैं। अगर सारा लगान एक जगह इकट्ठा कर लिया जायं और उसकी धनराशि को लघु सिंचाई योजनाओं पर, कूओं पर और भू-संरक्षण के काम में लगाई जाय तो मैं समझता हूं कि हमारे देश का और राजस्थान के पिछड़े हुए हिस्से का विकास होगा। इस प्रकार का जो कदम था उसके लिए हमारे कांग्रेस अध्यक्ष श्री नाथूराम मिर्धा, जो स्वयं काश्तकार हैं ने बड़े पुरजोर शब्दों में चुनौती देते हुए विरोधी ताकतों को कहा कि काश्तकार तो यह चाहते हैं हमसे भूमि का लगान लिया जाय··

श्री जयनारायण सालोदिया : उनका क्या जाता है।

श्री मूलचन्द डागा : हम छोटी छोटी जोतों का लगान माफ न करें और लगान को संगठित करके, उसको एक जगह इकट्ठा करके भूमि के विकास के लिए उसको लगायें। इस प्रकार इस सम्बन्ध में इस निर्णय पर पुर्नविचार करने के बाद में यह उचित समझता हूं और दावे के साथ कह सकता हूं कि सारी धनराशि किसानों के विकास के लिए लगाई जाय, कूओं के विकास के लिए लगाई जाय और किसानों की जमीन को उर्वरा बनाने के लिए लगाई जाय तो मैं समझता हूं कि इसमें किसी को ऐतराज नहीं होगा। यह तो केवल भड़काने वाले जो लोग हैं, आन्दोलन कराने वाले लोग हैं, विपत्ति पैदा करने वाले लोग हैं ऐसी बात करते हैं। यह कांग्रेस का एक साहसिक कदम है मजबूत कदम है और पार्टी जो निर्णय लेनी है, कांग्रेस संस्था जो निर्णय लेती है राज्य सरकार उसको माननी है। यह पार्टी का सवाल है।

श्री हीरा भाई : उसका जिक्र नहीं था राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में।

श्री मूलचन्द डागा : मैं समझता हूं कि इस प्रकार की बात करने से देश में विकास नहीं होगा। छोटी छोटी जोतों पर लगान लेने से देश का विकास हो सकता हो, यह तब ही सम्भव हो सकता है·····

श्री रामचन्द्र : किसने मजबूर किया था कि इसको माफ कर दीजिये। आपने ही माफ किया और अब आप ही वापिस ले रहे हैं।

श्री श्रवणलाल : यह आपने उस वक्त किया जब आपको वोट लेने थे।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज! यह वोटों के बाद हुआ था।

श्री रामचन्द्र : यह थूक कर चाटने की बात है। पहले थूकते हैं और फिर चाटते हैं।

श्री मूलचन्द डागा : न थूकने की बात है न चाटने की बात है। जो धनराशि काश्तकारों से आयेगी, जो धनराशि लगान से आयेगी वह काश्तकारों की बहबूदी और भलाई के लिए लगाई जायगी····

(श्री मूलचन्द डागा)

इसलिये मैं एक और बात की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि एक घंटे भर तक उन्होंने जो इस बात के लिये विरोध प्रकट किया तो उनके चेहरों से ऐसा मालूम होता था कि वे केवल विरोध के लिये विरोध कर रहे थे। छोटी जोतों के नाम पर कानूनी दायरे में ये बड़े बड़े लोग उस भूमि को और भी छोटे टुकड़ों में विभाजित कर देना चाहते हैं और वे लोग चाहते हैं कि हम लोग इस प्रकार लगान से बच जायें। इस दृष्टिकोण को भी आपको ध्यान में रखना होगा।

मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार ने एक और बात की घोषणा की है कि हिन्दी के अन्दर काम-काज किया जायगा, हिन्दी के नाम पर देश के विभिन्न हिस्सों में देश की सम्पत्ति को नष्ट किया गया लेकिन राजस्थान में कोई कहीं इस प्रकार की घटना नहीं घटी, इसका कारण यह है कि हम लोगों की भाषा नीति बिल्कुल स्पष्ट है, हम हिन्दी में काम करना चाहते हैं लेकिन साथ ही साथ जो लोग कई सालों से हिन्दी में काम नहीं कर पा रहे हैं जो लोग हिन्दी सीखे हुए नहीं हैं, उनको भी काम करने का मौका दिया गया।

श्री हीरा भाई (कुशलगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, क्या परीक्षा पर भी पाबन्दी लगाई गई है कि हिन्दी में परीक्षा देंगे तो वह भी पास माने जायेंगे? इसका भी जरा स्पष्टीकरण कर दें तो ठीक रहेगा।

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा के मामले में भी राजस्थान ने प्रगति की है। नया खून, नया जोश, लेकर नये मंत्री आये हैं, काम करने के लिये उनमें नया जोश है, काम करने के लिये उनके दिलों में तमन्ना है, वे चलती हुई रोडवेज की बसों में घस कर चैकिंग करते हैं, जो शिक्षा को बढ़ाने में विश्वास करते हैं, स्त्री शिक्षा को बढ़ाने में विश्वास रखते हैं, उनका विश्वास रखते हैं, उनका विश्वास है कि एक स्त्री शिक्षित होने से वह सारे कुटुम्ब को शिक्षित कर सकती है। इस तरह से जो जवान टीम आई है, जिन लोगों में जोश है, उत्साह है, काम करने की भावना है, उसका परिचय सैनिका के मामले में, रोडवेज की बसों के मामले में जो काम किया गया है, उससे मिलता है, जो काम आपने देखा है, उससे आपको मालूम होगा कि हम कितनी जल्दी जल्दी और तेजी से राजस्थान को आगे बढ़ाना चाहते हैं।

शिक्षा के मामले में मैं आपको से बताना चाहता हूं कि कितनी पाठशाला को सेकेन्डरी स्कूल्स में कन्वर्ट कर दिया गया है।

श्री नवानदास (अजमेर पश्चिम) : कितने हारे हुओं को चेअरमैन बना दिया है रोडवेज में और, और जगह?

श्री मूलचन्द डागा : राजस्थान ने शिक्षा के मामले में बड़ी प्रगति की है, हर क्षेत्र में कालेज खोले गये हैं 350 हजार की राशि छात्रवृत्ति के रूप में वितरित की गई है, टेक्निकल शिक्षा के विद्यार्थियों की संख्या बढ़ा दी है, तो मैं समझता हूं राजस्थान में शिक्षा के बारे में अच्छी प्रगति की गई है।

मैं एक बात, उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं और वह यह है कि निस्संदेह शिक्षा के बारे में हमारे राजस्थान

(श्री मूलचन्द डागा)

में विकास हो रहा है पर हमें एक बात पर विचार करना होगा कि कालेजों से निकले हुए विद्यार्थियों से कहीं शिक्षित बेकारों की संख्या न बढ़ जाय। आप कमाऊ न दे सकें पर आपको सुन्दर और स्वस्थ नागरिक देनें होंगे; कॉलेजों की शिक्षा के बारे में हमें बड़ा जागरूक रहना होगा। आप आज इन्जीनियर्स बड़ी संख्या में दे रहे हैं पर आपको देखना होगा कि आज आप कितनी धनराशि इन्जीनियरों को तैयार करने में खर्च कर रहे हैं पर उनमें से कितनों को आज काम दिया जाता है, इस पर शिक्षा मंत्री जी अवश्य विचार करें। शिक्षित बेकारों की संख्या नहीं बढ़ जाय इस पर विचार किया जाय, यह मेरा सुझाव है। मैं आशा करता हूं कि इस पर अवश्य ध्यान दिया जायगा।

इसके अलावा राजस्थान में आज कानून के मामले में, न्याय के मामले में जो स्थिति है, उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात जो इस सम्बन्ध में बताना चाहता हूं वह यह है कि आज भी कई कोर्ट्स में, चाहे वे रेवेन्यू कोर्ट्स हों चाहे दूसरी अदालतें हों, उन अदालतों में लम्बे अर्से तक मुकदमें चलते रहते हैं मैं चाहता हूं कि हमें कोई न कोई इस प्रकार का कदम उठाना चाहिये कि जिससे मुकदमों का जल्दी से जल्दी निबटारा हो। आज रेवेन्यू बोर्ड में बहुत से मुकदमें पेंडिंग पड़े हैं, हमें ऐसा कदम उठाना होगा जिससे मुकदमों का जल्दी से जल्दी निर्णय हो जाय। मैंने यह प्रश्न उठाया है और मैं बताना चाहता हूं कि आज कलेक्टोरेट्स में हमारे यहां कुछ ऐसे आवर्स होते हैं, टी आवर्स, लंच आवर्स रख लेने हैं कि 12 से 2 बजे तक लंच आवर फिर 2 बजे से 3 बजे तक चाय का समय दे देते हैं, इस प्रकार समय देने से बड़ा भारी नुकसान होता है, मुकदमों के संबंध में हमारा समय नष्ट होता है, जो लोग बाहर से जाते हैं उनको बड़ी परेशानी और दिक्कतों का सामना करना होता है, उनका बहुत अधिक समय बरबाद होता है : तो हमें इस तरह के प्रशासन के मामलों में बड़ा सख्त कदम उठाना होगा और प्रशासन के मामलों में जो इस प्रकार की ढिलाई है, उसको सख्त कदम उठा कर मिटाना होगा, प्रशासन के मामलों में इस प्रकार की ढिलाई न बरती जाय।

अब मैं एक और बात की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं वह लघु सिंचाई योजना की बाबत है। श्रीमान् यह बात आज निश्चित है कि हम जितनी धनराशि लघु सिंचाई योजनाओं में लगायेंगे उताना ही अधिक हम हमारे देश का उत्पादन बढ़ा सकेंगे। सिंचाई के बारे में आज मेरा प्रश्न है और मैं यह कहना चाहता हूं कि कई जगह, हमारे पाली जिले में सरदार समन्द से, हेमावास बांध से सिंचाई होती है 12 माइल लम्बी कच्ची नहर में पानी डाल कर पानी बारानी जमीन को देते हैं। उन गरीब लोगों को जो आसपास के लोग हैं उनको पूरा पानी नहीं मिलता है। नहरी लगान देने वाले 2 रुपया प्रति बीघा लगान देते हैं वे लोग पानी से वंचित रहते हैं और बारानी जमीन वालों को 12 मील कच्ची नहर में पानी डाल कर पानी देना चाहते हैं, यह भी एक बड़ा विचारणीय प्रश्न है जो विचार करने योग्य हैं। मैं सिंचाई मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि इस पर वे सभी दृष्टिकोणों से विचार करें।

(श्री मूलचन्द डागा)

भूमि सम्बन्धी सुधारों के सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि टिनेन्सी एक्ट के तहत हमने काश्तकारों को खातेदारी राइट्स दिये हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य : राजस्थान केनाल एरिया में चार साल के बाद ही दी हुई खातेदारी राइट्स छीनलीं। इससे बढ़ कर शर्म की बात और क्या हो सकती है।

श्री मूलचन्द डागा : इसके साथ ही साथ मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो चरागाहों और इस प्रकार के कामों के लिये नियम बनाये गये हैं उनमें संशोधन करना होगा। भेड़-बकरी पालने वालों के लिये बोझों वाली जमीन नहीं है, इसके अभाव में भेड़-बकरी पालने वाले लोगों को बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। इस सम्बन्ध में आपको कदम उठाना होगा जिससे कि भेड बकरी पालने वाले लोगों को अपनी भेड बकरी चराने के लिये स्थान मिल सकें।

श्री नथूराम [illegible] (जमवारामगढ़) : डागा साहब आप 57 से यह मांग कर रहे हैं, 57 की असेम्बली में जब आप मेम्बर थे तब भी आपने यह मांग रखी थी लेकिन आपकी मांग आज तक स्वीकार नहीं की गई।

श्री मूलचन्द डागा: इसके अलावा और बात की ओर ध्यान आकर्षिक करना चाहता हूं। राजस्थान में सीलिंग कानून लागू किया गया। उसके बाद नियम बनाए गए और राज्यपाल महोदय ने पिछले अभिभाषण में कहा था कि इसको क्रियान्वित किया जायेगा लेकिन राजस्व मंत्री आपसे निवेदन करूंगा कि इस कानून को अमली रूप में देने में शीघ्राति-शीघ्र कदम उठायें क्योंकि हम समाजवाद के ढंग का समाज बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जिसके पास बहुत जमीन है उनकी जमीनों पर आप सीलिंग लगाकर भूमिहीनों को भूमि दें यह प्रश्न कई बार सदन में उठाया जा चुका है और पाली जिले की कांग्रेस कमेटी ने भी इस विषय में एक प्रस्ताव पारित किया है। मैं चाहता हूं कि इस विषय में आप कुछ करें।

हमारी आर्थिक स्थिति कठिन है, गंभीर है, उस पर भी राज्य सरकार ने और केन्द्र सरकार ने ध्यान नहीं दिया और आज राजस्थान नहर का काम, राजस्थान कैनाल का काम ठप्प पड़ा है। मैं चाहता हूं कि इस पर राज्य सरकार दुबारा फिर केन्द्रीय सरकार से इसके लिए पुरजोर अपील करे और बताए कि जो पिछड़े हुए प्रदेश हैं उनको विकसित प्रांतों की तुलना में ज्यादा सहायता मिलनी चाहिए, राजस्थान दूसरे राज्यों से पिछड़ा हुआ है। ऐसी हालत में इसको ऊपर उठाने के लिए हमें आर्थिक सहायता इतनी मिलनी चाहिए जिससे हमारा विकास हो सके। इतना ही कहकर मैं राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण दिया है, उसके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूं।

श्री गिरधारी [illegible] (आसीन्द): उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने जो कृपा करके अपना अभिभाषण विधान सभा में दिया और जिसके संबंध में माननीय मूलचन्दजी ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसका अनुमोदन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं।

राज्यपाल महोदय ने चालू वर्ष में हमारे देश की परिस्थितियों की ओर राजस्थान

(श्री गिरधारी लाल व्यास)

विधान सभा सदस्यों का ध्यान आकर्षित किया, जिस प्रकार की परिस्थितियों में हमारा देश गुजरा, अकाल की छाया चारों ओर थी और उसके बाद महंगाई ने लोगों को परेशान किया जिसकी वजह से हमारी आर्थिक स्थिति पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। ऐसी विकट परिस्थितियों के अंदर सरकार ने किस प्रकार से ऐसे मसलों पर जोर के साथ, ताकत के साथ राजस्थान के अकालग्रस्त निवासियों को, जो अकालग्रस्त थे, सभी प्रकार से पीड़ित थे, उनको किस प्रकार से सहायता दी गई वह सराहनीय है। आपने देखा होगा कि पिछले वर्ष भी जब बजट अधिवेशन हुआ उसके अंदर जो राज्यपाल महोदय ने अपना भाषण दिया था उस समय हमारे देश में अकाल की वजह से भीषण परिस्थितियां इस कदर थीं, कि लोगों को अनाज बड़ी मुश्किल से मिल रहा था, अनाज के भाव आसमान को छू रहे थे। ऐसी परिस्थिति में भी राज्य सरकार ने इस राज्य को किस प्रकार से निकाला, यह सराहनीय बात है। राज्य सरकार ने करीब 16 करोड़ रुपए खर्च करके पिछले साल राजस्थान की जनता के साथ ऐसा व्यवहार किया कि बाहर से अनाज मंगाकर और विदेशों से आये हुए अनाज को लोगों में आवंटित करने के लिए इकट्ठा किया। उसको इकट्ठा करके किस प्रकार से सरकार ने सस्ती दुकानों के जरिए अकालग्रस्त क्षेत्रों के अंदर लोगों को राहत देने के लिए कितनी हमदर्दी बताई, उसके साथ साथ यहां पर जिस प्रकार से जितने बड़े पैमाने पर लोगों को अकालग्रस्त क्षेत्र में काम दिए गए, वह कम सराहनीय बात नहीं थी। इस तरह सरकार ने इन लोगों को बहुत बड़ी सहायता दी और सैकड़ों वर्षों में भी इस प्रकार की परिस्थिति हमारे देश में पैदा नहीं हुई थी जब कि इतने बड़े पैमाने पर सारे देश के अंदर अकाल की छाया पड़ी हुई हो और आर्थिक स्थिति इतनी विषम हो। ऐसे समय में सरकार ने लोगों को काम देकर उनके दिन निकाले और उनके बाल बच्चों और जानवरों को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं आने दी।

श्री उपाध्यक्ष : इसके बारे में तो आपने पिछले सत्र में भी भूमिका के तौर पर कहा था। अब दूसरी बात कहिए।

श्री गिरधारी लाल : मैं यह इस लिए कह रहा हूं कि ऐसी परिस्थितियों के अंदर भी सरकार ने किस प्रकार से काम किया और कैसे उन विकट दिनों से जनता को निकाला और उनके सामने आज यह दिन आने का मौका दिया। इस देश में ऐसी विकट स्थिति थी, महंगाई इतनी ज्यादा थी कि लोगों को अपना जीवन चलाना मुश्किल हो रहा था, वैसे दिनों में यहां पर सरकार ने उनको सस्ता अनाज व काम काज दिलाया, सभी प्रकार की व्यवस्था की और वे दिन निकलवाए। इसके लिए सरकार की जितनी प्रशंसा की जाय वह कम है।

इसके अलावा चीन और पाकिस्तान के हमलों की वजह से हमारे देश की आर्थिक स्थिति बिगड़ी फिर भी सरकार ने पूरे साधन जुटाकर डिफेंस को मजबूत बनाने के लिए पूरी ताकत के साथ उस काम को किया। जब पाकिस्तान ने हमला किया उस समय भी इस देश के तमाम के तमाम साधनों को जुटा दिया गया और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया और दांत खट्टे किए। इस

(श्री गिरधारीलाल व्यास) प्रकार की स्थिति में राज्य सरकार ने और भारत सरकार ने मिलकर विकट परिस्थितियों के अंदर देश को आगे बढ़ाने का काम किया है। ऐसी विकट परिस्थितियों के होते हुए, जैसे महंगाई हो, अकाल छाया हुआ हो 2-2, 4-4 साल से और जहां चीन और पाकिस्तान का इतने बड़े पैमाने पर हमला हो और उसके अंदर हमारे तमाम के तमाम जो पूंजी थी और साधन थे, हमने उसके अंदर जुटाए। ऐसी स्थिति में भी राजस्थान ने अपनी योजनाओं को न छोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की। आपने देखा होगा कि राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में कहा है कि हमने पिछले साल 36 करोड़ रुपए अपनी योजनाओं के लिए भारत सरकार से संपर्क करके निर्धारित किए थे उसके बावजूद भी हमने और तरीकों से एल. आई. सी. और भारत सरकार से कहकर उसको 48 करोड़ रुपए तक पहुंचा कर काम को पूरा किया। तो इस तरह से राज्य सरकार ने इन विकट परिस्थितियों में भी देश को आगे ले जाने की कोशिश की। बरसात की कमी थी, उससे बिजली का उत्पादन कम था, उससे औद्योगिक उत्पादन कम हुआ तथा उससे हमारी पूंजी में भी कमी आई। इनके बावजूद भी सरकार ने अपनी योजनाओं को पूरा किया और योजनाओं पर चलती रही। उन्होंने अपनी लघु सिंचाई की योजनाओं को, ग्रामीण बिजली और पेयजल प्रदाय योजनाओं को पूरा किया और उसके साथ साथ बाढ़ नियंत्रण के तमाम के तमाम काम उन्होंने पूरे किए।

इसके साथ साथ में यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि इन विपरीत परिस्थितियों के अंदर भी राजस्थान ही एक ऐसा प्रांत है जिसने तीन-तीन, चार-चार साल से अभावग्रस्त होने हुए भी जिसके कारण उसकी आर्थिक हालत झकझोरी हुई थी, हमारी राष्ट्रीय आय को बढ़ाया और परकेपिटा इनकम को भी बढ़ाया जिसके आंकड़े हमारे राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में दिये। इतनी परिस्थितियों में भी राजस्थान सरकार ने कार्य किया उन्नति के लिये वह किसी से छिपा हुआ नहीं है। हम कहने को तो कह सकते हैं कि राजस्थान की सरकार ने काम कुछ नहीं किया और उसके काम करने से नेशनल इनकम घटी और परकपिटा इनकम घटी लेकिन जब हम आंकडों की तरफ ध्यान देते हैं तो इस प्रकार कहना सही नहीं है और वास्तव में हमारी नेशनल इनकम बढ़ी है। और परकेपिटा इनकम भी बढ़ी है। हमारे प्लान्स के हिसाब से जितनी इनकम बढ़नी चाहिए थी उतनी तो इनकम नहीं बढ़ी है लेकिन इतनी केलेमिटीज के बावजूद भी जो राज्य सरकार ने प्रगति का प्रतिशत प्राप्त किया है वह प्रशंसनीय है। मैं उसकी तारीफ किये बगैर नहीं रह सकता।

एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिऐ राज्य सरकार ने जो कार्य किया वह भी कम तारीफ का नहीं है। खाद्य का वितरण, जमीन का वितरण, पावर और सिंचाई के साधनों को बढ़ाना इन सब के लिये पूरी तरह से प्रयत्न किया। यदि आप आंकड़ों को देखेंगे तो स्वयं ही मालूम कर सकेंगे। स्वयं राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में बताया कि किस प्रकार राजस्थान सरकार ने उन्नत बीज वितरण करने का लक्ष्य था उसको पूरा किया। 1965-66 में खाद्य उत्पादन कुल

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

37.77 लाख टन था उसके मुकाबले में 66-67 में 42.55 लाख टन रहा। कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के लिये 1966-67 में 4211 हजार एकड़ भूमि में अधिक उपज देने वाले शंकर मक्का, ज्वार, बाजरा, धान और मैक्सिकन गेहूं के बीज बोये गये। 67-68 के प्रारंभ में दो लाख बासठ हजार एकड में इस प्रकार के उन्नत बीज बोने का लक्ष्य रखा गया था। उसके मुकाबले में भारत सरकार के इस आश्वासन पर कि अधिक आवश्यक खाद व बीज आदि दिये जावेंगे इस लक्ष्य में वृद्धि की गई और 4.37 लाख एकड़ का लक्ष्य रखा गया जिसमें से 3.94 लाख एकड़ का लक्ष्य प्राप्त किया गया। इससे आप अंदाज स्वयं ही लगा सकते हैं कि जो 2.62 लाख का लक्ष्य शुरू में निर्धारित किया गया था उसके मुकाबले कहीं ज्यादा टारगेट प्राप्त किया गया। 68-69 में जो उन्नत बीज आदि वितरण कर प्रोडक्शन बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है वह 11.35 लाख एकड का है। इस प्रकार हम बराबर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पर ध्यान कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि राजस्थान ही ऐसा प्रांत बन जाय जो हिंदुस्तान के कौने कौने में खाद्यान्न दे सके, फीड कर सके उन सब प्रांतों को और अकाल के कारण ऐसी परिस्थितियां बन जाती है कि विदेशों से अनाज मांग कर लोगों को देना पड़ता है उसके मुकाबले राजस्थान में ऐसे प्रयास किये जा रहे हैं कि जिससे तमाम हिन्दुस्तान के भाइयों को अनाज दिया जा सके और बाहर से अनाज न मंगाना पड़े साथ ही हमारी स्टेट को सेल्फ सफिशियेन्ट बना सके यह हमारा लक्ष्य है और प्रयत्न है।

उर्वरक एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिये आवश्यक है। जब तक उर्वरक सप्लाई नहीं होता तब तक एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी नहीं बढ़ सकता। देशी खाद उतना न तो होता है और न ही सप्लाई किया जा सकता है। इसलिये उर्वरक को हमारे देश म तैयार करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ साथ बाहर से भी उर्वरक मंगाया जा रहा है। जिससे हमारे यहां खेती की पैदावार को अधिक प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हुआ है। आपने देखा है कि 65-66 और 66-67 में किस प्रकार उर्वरक की मांग बढी है। 1966-67 में नाइट्रोजन 68,550 टन 11,9?0 टन फास्फेट और 430 टन पोटिशियक उर्वरक वितरण किया गया जब कि इस वर्ष 1 लाख 10 हजार नाइट्रोजन, 46 हजार टन फास्फेट और 3,650 टन पोटेशिक उर्वरक वितरित किये जायेंगे। इस प्रकार आप देखगें कि जो उर्वरक का वितरण किया गया है उससे पैदावार को बढ़ाने में काफी फायदा हुआ है और इस साल आप देखेंगे, उपाध्यक्ष महोदय कि राजस्थान बाहर के प्रान्तों को खाद्यान्न सप्लाई कर सकेगा। राजस्थान के कुछ हिस्सों में अकाल के कारण पैदावार कम हुई है। लेकिन फिर भी अच्छे खाद वितरण और बीज वितरण से हम पैदावार बढा सकेंगे।

फसल संरक्षण का कार्य भी काफी प्रगति के साथ चल रहा है। 125 युनिटें इसके लिये तैयार की गयी हैं। जो कीडे फसल को लगते हैं उनको पूरी तरह से नष्ट करने के लिये पूरी तरह से प्रयास किये गये हैं। और उसमें काफी सफलता भी मिली है। इन आंकड़ों से भली प्रकार मालूम होगा कि किस प्रकार हमने पौव

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

संरक्षण के लिये धीरे 2 प्रगति की है। 1966–67 में करीब 40 लाख एकड़ में फसल संरक्षण का कार्य किया गया और 1967-68 के लिये 66.40 लाख एकड़ का फसल संरक्षण का लक्ष्य निर्धारित है। जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है आशा है राज्य सरकार उसको प्राप्त कर लेगी जिससे कि हमारी पैदावार में बढ़ोत्तरी होगी।

इसके साथ साथ, उपाध्यक्ष महोदय, यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले साल अकाल का टाइम था उस टाइम में भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के बढ़ाने के लिये कई कार्य किये गये। सबसे बडा जो कार्य था वह था भू–संरक्षण जिन जमीनों का कटाव होता था उनके कटाव को रोकने के लिये और पैदावार को वढाने के लिये चारों तरफ मेड बन्दी की। जहां 1966–67 में एक लाख बत्तीस हजार एकड क्षेत्र में भू–संरक्षण का कार्य किया गया वहां इस वर्ष में एक लाख नवासी हजार क्षेत्र में यह कार्य कराने का प्रस्ताव है। संयुक्तराष्ट्र संघ से भी चम्बल क्षेत्र में पानी के भराव की समस्या थी, उसको हल करने के लिये योजना शुरू कर दी गई है। इस समस्या के कारण जमीन की उर्वरक शक्ति कम हो जाती है उसको खत्म करने के लिये योजना बनायी गयी। जो समस्या पानी के भराव की चम्बल वैली में पैदा हो गई थी और जिसके कारण जमीन की शक्ति नष्ट हो रही थी उसकी रोकथाम की गई है। इसी प्रकार राजस्थान केनाल क्षेत्र में भी योजना शुरू की गई है जिसके अन्तर्गत भूमि की उपयोगिता और पानी का उचित उपयोग किस प्रकार हो इसका प्रयास किया जा रहा है।

कोशिश की जारही है कि पानी का ज्यादा से ज्यादा उपयोग हो, वेस्टेज कम हो। जहां लाईनिंग नहीं हुई है वहां लाइन बने और पानी वेस्टेज न होकर एक एक बूंद किसानों की जमीन पर पहुंचे और उसके पहुंचने के लिये ज्यादा से ज्यादा प्रयत्न करना चाहिये। मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान की सरकार ने एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन जिस प्रकार का किया है, मैं उसकी प्रशंसा करता हूं प्रशंसा की पात्र जब होंगी राजस्थान एक एग्रीकल्चर प्रदेश है। खास तौर से राजस्थान के अन्दर जब तक यहां के बजट का 40 प्रतिशत हिस्सा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में नहीं लगाते तब तक इस क्षेत्र का विकास उस तरीके से नहीं हो सकता। आप आस्ट्रेलिया में जायें कनाडा में जायें, अमेरिका में जायें चाहे आप रूस में देख लीजिये इन तमाम स्थानों में राज्य की आमदनी का 40 प्रतिशत एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में लगाया जाता है। उसके मुकाबले में हमारे देश में 10 प्रतिशत एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पर खर्च कर रहे हैं। मेरा सुझाव है कि अगर हम हमारे देश को सेल्फ सफिशियन्ट बनाना चाहते हैं, अपने देश की उत्पादन शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं तो जो 10 प्रतिशत एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पर खर्च कर रहे हैं उसको बढ़ाकर 40 प्रतिशत पहुंचाना पड़ेगा तब हम आत्मनिर्भर हो सकेंगे। मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं खाद्यान्नों के सम्बन्ध में किस प्रकार से हमने पिछले वर्षों में खाद्यान्नों का प्रबन्ध किया है। अनाज का किस प्रकार जनता में आवंटन करके उन लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश की है। राजस्थान एक ऐसा प्रान्त है जिसने आस पास के पड़ोसी राज्यों से भावों को कम रखने का प्रयत्न किया है

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

चाहे वह विदेशों से आयतित गेहूं मंगा कर किया है चाहे बफर स्टॉक कायम करके किया है। हमने इस बात का भी प्रयत्न किया है विक्रेताओं पर लेवी लगाकर नाज इकट्ठा किया और दूसरा प्रबन्ध हमने यह किया है कि फूड कार्पोरेशन के द्वारा नाज इकट्ठा करने की कोशिश की। अनधिकृत जो लोग नाज बाहर ले जाते थे, उनको रोकने की कोशिश की है। इसके रोकने के लिये अलग अलग स्क्वेड कायम किये हैं जिससे राजस्थान का नाज बाहर न जा सके। पूरी तरह से इसका इन्तजाम किया है कि नाज सस्ता हो सके।

श्री [illegible] : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर सर। अगर राजस्व मंत्री को ज्यादा नींद आती है तो कृपा कर उपाध्यक्ष महोदय उन्हें कहें वे घर जायं।

श्री ब्रजसुन्दर शर्मा (राजस्व मंत्री) : मैं आक्षेप करता हूं। मुझे नींद नहीं आ रही है। मैं अक्षरशः रिपीट कर सकता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : सदन में नींद लेना नियमों की अवहेलना नहीं है। सदन में बाधा पैदा कर रहे हों, उस स्थिति में तो....

श्री ब्रजसुन्दर शर्मा : मेरे दोस्तों को इसी तरह गलत फहमी हो जाती है। मैं अक्सर आंख बन्द रखता हूं। मेरी आंखों में रोये हैं इसलिये बन्द कर लेता हूं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : मैं उपाध्यक्ष महोदय यह कह रहा था कि राजस्थान की सरकार ने नाज को इकट्ठा किया है और उस नाज को लोगों में बांटकर यहां पर जो कीमतें दूसरे राज्यों के मुकाबले में हैं उनको नहीं बढ़ने दी हैं। किसानों से लेवी वसूल करके 21 हजार 234 मन गेहूं वसूल किया और उसी प्रकार खरीफ की फसल रबी की फसल में शिकायतें मिली कि किसानों से लेवी वसूल करने में बड़ी भारी परेशानी होती है तो उसके ऊपर हमारी राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया कि किसानों से लेवी वसूल न की जाय लेवी से किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत न हो इसका प्रबन्ध किया। व्यापारी लोग ऊंचे भाव बढ़ाकर कीमतें बढ़ाने में योग देते हैं तो हमने उनके भाव निर्धारित कर दिये कि अमुक-अमुक अनाज का भाव अमुक-अमुक है उन रेट्स पर व्यापारियों ने खरीद की है। मैं इस बात के लिये भी राज्य सरकार की तारीफ किये बिना नहीं रह सकता कि अगर यह लेवी व्यापारियों पर नहीं लगाई जाती और किसानों पर लगाई जाती तो काश्तकार बरबाद हो जाता है और राज्य के जो कर्मचारी हैं वे भी उनको ज्यादा तकलीफें देते। व्यापारियों को थोड़ी बहुत घुटन जरूर हुई है मगर उसकी वजह से आम जनता ने बड़ी आराम की सांस ली है। इतना टाइम हो गया खरीफ की फसल को आये लेकिन आज दिनों दिन यह स्थिति आई है कि भावों में कमी आ रही है यह एक व्यवस्था की बात है। जो भी काम करते हैं उसको जो है, कानून की ग्रस्त में लेकर पूरी तरह से पाबन्दी लगा दी है। इतना परसेन्ट लेवी वसूल हो। बहुत से व्यापारियों ने तो नाज खरीदना बन्द कर दिया। ऐसे नियम हैं कि फूड कार्पोरेशन वहां जाकर खरीदे और काश्तकारों को राहत दे। इससे बफर स्टाक को कायम करने में इमदाद मिलेगी। इस प्रकार की बात करके राजस्थान की सरकार ने यहां के कन्ज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स दोनों लोगों को पूरी तरह से इमदाद करने का प्रयत्न किया

(श्री गिरधारी लाल व्यास)

है और इसमें राजस्थान सरकार की बहुत बडी सूझबूझ है और बिना तकलीफ दिये हुये जो कि इस देश के 80 प्रतिशत लोगों को तकलीफ दिये बिना प्रशंसनीय कार्य किया है।

अकाल के सम्बन्ध में राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में यह कहा कि दो हजार तीन सो पचास गांव अकाल ग्रस्त हैं जो अकालग्रस्त क्षेत्रों को सुविधायें दी जाती हैं उसी प्रकार की सुविधायें हमने पूरी तौर पर उनको दी हैं। वहां के लगान को स्टे कर दिया है और उसके साथ साथ पशुओं के चारे की व्यवस्था भी की है। दूसरी जो सुविधायें उनको दी जानी चाहिये वे बिलकुल दी जा रही हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि जो काम फेमिन में होते थे वे पहले चाहे प्रोडक्टिव होते थे या अनप्रोडक्टिव किन्तु अब पूरा प्रयत्न किया जा रहा है कि फेमिन के सब काम प्रोडक्टिव होने चाहिये, सरकार ने इस सम्बन्ध में आदेश दिया है कि जो टैक्निकल विभाग हैं, सिंचाई विभाग चाहे वह भू संरक्षण का कार्य हो और चाहे वन का कार्य हो जो टैक्निकल विभाग है जिनके द्वारा काम किया जा सकता है वह प्रोडक्टिव होना चाहिये जिसके द्वारा देश को धन मिल सके। मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रकार के कार्यों से देश को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिलेगा। मैं इस बात की भी तारीफ किये बिना नहीं रह सकता कि अभी भरतपुर, पाली, बाड़मेर में बाढ़ के समय में हमारे माननीय मुख्य मंत्री महोदय और दूसरे सभी अन्य सम्बन्धित मंत्री वहां पर गये और उनको तात्कालिक सुविधायें प्रदान की। ये लोग काफी भरे हुये पानी के अन्दर गये और वहां की गरीब जनता को इमदाद करने की कोशिश की।

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां): रां में भी भयंकर बाढ आई थी।

श्री गिरधारी लाल व्यास: मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि.... (बीच में कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर) ऐसे तो और भी बोल सकते हैं।

श्री श्रवणलाल (हिन्डोन): भरतपुर के अन्दर होम जरूर किया गया था। राज्य सरकार ने बाढ पीडित लोगों को सहायता के लिये भरसक प्रयत्न किये वहां की सहायता की तुलना की जाय मंत्रियों के वहां जाने आने का टी. ए.डी. ए. उससे कहीं अधिक खर्च हुआ है।

श्री गिरधारीलाल व्यास: राज्य सरकार ने वहां का लगान माफ किया, सस्ता अनाज उनको वितरित किया, वहां के लोगों को ऊंचे स्थान पर बसाने के लिये जमीनें दी, मकान बनाने के लिये सहायता दी। इन दो तीन जिलों के अन्दर बाढ नियन्त्रण के संबन्ध में वहां के पीडित को सहायता करने में इमदाद की। जिस सरकार के अन्दर इतना दिल है, दिमाग व सहृदयता है, भाईचारा है जो पीडितों को तत्काल सहायता देने के लिये आतुर रहते हैं जिनके प्रति वहां के नर नारी कृतज्ञ हैं। हम भी चाहते हैं कि इस प्रकार का कार्य तत्परता के साथ हो जिससे हम अपने समाज को, अपने प्रदेश को तरक्की के रास्ते पर पहुंचा सकते हैं और इससे जनता को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सकता है।

दूसरी बात में यह निवेदन करना चाहता हूं राजस्थान में कुछ भाई कह रहे

Page No. 90

(श्री गिरधारी लाल व्यास)
थे शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स को किसी प्रकार भी भूमि का वितरण नहीं हुआ उन भाई को शिड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्स के प्रति बड़ी हमदर्दी है वे बहुत जोर-जोर से ठोक-ठोक कर रहे थे। मैं उनको गारन्टी के साथ कह सकता हूं कि राज्य सरकार ने जितनी ज्यादा तादाद में शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स को जमीने दी हैं उतनी भारत के अन्दर किसी प्रदेश में नहीं दी।

एक माननीय सदस्य: छिनी कितनों की हैं?

श्री गिरधारीलाल व्यास: एक की भी नहीं छिनी है। हम दावा करते हैं कांग्रेस ही एक ऐसी संस्था है जिसने पीडित लोगों को, समाज के पिछडे लोगों को, शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को हमेशा संरक्षण दिया। उनकी बढ़ोतरी का हमेशा इस संस्था ने ध्यान रखा है।

आपके समय में अपोजीशन के लीडर बैठे हुए हैं इनके समय में तो शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों की छाया तक नहीं पड़ने दी जाती थी। आज वे सब आपके साथ हैं यह कांग्रेस की देन है आज कांग्रेस ने शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स को एक कुरसी पर लाकर बिठा दिया है यह देन और किसी की नहीं हो सकती। इसके लिये आप कांग्रेस की प्रशंसा न करें तो कम से कम उसकी निन्दा तो न करें। मैं दुर्भाग्य समझता हूं अपना कि इतना करने पर भी आप सरकार की तारीफ नहीं कर सकते।

श्री जुझारसिंह (रामगंज मन्डी): वे लोग तो मर गये।

श्री गिरधारी लाल व्यास: मरने वाले तो मर गये लेकिन पीछे भी ऐसे ही छोड़ गये हैं।

जिस प्रकार से राज्य सरकार ने भूमि वितरण किया है उसका उल्लेख भी राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में किया है। पिछले साल शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को जितनी भूमि दी है वह बताया है..

श्री जयनारायण खालोदिया: गलत है गलत।

श्री गिरधारीलाल व्यास: राज्यपाल महोदय ने कहा है कि बीस हजार लोगों के लिये भूमि आवंटन की गई जिसमें से करीब दस हजार से ज्यादा लोग शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग थे। जब कि इस वर्ग के लोग अपनी आबादी 23 प्रतिशत ही बताते हैं इनको जमीन मिलती है पचास प्रतिशत इस पर भी राज्य सरकार को उलाहना देना कि शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स लोगों के साथ इन्साफ नहीं किया।

इसके साथ साथ राजस्थान नहर के लिये भी कहा गया कि वहां पर भी कुछ काम नहीं किया। इस नहरी क्षेत्र में शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों के लिये कोई व्यवस्था नहीं की। राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में यह जिक्र किया है कि शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों के लिये एक लाख एकड भूमि निर्धारित की है उनको गवर्नमन्ट रेट्स पर भूमि दी जायगी और वह भी उनसे किश्तों में वसूल किये जायेंगा। इस प्रकार प्रावधान करने की वजह से गरीब और शोषित वर्ग के लोग हैं उनको ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाने के लिये ज्यादा से ज्यादा जमीन देने के लिये व्यवस्था राज्य

(श्री गिरधारी लाल व्यास)

सरकार ने की है। इस पर भी राज्य सरकार की तारीफ नहीं करते दूसरों का नाम लेकर उनका विरोध करना चाहते हैं। राज्य सरकार की इन वर्गों के लोगों के प्रति बहुत ज्यादा हमदर्दी है...

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत ज्यादा बोलना है....

श्री उपाध्यक्ष : सदन का समय दस मिनिट के लिये बढ़ाया जाता है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : दस मिनिट भी बहुत कम हैं।

श्री जयनारायण सालोदिया : आप तो बड़े पुजे हुए नेता हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : इसके साथ साथ पचास हजार बीघा जमीन ऐसे लोगों के लिये रिजर्व रखी गई है जो भूमिहीन काश्तकार हैं। ऐसे काश्तकारों को जो भूमि दी जायगी उसकी रकम किश्तों में वसूल की जायगी। सरकार की ऐसे लोगों के साथ बहुत हमदर्दी है।

इसके साथ साथ दूसरी तरफ जमीन नीलाम करके ज्यादा से ज्यादा पैसा प्राप्त करके उसको विकास के काम में लगाया जायगा। जिन लोगों को आवश्यकता है वे नीलामी में भूमि खरीद सकते हैं। इस तरह से केनाल क्षेत्र के लिये भी अलग रिजर्वेशन है। जिन जिन लोगों के लिये रिजर्वेशन की आवश्यकता है उनके लिये किया जा चुका है उसके अलावा भूमि का निलाम करके ज्यादा से ज्यादा पैसा प्राप्त करके राजस्थान का विकास करना चाहते हैं। उससे जमीन लोगों के हाथ में जायगी और प्रोडक्शन ज्यादा हो सकेगा।

इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार से भूमि का वितरण भरतपुर, सवाईमाधोपुर, कोटा, वगैरह में ऐसी भूमि है जो कन्दरायें हैं उस भूमि का गरीब लोग ठीक तरह से विकास नहीं कर सकते धनाभाव के कारण इसलिये उन कन्दराओं की भूमि को ऐसे लोगों को जो साधन सम्पन्न लोग हैं देकर उनको यह सुविधा दी गई है कि उनसे पांच साल तक उसका लगान नहीं लिया जायगा। वे पांच साल में उसको ठीक करके काबिल काश्त बनायेंगे और उसमें प्रोडक्शन करेंगे।

म. प. 5

इस प्रकार से ऐसे लोगों को यह कन्दराओं की जमीनें दी गई हैं जिनसे आज जो डाकुओं का खतरा है, चम्बल रेविन्स हैं उनके अन्दर डाकू लोग जगह-जगह छिपकर छापा मारते हैं, डकैतियां करते हैं तो इनकी वजह से इस परिस्थिति से भी बचेंगे और उसके साथ साथ जमीन भी आबाद होगी जिसका फायदा देश को मिलेगा और उत्पादन बढ़ेगा जिससे देश सम्पन्न और वैभवशाली बन सकेगा।

इस प्रकार से रेगिस्तानी इलाके में नल कूपों की व्यवस्था की है और जैसा कि एक प्रश्न के अन्दर इस प्रकार का जिक्र आज सुबह चल रहा था कि राजस्थान के अन्दर कितने नल कूप बन सकेंगे और उनके जरिये से जो है हम जमीन की पैदावार किसी तरीके से बढ़ा सकेंगे। तो राजस्थान सरकार ने यह व्यवस्था की है नल-कूपों की। जो

(श्री गिरधारी लाल व्यास)

अब खुलकर तैयार हो गये हैं और जिनकी गिन्ती 250 के करीब है जिनमें से कुछ तो खारे पानी के हो गये और कुछ मीठे पानी के हैं तो उनके पास में जमीन देकर प्रोडक्शन बढाने के सम्बन्ध में काम कर रहे हैं। वह जमीन लोगों को नीलाम के जरिये बेची जायगी और उसके द्वारा राजस्थान सरकार आमदनी बढाने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर सकेगी ।

इसके साथ साथ यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान इस प्रकार का प्रदेश है कि जहां पर पानी जो हो तो जमीन सोना उगलने लग जाय। राजस्थान में धरती इतनी लम्बी-चौडी है और तमाम धरती को पानी दे सके तो उससे इतना पैदा कर सकते हैं अनाज कि सारे हिन्दुस्तान के लोगों को खिला सकें। इस बात को देखते हुए हमारी सरकार ने राजस्थान नहर निर्माण का कार्य शुरू किया। राजस्थान नहर निर्माण के सम्बन्ध में आपने देखा होगा कि योजना 70-71 में उसको खत्म करने की थी और उस हिसाब से कोशिश भी की थी लेकिन राजस्थान सरकार को पिछले साल जो 6 करोड रुपया भारत सरकार को देना था उसमें धनाभाव और आर्थिक संकट जो देश पर छा रहा है और अकाल की स्थिति सारे देश में हो गई थी उसके कारण 6 करोड के बजाय 3 करोड रुपये ही मिले। उसकी वजह से योजना आगे चली गई। माननीय राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में यह स्पष्ट तौर से कहा था कि हम इसको जल्दी से जल्दी समाप्त करना चाहते थे ताकि हमारा सारा का सारा रेगिस्तानी एरिया इसके जरिये से पानी प्राप्त कर सके और सारे देश को सम्पन्न और वैभावशाली बना सके और ज्यादा से ज्यादा पैदावार दे सकें ताकि विदेशों से गेहूं हिन्दुस्तान में नहीं मंगाना पडे। इस प्रकार की व्यवस्था करने के लिए हम तत्परता के साथ लगे हुए थे, मगर जो आर्थिक संकट हमारे देश पर आया हुआ है उसका असर इस राजस्थान नहर पर भी पडा और उसकी गति जो तेजी से चल रही थी उसमें धीमापन आया, और हम जो इस काम को जल्दी से निपटाना चाहते थे उसमें दो- तीन सालों की देरी की सम्भावना नजर आती है।

तो इस तरीके से हमने सारा काम करके इस राजस्थान कैनाल में पिछले साल 66-67 में 1,37,978 एकड जमीन के अन्दर पानी दिया और 67-68 में हम उम्मीद करते हैं कि 1,50,000 एकड़ जमीन को पानी दे सकेंगे, और उसके साथ-साथ और भी हमने कई डिस्ट्रीब्यूटरीज और दूसरी चीजें हैं—सारंगदेसर, रावतसर, सूरतगढ वितरक वगैरह और अनूपगढ की शाखाएं बनायेंगे जिसमें 4,43,000 एकड की जिनके जरिये से पिलाई होगी। जब वे पूरी होगीं और तैयार होगीं हम चाहते हैं कि तमाम डिस्ट्रीब्यूटरीज जल्दी से जल्दी तैयार हों ताकि लाखों एकड जमीन है वह इस राजस्थान कैनाल के जरिये पिलाकर इस देश के प्रोडक्शन को बढाए और हमारा देश वैभवशाली और सम्पन्न बन सकें।

श्री जुझारसिंह : एक एक पर बोले, कोई बाकी न छोडें।

श्री गिरधारीलाल व्यास : इस तरह से इरिगेशन की पोटेन्शिलिटी इन 2-3 सालों में बढी है। राजस्थान कैनाल जब पूरी

(श्री गिरधारी लाल व्यास)

होगी तो कितने लाख एकड जमीन और बढ़ा सकेंगे। तीन चार सालों में ईरिगेशन जो है वह कितने एवरेज में हमारे राज्य में बढ़ा है इस सम्बन्ध में मैं आपको आंकड़े प्रस्तुत करता हूं

1965-66 20-33 लाख एकड़।

1966-67 22-21 लाख एकड़।

1967-68 25-13 लाख एकड़ जमीन को जो है सिंचित किया गया है। जब इन तीन सालों के अन्दर हमने इस प्रदेश के अन्दर बहुत बड़ी तादाद में अकाल था, बरसात की कमी थी, उसके बावजूद हमने हर साल ईरिगशन के अन्दर तरक्की की है, और उससे भी हमारा प्रोडक्शन बढ़ा है।

इसी तरीके से राजस्थान के अन्दर लघु सिंचाई, मध्यम सिंचाई योजनाएं हैं जिनमें से कुछ को हमने पिछले साल सम्पूर्ण किया और कुछ को हम सम्पूर्ण कर रहे हैं। उनके जरिये हमारे यहां सिंचाई के साधन और भी ज्यादा बढने वाले हैं, और देश का भविष्य बहुत उज्ज्वल नजर आता है यह साफ है कि ईरिगेशन की जितनी ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटीज होंगी उतना ज्यादा सम्पन्न राजस्थान बनेगा। एक दिन वह आयेगा जब हिन्दुस्तान के अन्दर यह प्रदेश सबसे शिरोमणि होगा, और शिरोमणि होने के साथ-साथ इस देश की और राजस्थान राज्य की रेवेन्यू और परकेपिटा इनकम हिन्दुस्तान की सब रियासनों से ऊंची होगी समें मुझे कोई शक नजर नहीं आता।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हम चाहते हैं कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में, हमारे शहरों में और हमारे औद्योगिक संस्थानों को तमाम जगहों पर हम ज्यादा से ज्यादा बिजली प्राप्त करा सकें और उसके जरिये से प्रोडक्शन को बढ़ायें। प्रोडक्शन जब बढ़ेगा तो हमारे देश का उत्पादन बढ़ सकता है। प्रोडक्शन जब तक नहीं बढ़ेगा हम चाहते हैं कि बिजली गांव गांव के अन्दर पहुंच जाय और गांव गांव में कुओं को बिजली मिले और शहरों के अन्दर इन्डस्ट्रीज को मिले ताकि इन्डस्ट्रीज ज्यादा से ज्यादा पनपे और कृषि की पैदावार बढ़े। इन्डस्ट्रीज की प्रोडक्शन बढ़ाकर हमारे देश में उत्पादन ज्यादा से ज्यादा कर सकें।

पिछले दो-तीन सालों में बरसात की कमी से अकाल पड़ा और इसकी वजह से बिजली में कटौती करनी पड़ी। इससे इन्डस्ट्रीज का नुकसान हुआ और सब प्रकार की बातों में इसके कारण इसमें छंटनी हुई जितनी भी पावर मिली है उसका पूरी तरह से उपयोग करते हुए हमने एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ाया है। हमने इन्डस्ट्रीज के प्रोडक्शन को बढ़ाया है। इसमें किसी प्रकार की कटौती नहीं आने दी ताकि देश के उत्पादन में किसी प्रकार की कमी नहीं हो सके। इन सब बातों के बावजूद हमने इस प्रकार का प्रयत्न किया है कि हमने उन तमाम कटौतियों को जो पिछले साल बरसात की कमी की वजह से कीं उन तमाम कटौतियों को समाप्त कर दिया है। और उसके साथ साथ हम यह चाहते हैं कि जो पानी ज्यादा चम्बल क्षेत्र और भाखरा क्षेत्र में आया तो उससे ज्यादा बिजली मिलेगी। उस बिजली का उपयोग करके हम इन इन्डस्ट्रियल प्रोडक्शन और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन दोनों को बढ़ाकर देश का उत्पादन और सम्पदा को ज्यादा से ज्यादा क्लाइमेक्स तक पहुंचाएं।

(श्री गिरधारी लाल व्यास)

हम चाहते हैं कि हमारी कोटा–भाखरा क्षेत्र होती हुई 200 के. वी. की लाइन जो बन कर तैयार हो जायगी उसके बाद में भाखरा से 25 मेगावाट बिजली और मिलेगी। और उसी प्रकार से हमारा जो अणुशक्ति का बिजलीघर तैयार हो जायगा तो उसके लिए 230 के.वी. लाइन खींचने का काम शुरू कर दिया है। उसके द्वारा काफी तादाद में बिजली प्राप्त हो सकेगी। उसके कारण हम अपनी इन्डस्ट्रीज को और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को तमाम को ज्यादा से ज्यादा बिजली देकर और उसके जरिये से देश को ज्यादा से ज्यादा धनवान, सम्पन्न और वैभवशाली बनाने में हम पूरी तरह से योगदान कर सकेंगे।

इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि आगे का समय हमारे लिए बहुत ही अच्छा समय है। हम जानते हैं कि हमारे देश का भविष्य क्या है। आप किसी प्रकार की बातें करें मैं कम से कम इस बात में विश्वास रखता हूं कि राजस्थान का भविष्य जरूर उज्ज्वल है। यह उज्ज्वल भविष्य कांग्रेस के साथ और कांग्रेस के साथ है। दूसरी इस प्रकार की कोई संस्था नहीं है जो देश की बागडोर को चला सके। आपने देखा है कि 7–8 महीनों में कई राज्यों में भानुमती के कुनबे ने इकट्ठे होकर राज्य चलाया तो उसका सारेका सारा नतीजा हमारे सामने है। कोई पार्टी अपने इन्ट्रेस्ट को किधर खेंचती है और कोई पार्टी अपने इन्ट्रेस्ट को दूसरी तरफ खेंचती है। यह अलग अलग इन्ट्रेस्ट वाला जो भानुमती का कुनबा है उससे इस देश का न तो कल्याण हो सकता है और न इस देश की प्रगति हो सकती है, न इस देश में समाजवाद हो सकता है, न देश की परकेपिटा इनकम, बढ़ सकती है, न देश की योजना को चला सकते हैं, न लोगों को बिजली दे सकते हैं, न लोगों को पानी दे सकते हैं, ये तो दे सकते हैं तो कोरा लड़ाई झगड़ा दे सकते हैं। तो इस प्रकार की बात हम किस तरह से लें। न तो ठीक तरह से काम कर सकते हैं न अच्छा शासन दे सकते हैं। अपने लड़ाई झगड़े से उनको फुरसत मिले तो काम करें। इस प्रकार की बात हो सकती है।

इस प्रकार का काम किया जायगा। हम कहते हैं कि आगे के समय में हम ज्यादा से ज्यादा साधनों का उपयोग करते हुए डेवलपमेंट करने की कोशिश करेंगे और इस देश की तरक्की करेंगे।

इस प्रकार से मैं इस प्रस्ताव के समर्थन में निवेदन करना चाहता हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : टाइम समाप्त हो गया।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं मजबूर हूं। समय समाप्त हो गया है। एक बार समय बढ़ा दिया। प्रस्तावकर्ता से भी आप ज्यादा बोले।

सदन की कार्यवाही दिनांक 22–1–68 के म. पू. 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 5 बजकर 12 मिनट पर दिनाक 22 जनवरी, 1968 के म.पू. 11 बजे तक के लिए स्थगित की गई)

परिशिष्ट 1

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या 2 से सम्बन्धित सूची देखिये)

सांख्यिक सहायकों की सूची जिनको 1-6-66 के बाद 170–385 की वेतन श्रृंखला दी गई है।

1.	श्री पे.एस. गुप्ता	बी.एस. सी. (गणित)
2.	श्री वेद प्रकाश गुप्ता	" "
3.	श्री हरी मोहन	" "
4.	श्री प्रेम कुमार आचार्य	" "
5.	श्री राम खिलाड़ी	" "
6.	श्री शिव कुमार	" "
7.	श्री पदम सिंह रावत	एम.एस. सी. (स्टेटिसटिक्स)

राजस्थान लोक सेवा आयोग से अनुमोदित अन्वेशकों की सूची

1.	श्री श्रीनाथ शर्मा	(खाद्य विभाग में स्थानन्तर) सन् 1957 में राजस्थान लोक सेवा आयोग से अनुमोदित
2.	श्री आर. एस. जोनवाल	सन् 1957 में राजस्थान लोक सेवा आयोग से अनुमोदित।
3.	श्री नन्द लाल पारीक	सन् 1965 में " " अनुमोदित
4.	श्री लक्ष्मी नारायण हैडा	"
5.	श्री विजेन्द्र सिंह वर्मा	" सेवारम्भ रिपोर्ट नहीं दी
6.	श्री गिरधारीलाल सलूजा	"
7.	श्री हरीनाराययण दाधीच	"
8.	श्री हनुमान प्रशाद दाधीच	"
9.	श्री राम प्रताप चौधरी	"
10.	श्री सुरेन्द्रनाथ शर्मा	"
11.	श्री हरीशचन्द्र मुथा	"
12.	श्री पृथवीराज बैनीवाल	"
13.	श्री जवाहर सिंह	"
14.	श्री महेन्द्रकुमार जैन	"
15.	श्री मानमल जैन	"
16.	श्री फकरू अहमद खान	" सेवा आरम्भ रिपोर्ट नहीं दी
17.	श्री विक्कम चन्द चतुर्वेदी	"
18.	श्री शिवराज पारीक	"
19.	श्री सुखलाल हिरण	"
20.	श्री ओम प्रकाश माथुर	"
21.	श्री देवीदान रत्न	"
22.	श्री सत्यनारायण भट्ट	"
23.	श्री सुरेशचन्द्र शर्मा	"
24.	श्री सत्यनारायण दोषी	"
25.	श्री दौलत राय आर्य	"
26.	श्री मिट्ठू सिंह चौहान	"

27. श्री पूरन चन्द गुप्ता ,,
28. श्री पन्नालाल ,,
29. श्री चौथराम ,,
30. श्री वेदराम ,,
31. श्री चौथमल ,,
32. श्री रामजीलाल ,,
33. श्री खालीराम ,,

परिशिष्ट 2

(कृपया तारांकित प्रश्न स. 12 की सूची देखिये)

सूची प्रश्न नं. 2

1. **अवनति :—**

श्री सत्यनारायण मैकेनिक	दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी	इनका का कार्य सन्तोषप्रद नहीं पाया गया, यह अकारण अवकाश पर रहने के आदि थे।	मैकेनिक के पद से हटा कर ड्राइवर बनाया गया इसके बाद भी काम ठीक न करने के कारण इनको दैनिक वेतन में 1) रु. माहवार की कमी की गई।

2. **स्थानान्तरण :—**

2. श्री प्रेम चन्द श्री माल	नियमित कर्मचारी	यह कार्यालय आदेशों को नहीं मानते थे व इनका कार्य सन्तोषप्रद नहीं था।	डिसिप्लेनरी एक्शन के बाद इनका स्थानान्तरण भेड़ व ऊन विभाग में दि. 24-5-67 को किया गया।
3. श्री अशोक कुमार	,,	यह कार्यालय आदेशों को नहीं मानते थे व काम करने से इन्कार कर देते थे।	इनको वान क्लर्क बनाया गया फिर भी आदेशों को अवहेलना करने के कारण इनका स्थानान्तरण दि. 25-5-67 को कृषि विभाग में किया गया।
4. श्री उमाशंकर	,,	ये कार्यालय आदेशों को नहीं मानते थे व इनका कार्य सन्तोषप्रद नहीं था।	इनका स्थानान्तरण कृषि विभाग में दि. 31-5-67 को किया गया।
5. श्री मदन मोहन पारीक	,,	इनका कार्य सन्तोषप्रद नहीं था ये आदेशों की अवहेलना करते थे	इनके खिलाफ डिसिप्लेनरी एक्शन लेने के बाद इनका स्थानान्तरण दि. 28-4-67 को पशुपालन विभाग में किया गया।

3. निलम्बित :—

6. श्री अब्दुल सत्तार	निमिमत कर्मचारी	इनको होटल पर दूध बेचते रंगे हाथों पकड़ा गया इस प्रकार दूध की चोरी करने व आदेशों की अवहेलना करने पर इनको निलम्बित किया गया।	डिसिप्लेनरी एक्शन लेने के बाद इन्हें 24-4-67 को निलम्बित किया गया।
7. विरेन्द्र कुमार	"	इनका कार्य सन्तोषप्रद न होने व पार्टियों का पेमेन्ट समय पर न करके उनको तंग करने के कारण इनको निलम्बित किया गया।	इनके खिलाफ डिसिप्लेनरी एक्शन लेने के बाद इन्हें दि. 6-12-66-को निलम्बित किया गया।

4. राज्य सेवा से मुक्त :—

8. श्री प्रेमदेव	मैकेनिक नियमित कर्मचारी	कार्य को सुचारु रूप से नहीं करते थे व गाडियों को ठीक ढंग से नहीं नहीं रखते थे व अनुपस्थित रहते थे।	इनके खिलाफ डिसिप्लेनरी एक्शन लेने के बाद इन्हें दि. 14-4-67 को राज्य सेवा से मुक्त किया गया।
9. श्री हनुमान सहाय पारीक	दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी	इन्होंने राज्य कार्य सुचारु रूप से नहीं किया दूध वालों का भुगतान समय पर नहीं किया राज्य आदेशों की अवहेलना की।	इनके खिलाफ डिसिप्लेनरी एक्शन लेने के बाद दि. 2-1-67 को सेवा से मुक्त किया गया।
10. बी. एल. टिक्कू	दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी	इन्होंने अपना कार्य कभी भी सुचारु रूप से नहीं किया सरकारी सामान को हानि पहुंचाई। राज्य आदेशों का पालन न करने व अधिकारियों का सामना करने के कारण इनको सेवा से मुक्त किया गया।	इनके खिलाफ डिसिप्लेनरी एक्शन लेने के बाद दि. 3-3-67 को सेवा से मुक्त किया गया।

11. मोहन प्रकाश	दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी	ये समय पर अपना कार्य नहीं करते थे दूध की चोरी करत थ व अकारण अवकाश पर रहते थे।	इनके खिलाफ डिसिप्लेनरी एक्शन लेने क बाद इन्हें दि. 8-12-66 को सेवा से मुक्त किया गया।
12. श्री हनुमानसहाय माली	,,	ये अधिकतर अवकाश पर रहते थे तथा कार्य पर अनुपस्थित रहते थे एवं दुग्ध विक्रेताओं की चेतावनी की फाइलों को भी खो दिया है।	इन्हें दि. 14-4-66 को सेवा से मुक्त किया गया।
13. गिरधारीलाल पारीक	,,	आदेशों की अवहेलना करते थे अधिकारियों का सामना करते थे दूध की गाड़ियों को अक्सर लेट करते थे कर्मचारियों को तंग करते थे।	इनके खिलाफ डिसिप्लेनरी एक्शन लेने के बाद दि. 30-5-67 को सेवा से मुक्त किया गया।
14. ग्यारसीलाल ड्राइवर	,,	ये दूध की चोरी करने के आदि थे।	इनके खिलाफ डिसिप्लेनरी एक्शन लेने के बाद इन्हें 24-5-67 को सेवा से मुक्त किया गया।
15. श्री हनुमानसिंह क्लीनर	,,	,,	,,
16. श्री रामअवतार ड्राईवर	,,	इन्होंने गाड़ी का एक्सीडेन्ट किया इस प्रकार सरकारी नुकसान किया और फरार हो गए।	ये गाडी का एक्सीडेन्ट करके फरार होगये।

परिशिष्ट 3

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या 13 की सूची देखिये)

समय तालिका कोटा बारां

अप सर्विस

कोटा			बारां
रवानगी	12 दोपहर	आमद	2–45 दोपहर
,,	3 बजे	,,	5–45 शाम
,,	4–30	,,	7–15 ,,
,,	6	,,	8–45 रात

डाउन सर्विस

बारां			कोटा
रवानगी	7 बजे सुबह	आमद	9–45 सुबह
,,	8–30	,,	11–15 ,,
,,	9–30	,,	12–15 दोपहर
,,	6 बजे शाम	,,	8–30 शाम

ग्रीष्म काल में

पहली व दूसरी बस का टाइम इस प्रकार है:—

पहली बस 6–15 सुबह व दूसरी बस 7–30 सुबह

कोटा सांगोद

	पहली अप			पहली डाउन	
कोटा रवानगी	15–15	17–15	आमद	10–05	12–05
छावनी चौराहा	15–35	17–35		9–45	11–45
दरा आमद	17–00	19	रवानगी	8–20	10–20
रवानगी	17–15	19–15	आमद	8–05	10–05
कनवास आमद	17–45	19–45	रवानगी	7–35	11–45
रवानगी	17–50	19–50	आमद	7–30	11–30
सांगोद आमद	18–20	20–20	रवानगी	7–00	9

1 बस दरा सांगोद के बीच चलने के लिये जिसका समय चक्र इस प्रकार है :—

1. दरा रवानगी 2 बजे दोपहर सांगोद के लिये
2. सांगोद रवानगी 5–30 दोपहर दरा के लिये

मार्ग नं. 2 का समय निम्न प्रकार है :—

कोटा कुन्दनपुर सांगोद (1 सर्विस)

रवानगी कोटा 8 बजे सुबह
रवानगी सांगोद 15 बजे दोपहर

मार्ग नं. 3 का समय निम्न प्रकार है :—

कोटा सांगोद वाया कैथून देवली
सांगोद रवानगी 7–30 सुबह
कोटा रवानगी 5–00 शाम

परिशिष्ट 4

(समयाभाव के कारण समय में न लिये गये तारांकित प्रश्नोत्तर)

खादी आश्रम, राजगढ़

15. श्री गंगासहाय (कठूमर)-क्या खादी तथा ग्रामोद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) खादी आश्रम, राजगढ़ की स्थापना कब हुई? स्थापना होने के समय से 1966 तक इस आश्रम को कुल कितना ऋण एवं कितना अनुदान दिया गया है? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) यह आश्रम लाभ में चल रहा है अथवा घाटे में? लाभहानि का वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) खादी आश्रम राजगढ़ द्वारा कुल कितने अम्बर चर्खे वितरित किये गये? वितरित चर्खों में आज कितने चालू हैं और कितने बन्द पड़े हैं और क्यों बन्द पड़े हैं?

(4) जब पूरे वितरित चर्खे चलते थे तब कितने सूत का उत्पादन प्रतिमाह होगा था? और अब कितना होता है?

(5) वितरित अम्बर चर्खों की लागत कीमत क्या है और सब्सीडाइज्ड कीमत क्या है?

(6) क्या वितरित सभी चर्खों की कीमत वसूल हो चुकी है? यदि नहीं, तो क्यों? और बाकी है तो कितनी बाकी है? आश्रम ने इस शेष रकम की वसूली के लिए क्या कदम उठाये हैं?

उत्तर

1. खादी आश्रम राजगढ़ का सम्बन्ध राजस्थान सरकार व राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड से नहीं है और इस आश्रम को राज्य सरकार व बोर्ड से कोई ऋण व अनुदान नहीं दिया गया है।

2. प्रश्न नहीं उठता।

3. प्रश्न नहीं उठता।

4. प्रश्न नहीं उठता।

5. प्रश्न नहीं उठता।

6. प्रश्न नहीं उठता।

अध्यापकों की अनिर्णीत अपीलें

16 श्री रामाननन्द अग्रवाल (अलवर) —क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अलग अलग जिले के कुछ अध्यापकों की अपीलें शिक्षा संचालक बीकानेर के पास कई वर्षों से अनिर्णित स्थिति में पड़ी हुई है? यदि हां, तो कृपया ऐसी अपीलों की संख्या बताने का कष्ट करें? ऐसी अपीलों की सूची मय तारीख जब कि अपीलें प्राप्त हुई और अब तक निर्णय न होने के कारण सहित सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि शिक्षा निरीक्षक अलवर ने अपने पत्र संख्या (Is/EP/Comp./50/19/64) दिनांक 14-8-64 द्वारा श्री मनोहरलाल सिंगल पी.टी आई. रा. उ. मा. वि. परतापुर की अपील शिक्षा संचालक को भेजी थी जिसका निर्णय अभी

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
तक नहीं किया गया है? इस में निर्णय करने में इतनी देरी का क्या कारण है?

(3) क्या इन अपीलों को एक निश्चित अवधि में तय करने के लिए सरकार ताकीद करेगी ?

(सरकार द्वारा स्थगित किये जाने हेतु प्रार्थना की गई।)

दौरों के दिनों की निर्धारित अवधि

17. राजवी श्री रूपसिंह (सरदारशहर) क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) मंत्रियों, राज्य मंत्रियों, उप-मंत्रियों एवं संसदीय सचिवों के दौरे के लिए दिनों की कोई अवधि निश्चित की हुई है या नहीं? यदि है, तो कितने दिनों की और यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

(2) दौरे के कार्यक्रम के बाद दौरे में किये गये कार्य संबंधी विवरण मुख्य मंत्री को यह जानकारी लेने के लिये भेजा जाता है या नहीं कि दौरा वास्तव में जनहित में सार्वजनिक कार्य के लिये ही किया गया था न कि किसी दीगर घरू काम के लिए?

(3) यदि अब तक ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है तो क्या राज्य सरकार ऐसी कोई व्यवस्था करेगी जिससे सार्वजनिक दौरे के बहाने मंत्री लोग अपने घरेलू कामों के लिए सरकार साधन सुविधाओं का उपयोग नहीं कर सकें?

उत्तर

1. मंत्रियों, राज्य मंत्रियों, उप मंत्रियों एवं संसदीय सचिवों के लिए दौरों के दिनों की कोई अवधि निश्चित नहीं है।

2. मंत्रियों के लिये यह आवश्यक नहीं है कि दौरे के कार्यक्रम के पश्चात कार्य सम्बन्धी विवरण मुख्य मंत्री के अवलोकनार्थ भेजें।

3. राज्य सरकार के व्यय पर जो दौरे किये जाते हैं वे सार्वजनिक कार्य व जनहित में ही किये जाते हैं। अतः यह प्रश्न ही नहीं उठता।

ग्राम गुन्दोज में आयुर्वेदिक औषधालय का भवन

18 श्री मूलचन्द डागा (पाली) क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताना की कृपा करेंगे :—

(1) क्या गांव गुन्दोज में उसके भूत-पूर्व जागीरदार ने कोई भवन आयुर्वेदिक औषधालय के लिये भेंट किया? यदि हां, तो कब?

(2) क्या यह सत्य है कि वह भवन आज आयुर्वेदिक औषधालय गुन्दोज के कब्जे में नहीं है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या आयुर्वेद विभाग इस भवन पर अनधिकृत कब्जे बाबत कोई कार्यवाही किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ कर रहा है? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की जा रही है?

उत्तर

1. जी हां, दिसम्बर 1962 में।

2. जी हां, इस भवन का बख्शीश नामा ठाकुर हरिसिंह ने आयुर्वेदिक विभाग के नाम जब लिख कर दिया था, उस समय भवन श्री जप्पाराम के पास चक्की के लिये किराये पर था, और श्री हरिसिंह ने यह कहा था कि ज्यों ही श्री जप्पाराम खाली करेंगे त्योंही

(आयुर्वेद मंत्री)

इसे विभाग के कब्जे में दे दिया जावेगा परन्तु बाद में श्री हरिसिंह की नियत बदल गई और जप्पाराम से किराया लेता रहा और कुछ समय बाद यकायक इस भवन को श्री पारसमल पुत्र श्री पुखराज को बेच दिया।

3. ज्योंही विभाग को यह मालूम हुआ कि आयुर्वेद के नाम बखशीश किये हुये भवन को श्री हरिसिंह ने बेच दिया है, विभाग द्वारा जिलाधीश पाली को रजिस्ट्री रोकने हेतु लिखा गया जिला आयुर्वेद अधिकारी पाली ने जिलाधीश पाली से व्यक्तिगत सम्पर्क भी किया और इस विषय में अनुचित कार्यवाही करने का अनुरोध भी किया है। इस में अग्रिम कानूनी कार्यवाही ही किये जाने के लिए प्रश्न विचाराधीन है।

सिटी बस सर्विस, जोधपुर

19. श्री ओमदत्त भाटी (सरदार पुरा, जोधपुर)– क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जोधपुर शहर में कितने रूट्स पर सिटी बस सर्विस है तथा उक्त सर्विस कब से चालू है?

(2) राजस्थान में जयपुर, अजमेर और उदयपुर में कितने कितने रूट्स पर सिटी सर्विस चालू हैं और कितने कितने अरसे से किस किस रूट पर बसें चल रही हैं? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) जोधपुर शहर में सिटी बस सर्विस कब बन्द रही और क्यों? क्या यह सही है कि इस संबंध में सरदारपुरा क्षेत्र के प्रतिनिधि ने सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया था? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार जोधपुर शहर में राजस्थान स्टेट रोडवेज को बसें चलाने के प्रश्न पर विचार कर रही है?

(5) क्या यह सही है कि 62 का मोडल नहीं मिलने के कारण यह सर्विस बन्द की गई है? यदि हां, तो दूसरी मोडल की बस क्यों नहीं चलाई जा सकती?

(6) क्या सरकार जोधपुर शहर की आबादी को ध्यान में रखते हुए और सिटी रूट्स का परमिट देने का विचार कर रही है? यदि हां, तो किस किस रूट का?

उत्तर

(1) जोधपुर शहर में इस समय कोई सिटी बस सर्विस चालू नहीं है।

(2) अजमेर में सिटी बस सर्विस विक्टोरिया आदर्श नगर पथ पर 1-5-59 से चल रही है। जयपुर में सिटी बस सर्विस 9-6-59 व 2-6-62 से जिन 6 व 11 रूट्स पर चल रही वह सूची सदन की मेज पर रखदी है। उदयपुर सिटी बस सर्विस कितने रूट्स पर कितने अर्से से चल रही है उसकी सूची सदन की मेज पर रखदी है।

(3) जोधपुर शहर म सिटी बस अस्थाई रूप से अगस्त 1966 में चालू की गई व बारह मास चल कर बन्द हो गई। परमिट अस्थाई था और मोटर मालिक ने इसको बन्द करदी।

जी हां, सरदारपुरा क्षेत्र से आने वाले माननीय सदस्य ने सरकार का ध्यान इस

(यातायात मन्त्री)
ओर आकृष्ट किया था। प्रादेशिक परिवहन अधिकारी ने कुछ लोगों को शहर में बस चलाने के लिये अनुज्ञा पत्र 23।24-8-67 को दिए और 60 दिन के अन्दर निर्धारित मोडल की गाड़ियां चलाने का समय दिया लेकिन इन लोगों ने अभी तक वाहन चालू नहीं किये।

हिदायत दी गई है कि इन परमिटों को रद्द करने और नये प्रार्थना पत्र प्राप्त करने की नियमानुसार कार्यवाही करें।

(4) जोधपुर शहर में राजस्थान स्टेट रोड परिवहन निगम की ओर से बस चलाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(5) यह सही नहीं कि 1962 को मोडल का वाहन नहीं मिलने के कारण सर्विस बन्द की गई। पहिले सर्विस अस्थाई तौर पर चलती थी जो मालिक वाहन ने बन्द कर दी। स्थाई तौर पर कोई सर्विस नहीं चलती थी। 1962 में नीचे के मोडल की गाड़ी राज्य परिवहन अधिकारी द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार स्थाई रूप से नहीं चलाई जा सकती।

(6) जोधपुर परिवहन अधिकारण उपरोक्त तीनों मार्गों पर सिटी बस चलाने के लिये उद्यत है, यदि कोई भी व्यक्ति निर्धारित मोडल की बस लगाने को तैयार हो।

तारांकित प्रश्न सं. 19 से संबन्धित सूची

सूची क

जयपुर शहर में विभिन्न मार्गों पर दिनांक 9-6-1959 से चलने वाली बसों की सूची

(1) मानक चौक चौपड़ से जयपुर रेल्वे स्टेशन वाया त्रिपोलिया, चांदपोल गेट, पोलोविक्ट्री ।

(2) मानक चौक चौपड़ से जयपुर रेल्वे स्टेशन वाया किशनपोल, अजमेरी गेट, मिर्जा इस्माइल रोड ।

(3) मानक चौक चौपड़ से गांधी नगर वाया कोतवाली चौपड़-अजमेरी गेट, सवाई मानसिंह अस्पताल, लाल कोठी ।

(4) मानक चौक चौपड़ से डी. टी. एस. आफिस, पावर हाऊस वाया जयपुर रेल्वे स्टेशन ।

(5) मानक चौक चौपड़ से राजस्थान सचिवालय ।

(6) गवर्नमेंट होस्टल से टाउन हाल वाया सवाई मानसिंह हाई वे ।

जयपुर शहर में विभिन्न मार्गों पर दिनांक 2-6-1962 से चलने वाली बसों की सूची

(1) रामगंज चौपड़ से रेल्वे स्टेशन वाया मानक चौक चौपड़, छोटी चौपड़, चांदपोल गेट, जयसिंह सर्किल व पुनः उसी मार्ग से खासा कोठी व रेल्वे स्टेशन ।

(2). चार दरवाजा से रेल्वे स्टेशन वाया मोती कटला बाजार, सिरह ड्योढी बाजार, मानक चौक, जौहरी बाजार, मिर्जा इस्माईल रोड, खासा कोठी, रेल्वे स्टेशन व वापसी उसी मार्ग से ।

(3) रामगंज चौपड़ से रेल्वे स्टेशन वाया चांदपोल दरवाजे तक रूट नम्बर 1 में लिखे स्टोपेज, के अनुसार व फिर निर्वाण मार्ग, हथो बाबू का मार्ग, मानसिंह सर्किल, जयसिंह सर्किल, कबीर मार्ग, पावर हाउस, रेल्वे स्टेशन व इसी मार्ग से वापसी ।

(4) रामगंज चौपड़ से रेल्वे स्टेशन वाया घाट दरवाजा, आगरा रोड, श्री गंगा टाकीज, मिर्जा इस्माईल रोड, खासा कोठी, जयसिंह सर्किल व पुनः खासा कोठी फिर रेल्वे स्टेशन ।

(5) छोटी चौपड़ से बजाज नगर वाया किशन पोल, अजमेरी गेट, महारानीज कालेज, सवाई मानसिंह अस्पताल, रामबाग सर्किल, पोद्दार उच्चतर माध्यमिक पाठशाला, सर्वेण्ट क्वार्टर्स, बजाज नगर, व इसी मार्ग पर वापसी ।

(6) छोटी चौपड़ से सचिवालय, वाया अजमेरी गेट, एम. जी. लैन, सा जेवियर स्कूल, [illegible], महालेखाकार कार्यालय, [illegible], तिलक मार्ग

बगड़िया भवन, सुभाष मार्ग, पांचबत्ती, मिर्जा इस्माईल रोड, व पुनः इसी मार्ग से छोटी चोपड़ ।

(7) सांगानेरी गेट से––झण्डा सर्किल वाया मोती डूंगरी रोड, क्षेत्रीय सेटलमेंट कमीश्नर कार्यालय, बीस दुकान, इण्डस्ट्रीयल लाईन, उनियारा गार्डन, यूनिवर्सिटी से झण्डा सर्किल तक व पुनः वापसी इसी मार्ग से ।

(8) अजमेरी गेट से झण्डा सर्किल वाया सांगानेरी गेट, मोती डूंगरी रोड, उनियारा गार्डन, यूनिवर्सिटी, झण्डा सर्किल व वापसी आदर्श नगर वाया इण्डस्ट्रीयल लाइन, बीस दूकान, साल्ट आयुक्त कार्यालय व वापसी उसी मार्ग से अजमेरी गेट ।

(9) रेल्वे स्टेशन से गांधी नगर वाया खासा कोठी, मिर्जा इस्माईल रोड, सुभाष मार्ग, बगड़िया भवन से तिलक मार्ग व फिर सचिवालय एवं महालेखापाल कार्यालय के बीच की सड़क लाईन से होती हुई न्यू हाई कोर्ट बिल्डिंग, राम बाग सर्किल, गांधी नगर पोइंट, गांधी नगर के अन्दर वापसी बापू नगर से "ए" क्वार्टर्स सेन्ट्रल रोड, वाया जनता स्टोर भवानी सिंह रोड से राम बाग सर्किल व वापस रेल्वे स्टेशन इसी मार्ग से ।

(10) अजमेरी गेट से इन्डस्ट्रीयल स्टेट वाया मिर्जा इस्माईल रोड, ओवर ब्रिज से हसन पुरा, सोडाला व फिर वापसी गीज गढ हाऊस, सिविल लाइन रोड, सरदार पटेल मार्ग, गवर्नमेंट होस्टल, मिर्जा इस्माईल रोड व वापस अजमेरी गेट ।

(11) चांद पोल गेट से झोटवाड़ा वाया लेबर कोलोनी व वापस ।

<u>अनुबन्ध-बी</u>

उदयपुर में सिटी बस सर्विस निम्न रूटों पर उनके सामने दिये हुये समय से चल रही है:—

(1) बड़ी से प्रताप नगर	2	25-4-62,	17-7-62
(2) बड़ी से डबोक	3	(1) 16-7-60 (2) 5-12-63 (3) 18-5-64	
(3) डबोक से गोवर्धन विलास		(1) 20-3-67	

राजस्थान में पन्ने की खान

20. श्री भैरोंसिंह (किशन पोल, जयपुर) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) राजस्थान में पन्ने की खान कहां कहां हैं तथा इन खानों का किस किस व्यक्ति को कितने कितने समय का लीज दिया हुआ है ?

(ख) सरकार की ओर से इन खानों पर सरकारी हिस्से की सुरक्षाहेतु क्या व्यवस्था की हुई है ?

(ग) यदि कोई व्यवस्था नहीं की हुई है, तो क्यों ?

उत्तर

(क) सूची सदन की मेज पर रखदी गयी है।

(ख) सुरक्षा हेतु विभागीय एमराल्ड सुपरवाइजर नियुक्त है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

तारांकित प्रश्न संख्या 20 की सूची

सूची उन स्थानों की जहां पर पन्ने की खानें स्वीकृत हुई

क्र. सं.	स्थान जहां खानें चल रही हैं	पार्टी का नाम जिसकी लीज है	अवधि जितने समय के लिए लीज दी गई है	विशेष विवरण
	(उदयपुर डिवीजन)			
(1)	ग्राम कालागुमान के पास	सर्व श्री मूलचन्द सुगनचन्द, उदयपुर	20 बीस वर्ष के लिये 1-10-47 से	17-8-66 को खनन् पट्टा रद्द किया गया।
(2)	ग्राम तीखी के पास	सर्वश्री पुशालाल मानसिंह का, भीलवाड़ा।	20 वर्ष के लिये 25-10-50 से	
(3)	ग्राम डवकुदिया में (अजमेर सब डिवीजन के पास)	सर्वश्री लियो मिनरल्स, राजकोट	20 वर्ष के लिये	संविदा का निष्पादन 14-7-67 को हुआ किन्तु संविदा का पंजीयन अभी नहीं हुआ है। अतः खनन् कार्यवाही प्रारम्भ नहीं किया गया है।
(4)	ग्राम मोहनी में	श्री भागचन्द सोनी	20 वर्ष के लिये 16-11-50 से	
(5)	ग्राम बुबानी में	सर्वश्री मूलचन्द नेमीचन्द	20 वर्ष के लिये 28-2-55 से	23-8-66 को खनन पट्टा रद्द किया गया।
(6)	ग्राम राजगढ में	सर्वश्री मूलचन्द नेमीचन्द	20 वर्ष के लिये 16-11-50 से	जैसा ऊपर है।

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को नौकरी से हटाने के आदेश

21. श्री देवीदत्त गाडिया (बारां) : क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि बारां सहकारी विभाग के सहायक रजिस्ट्रार ने गत वर्ष, 1967 में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को नौकरी से हटाए जाने संबंधी आदेश जारी किये हैं ?

(2) यदि हां, तो किस किस तारीख को किस किस चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को किस किस अपराध में नौकरी से हटाने का आदेश जारी किया ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) दिनांक 1-3-67 को श्री श्री पुरशोत्तम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को नौकरी से किसी अपराध के कारण नहीं वरन् इनके पद की मियाद समाप्त होने के कारण हटाया गया था ।

पाली जिले के निलम्बित वैद्य

22. श्री दौलतराम आगरो (देसूरी) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पाली जिले में 1 जुलाई, 1967 को रिटायरमेंट के समय कितने वैद्य सस्पेन्ड थे और उनके मामले अब किस स्थिति में हैं ?

(2) उनके मामले कब तक निपटा दिये जायेंगे ?

उत्तर

1. पाली जिले में 1 जुलाई 67 को विश्रामवृत्ति के समय केवल एक वैद्य निलम्बित था । उसके विषय में जांच कार्यवाही चल रही है ।

2. जल्दी ही ।

चारभुजा प्राथमिक शाला केकड़ी के भवन का किराया

23. श्री देवीलाल बुरासियां (केकड़ी) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि केकड़ी नगर में चारभुजा प्राथमिक शाला का सन् 1964 का किराया अब तक नहीं मिला है ?

(2) किराया नहीं मिलने का क्या कारण है, और वो किराया कब तक दे दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) यह सही नहीं है । फिर भी यदि कोई किराये की राशि देनी होगी तो इसके चुकारे की व्यवस्था कर दी जावेगी ।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता ।

मकराना-अजमेर मार्ग पर रोडवेज की बसें

24. श्री विजयसिंह (मकराना) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

मकराना से अजमेर तक रोडवेज की बसें चलाने की सुविधा कब तक दी जा सकेगी ?

(यतायात मंत्री)

उत्तर

1. मकराना-अजमेर मार्ग की राष्ट्रीयकरण की कोई योजना निगम के विचाराधीन नहीं है ।

अध्यापिकाओं का फिक्सेशन–श्री माधोपुर

26. श्री हरलालसिंह खर्रा (श्री माधोपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:––

क्या यह सही है कि गर्ल्स हाई स्कूल, श्री माधोपुर की कई अध्यापिकाओं का फिक्सेशन संशोधित स्केल के अनुसार नहीं हुआ है ? यदि हां, तो किस किस का व ऐसा क्यों व अब कब तक हो जावेगा ?

उत्तर

(1) यह सही नहीं है । आगे प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

आयुर्वेद विश्व भारती, सरदार शहर

27. श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) आयुर्वेद कालेज को मान्यता व सहायता किस आधार पर दी जाती है ?

(2) क्या वे तमाम साधन जिसके आधार पर सहायता व मान्यता दी जाती है, आयुर्वेद विश्व भारती सरदार शहर में है ?

(3) आयुर्वेद कालेज में प्रिंसिपल व वाईस प्रिंसिपल की क्या योग्यता होनी चाहिए ?

(4) वर्तमान में आयुर्वेद विश्व भारती में 3 साल से प्रिंसिपल व वाइस प्रिंसिपल कौन है ? तथा उनकी क्या योग्यता है तथा स्टाफ में कितने अध्यापक हैं व उनकी योग्यता क्या है ?

उत्तर

1. आयुर्वेदिक कालेज को मान्यता विभाग द्वारा निर्धारित माप दण्ड के अनुसार व राजस्थान आयुर्वेद सहायता अनुदान नियमों के अनुसार दी जाती हैं । सहायता अनुदान नियम की प्रतिलिपि, तथा विभाग द्वारा निर्धारित माप दण्ड की प्रतिलिपि इसके साथ संलग्न हैं ।

2. जी हां, न्यूनतम आवश्यक साधन उस संस्था में विद्यमान है ।

3. आयुर्वेद कालेज में प्रिंसिपल एवं वाईस प्रिंसिपल में भिषगाचार्य या उसके तत्सम परीक्षा उत्तीर्णता तथा 5 वर्ष का शैक्षणिक अनुभव आवश्यक है ।

4. वर्तमान में विश्व भारती में 3 साल से श्री सोहन लाल शर्मा, प्रिंसिपल पद पर कार्य कर रहे हैं । और श्री नगेन्द्र नाथ शर्मा, वाइस प्रिंसिपल पद पर कार्य कर रहे हैं ।

श्री सोहन लाल, आयुर्वेदाचार्य हैं, जो भिषगाचार्य के तत्सम माने गये हैं और श्री नरेन्द्रनाथ भी आयुर्वेदाचार्य हैं ।

स्टाफ में जो अध्यापक हैं तथा उनकी जो योग्यता है उनका विवरण पत्र संलग्न हैं । प्रत्येक अध्यापक की योग्यता उसके सामने अंकित कर दी गई है ।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

किशनगढ़ में कालेज व स्कूल के खेल के मैदान

28. श्री सुमेरसिंह (किशनगढ़): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि गवर्नमेन्ट डिग्री कालेज किशनगढ़ व गवर्नमेन्ट हायर सेकेन्ड्री स्कूल के छात्रों के लिए केवल एक ही खेल का मैदान है।

(2) क्या यह सही है कि छात्रों की संख्या को देखते हुए यह खेल का मैदान अपर्याप्त है ?

(3) यदि हां, तो नया खेल का अतिरिक्त मैदान क्यों नहीं बनाया जा रहा है ?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) जी, हां।

(3) धनाभाव के कारण यह व्यवस्था नहीं की जा सकती।

राजस्थान बोर्ड आफ इंडियन मेडिसन के चेयरमैन के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामले

29. श्री मुकटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान बोर्ड आफ इंडियन मेडिसन के चेयरमैन के विरुद्ध भ्रष्टाचार निरोधक विभाग या सतर्कता आयोग के समक्ष शिकायतें प्रस्तुत की गई ? यदि हां, तो कब और क्या तथा किसने की है ?

(2) क्या यह सही है कि भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने उक्त चेयरमैन के विरुद्ध प्रस्तुत आरोपों की जांच की ? यदि हां, तो जांच का क्या परिणाम रहा ?

(3) क्या चेयरमैन के विरुद्ध कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

1. श्री बहादुर सिंह जनरल सेक्रेटरी, राजस्थान स्टेट आयुर्वेद कांग्रेस ने सतर्कता आयोग एवं भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के समक्ष माह फरवरी 66 में शिकायत प्रस्तुत की है जिससे उन्होंने बोर्ड के धन तथा पद का दुरूपयोग आदि होना व्यक्त किया।

2. जांच से धन के गबन के आरोप सिद्ध नहीं हुए किन्तु उनके द्वारा शासकीय कतिपय अनियमितताऐं बरती जाना विदित हुआ।

3. अध्यक्ष महोदय को भविष्य में शासकीय पद्धति में अनियमितताओं के संबंध में सतर्क रहने के निर्देश दिये जा चुके हैं।

परिशिष्ट-5

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या 1 की सूची)

(Statement of Expenditure & Income at the Government Poultry Farms in Rajasthan.

Year	Govt. Poultry Farm, Jaipur		Govt. Poultry Farm, Ajmer.		Govt. Poultry Farm, Jodhpur.	
	Exp.	Income	Exp.	Income	Exp.	Income.
	1	2	3	4	5	6
1961-62	29743·30	8024.44	25830.14	15471.58	10700.00	1576.35
1962-63	34356.56	11583.68	26579.26	16127.22	12595.01	4222.46
1963-64	38673.99	19505.07	32034.38	32206.03	15283.03	7707.22
1964-65	81170.72	43834.63	64407.71	47184.19	18203.15	181307.36
1965-66	163561.23	58942.35	145522.00	65286.51	29141.55	20727.82
1966-67	201710.58	68086.27	122747.70	36190.18	37925.93	22998.18
TOTAL	554214.38	209957.34	421121.79	232466.71	124350.07	76638.46

TOTAL	Expenditure	Income
G. P. F. Jaipur.	554214.38	209957.34
G. P. F. Ajmer	42112174.	132465.71
G. P. F. Jodhpur.	124550·67	76839.40
G. P. F. Tonk.	103942.78	51651.59
G. P. F. Alwar.	151272.32	58030.47
G. P. F. Kotah.	11385.21	1411.27
GRAND TOTAL	1366497.70	825168.84

Page No. 113

Govt. Poultry Farm Tonk.		Govt. Poultry Farm. Alwar.		Govt. Poultry Farm, Kotah.		Remarks.
Exp.	Income.	Exp.	Income.	Exp.	Income.	
7	8	9	10	11	12	13
4787.58	1458.30	3730.34	595.26	—	—	(1) Jodhpur 61-62 vide Govt. Order No. F. R. (10) Ca/61 dated June, 1961
4101.24	739.14	4101.24	424.87	—	—	
7206.98	4021.85	6822.41	2016.52	—	—	(2) Tonk vide Govt. Order No. F. 15 (a) (312) CA/65 dated 12-12-1962
19318.05	6902.45	28434.00	8197.53	—	—	(3) Alverupgated as District Poultry Farm of Poultry Extension Centre vide Govt. Order No, F. 1 (8) Agr/IV/64 dated.12-5-64.
26918.38	21952·26	29439.02	9010.87	—	—	
41613.55	16577.57	78758.91	35785.42	11385.21	1411.27	(4) Vide Govt. Order No. F. 4 (2) Ag/IV/65 dated 6-5-65
103942.78	51481.89	51282.92	56030.47	11385.21	1411.27	(5) Ajmer since 1943
						(6) Jaipur since 1944

परिशिष्ट 6

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या 4 की सूची देखें)

सूची परिशिष्ट "क"

क्र. सं.	नाम समिति	ऋण राशि	वर्ष	प्रयोजन	विभाग जहां से ऋण मिला
1.	मूनपुर फर्निचर उत्पादक सहकारी समिति लि. मूनपुर	8000)	1960–61	मशीनरी व लकड़ी की खरीद	उद्योग विभाग
2.	पिनान " " पिनान	3000)	1961–62	"	सहकारी विभाग
3.	मादुका वास " मादुका वास	2500)	1960–61	औजार खरीद	पंचायत समिति मुंडावर
4.	मुंडावर " " मुंडावर	1750) 1375) अनुदान	1960–61	"	"
5.	सोढ़ाबास काष्टकला सहकारी समिति लि. सोढ़ावास	2500)	1960–61	"	"
6.	हिंगावडा फर्निचर उत्पादक सहकारी समिति लि. हिंगावडा	1700)	1960–61	"	पंचायत समिति तिवारा।
		18750) ऋण 1375) अनुदान			
	कुल योग:—	20125) रु.			

परिशिष्ट 7.

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या 6 की सूची देखें)

सूची

ऊंट पालन केन्द्र बीकानेर में किये गये खर्च का व्योरा निम्न प्रकार है :—

वर्ष	खर्च	निर्माण कार्य पर व्यय (लाख में)	विशेष विवरण
1959—60	1,85,722		
1960—61	2,28,693	2.229	सन् 1960—61 में बताये गये खर्चे में 65,000 रुपये जो बिजली लगवाने में खर्च किये गये हैं, भी शामिल हैं।
1961—62	1,60,689	0.280	—
1962—63	1,36,202	0.270	—
1963—64	1,13,374	0.250	—
1964—65	1,12,073	0.450	—
1965—66	2,37,321	0.093	—
1966—67	2,45,171	0.164	—
योग	14,19.245	2.736	

इस प्रकार इस केन्द्र पर अब तक कार्यालय का निर्माण, ऊंटों की खरीद, कुए का निर्माण एवं क्वार्टरों के निर्माण एवं ऊंटों के दाने चारे पर कुल 17,92,845 रुपये व्यय हो चुके हैं।

इस केन्द्र पर निम्न प्रकार से ऊंट रखे गये थे, तथा उनकी संख्या पैदा आदि होने से वर्ष के अन्त में निम्न प्रकार से थी:—

वर्ष	ऊंट रखे गये उनकी संख्या	वर्ष के अन्त में ऊंटों की संख्या	वृद्धि
1959–60	102	142	40
1960–61	194	223	29
1961–62	250	288	38
1962–63	306	350	44
1963–64	350	377	27
1964–65	377	382	5
1965–66	382	263	कुल 177 ऊंटों को नीलाम करने से, एक को नस्ल सुधार हेतु बांटे जाने एवं 16 की मृत्यु हो जाने से हुए हैं। साथ ही साथ 75 का जन्म भी 382 के अलावा इस वर्ष में हुआ है।
1966–67	303	258	कमी 15 ऊंटों को नीलाम किये जाने 5 को नस्ल सुधार हेतु बांटे जाने एवं 26 की मृत्यु हो जाने से हुई है, नस्ल सुधार हेतु वितरित किया गया एक ऊंट भी इसी साल में वापिस आया है।

ऊंट अनुसंधान केन्द्र, बीकानेर पर आय का ब्यौरा निम्न प्रकार से है :

वर्ष	खाद्य बेचने से आय	चमड़ा बेचने से आय	ऊंट बेचने से आय	अन्य आय	कुल योग
1959–60	—	—	—	—	—
1960–61	55.00	—	—	—	55.00
1961–62	392.61	—	—	—	392.61
1962–63	595.25	—	—	—	595.25
1963–64	—	—	—	—	—
1964–65	25.00	20.00	—	12.75	57.75
1965–66	97.94	11.00	70,201.00	90.00	70,399.94
1966–67	162.50	19.00	4,711.00	—	4,892.50
	1328.30	50.00	74,912.00	102.75	76,393.05

शुद्धि-पत्र

(शुक्रवार, दिनांक 19 जनवरी, 1968)

स्कम्भ संख्या 1	पंक्ति संख्या 2	अशुद्ध 3	शुद्ध 4
2	16	कन्ट्रेक्टर्स	कान्ट्रेक्टर्स
4	अन्तिम से 10	गायल	गोयल
5	12	170–35	170–385
7	13	भैरसिह	भैरोंसिंह
7	17	कराने	करने
7	अन्तिम से 2	कृषि मंत्रा	कृषि मन्त्री
8	3	ग्रोर	और
9	शीर्ष	ी	श्री
10	14	इन्सपेक्टस	इन्सपेक्टर्स
14	अन्तिम से 12	का	को
17	22	सेन्कशन	सेन्क्शन
18	स्कम्भ	1	18
19	5	ने	सुने
19	14	नस	नसीराबाद
19	17	शिवचर्णसिह	शिवचरणसिंह
19	18	सम्वघ	सम्बन्ध
20	अन्तिम से 4	दूसरी	दूसरा
21	शीर्षक	प्रश्नोत्र	प्रश्नोत्तर
23	5	इस पर आपने पहले	पहले इस पर आपने
26	9	गूसिया	ग्रेसिया
27	5	अवेलेबिल	अवेलेबिल
27	8	ह ग	होगा
27	11	कपने	करने
28	अन्तिम से 7	स्थिति	स्थित
28	अन्तिम से 2	पी	पीरियड
31	6	ले	पहिले
32	4	कम्नी	कम्पनी
32	अन्तिम से 8	रिप्रेजेनटेटिव	रिप्रजेंटेटिव
32	अन्तिम से 7	हरिव	हरिदेव
34	अन्तिम से 2	बताते	बनाते
46	अन्तिम से 5	ह	हैं

2

1	2	3	4
49	अन्तिम से 4	सह	सिंह
50	12	श्री अघ्य	श्री अघ्यक्ष
50	15	तायात	यातायात
50	अन्तिम से 6	इरस्पासिब	इर्रेस्पान्सिबली
50	अन्तिम से 4	हुं	हूं
50	अन्तिम से 2	जती	जाती
51	1	विनोई	विश्नोई
51	6	आ	आज
51	अन्तिम से 5	निकी	जिनकी
51	अन्तिम से 4	बत	बात
52	अन्तिम से 12	चा	चला
52	अन्तिम से 6	बा सिंह	बालसिंह
52	अन्तिम से 5	क्षेलों	क्षेत्रों
52	अन्तिम से 4	सढा	सोढ़ा
53	अन्तिम से 5	सढ़	सोढ़ा
54	10	सढ़	सोढ़ा
55	अन्तिम से 1	कानसा	कौन सा
58	4	किय	किया
59	शीर्षक	अतांकित	अतारांकित
60	6	कों	का
60	9	रेंगे	करेंगे
60	17	जो	को
60	20	बुरड़	बुरड़क
64	7	मंत्री	मन्त्री
64	12	यहा	यहां
66	4	दृष्टिकाण	दृष्टिकोण
66	12	सांथ	साथ
66	अन्तिम से 6	करत	करता
66	अन्तिम से 2	में ज रिक्तता	में जो रिक्तता
66	अन्तिम से 1	होन बहुत ह	होना बहुत ही
67	19	विपत्ती	विपत्ति
68	18	नेत	नेता
69	अन्तिम से 8	उकी	उनकी
69	अन्तिम से 3	सरे	सारे
70	20	उच्छखंला	उच्छृंखल
71	3	हा	रहा
73	10	मौकि	मौलिक
81–82	शीर्षक	सदन की मेज पर-19 जनवरी 1968–रखे जाने वाले पत्र	अध्यादेश सम्बन्धी–19 जनवरी, 1968–
82	2		व्यवस्था-प्रश्न
81	अन्तिम से 2	मालुम	मालूम

1	2	3	4
82	2	राज्यपाल महोदय के अभि-भाषण में उल्लिखित अध्या-देशों और सदन पटल पर रखे अध्यादेशों की संख्या सम्बन्धी भिन्नता पर व्यवस्था-प्रश्न एवं अध्यक्षीय व्यवस्था	
82	अंतिम से 9	मैं	में
96	16	आ-को	आपको
98	5	रेंज	रेज
101	138 शीर्षक	सदन की मेज पर 19 जनवरी, 1968–रखे गये पत्र	निन्दा प्रस्ताव पर चर्चा 19 जनवरी 1968–सम्बन्धी वादविवाद
101	अन्तिम से 11 के ऊपर	--	निन्दा प्रस्ताव को धन्यवाद प्रस्ताव से पूर्व लेने सम्बन्धी व्यवस्था-प्रश्न तथा अध्यक्षीय व्यवस्था
101	अन्तिम से 11	नत्थसिंह	नत्थी सिंह
102	6	जुल्स	जुल्म
106	12	महत्व है	महत्वपूर्ण है
110	अन्तिम से 2	माननीय सदस्य	माननीय अध्यक्ष
114	अन्तिम से 13	विचार नगर के	विचार न करके
114	अन्तिम से 14	रेजीड्यूअरी	रेसीड्यूरी
114	अन्तिम से 2	गोली	गोयल
116	अन्तिम से 14	करे सहाब	करें, साहब
117	5	श्री दुर्गालाल बाद्गार	श्री दुर्गालाल बाढ़दार
117	8	गेयल	गोयल
119	अन्तिम से 13	देसक	देसके
120	अन्तिम से 4	महादय न	महोदय ने
124	12	सकता ह	सकता हूं
124	13	समय वह	मसय वहां
126	अन्तिम से 1	विभाग	दिमाग
129	अन्तिम से 2	अध क्ष	अध्यक्ष
130	11	श्र त्थ सिंह	श्री नत्थी सिंह
131	अन्तिम से 7	ा न य	माननीय
131	„ 5	श्र स देव	श्री सहदेव
138	19	आर„	और
139	16	समाप्त	स्थगित
140	अन्तिम से 3	क्या यह	क्या है यह

1	2	3	4
141	3	वरोघी	विरोधी
144	15	म	में
144	27	म	में
151	अन्तिम से 2	हकि	है कि
160	4	हैं	ही
170	14	परकपिटा	पर कैपीटा
170	अन्तिम से 5	सकगे	सकेंगे
171	शीर्षक	वा ी	जनवरी
174	20	ह	है
178	अन्तिम से 2	मॆं	मैं
189	13	स्थानन्तर	स्थानान्तर
195	12	अनिणी अपीलेत	अनिर्णीत अपीलें
197	21	रही	रही है
199	28	पोद्यार	पोद्दार
201	शीर्षक	पन्न की खान	पन्ने की खान